लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२,२५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुर:स्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड २७४७--४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--पारित २७४९

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २७४९--८५

दैनिक संक्षेपिका . . २७८६--९१

अंक २४--बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा १११२ से १११५ . २७९३--२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, १११९, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ २८१७--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ २८३१--६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . २८६३

सदस्य को सजा २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य २८६४--६५

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २८६५--९४

दैनिक संक्षेपिका . २८९५--२९००

अंक २५--गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ २९०१--२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० २९२६--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ २९३९--७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९०, १२९९, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४–५९

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५९–६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२–३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२–७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५–३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८–३२

अंक २९—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . . ३४५६–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५–९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४९५

राज्य सभा से सन्देश ३४९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४९६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४९६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४९६–९७

अनुदानों की मांगें ३४९७–३५३६

वित्त मंत्रालय ३४९७–३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७–४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १८ मार्च, १९५९
२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मैगनेशियम कारबोनेट

†*१३२६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय नमक गवेषणा संस्था, भवनगर ने हल्का मूलभूत मैगनेशियम कारबोनेट बनाने का एक नया तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या इस्तेमाल होता है ; और

(ग) क्या उसकी उत्पादन लागत निकाली गई है तथा उसके वाणिज्यिक आधार पर विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) इसका इस्तेमाल रबड़ उद्योग और सिगरेट बनाने तथा अन्य उच्च कोटि का कागज बनाने में किया जा सकता है।

(ग) व्यय का हिसाब लगा लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय विकास निगम इसके वाणिज्यिक आधार पर विकास करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

426(Ai) LSD—1.

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस हल्के मूलभूत मेंगनेशियम कारबोनेट के बनाने के लिये जिस-जिस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है वे सभी हमारे देश में उपलब्ध हैं, यदि हां, तो वे कच्चे माल क्या हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : कच्चा माल देशी होगा इसी कारण हम इस तरीके के विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है कि इसे वाणिज्यिक आधार पर तैयार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । क्या वाणिज्यिक आधार पर इसे तैयार करने के लिये किसी पक्ष ने आवेदन भेजा है, यदि हां, तो क्या उस पक्ष से कोई पारिश्रमिक वसूल किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अभी तक इस मामले में पांच पक्षों ने चाव दिखाया है और यह कार्य राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम द्वारा निबटाया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं कि फ्रांस सरकार के बुलावे पर रसायनिक उच्च औद्योगिक मंत्रणादाता तथा नमक आयुक्त का एक प्रतिनिधिमंडल रूस में नमक से तैयार किये जाने वाले रसायनों का निर्माण कैसे होता है, यह देखने के लिये वहां गया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इन रसायनों के सम्बन्ध में कोई परामर्श दिया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह प्रश्न सामान्य है, इस कारण इसका उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या हम इस समय मैगनेशियम कारबोनेट का आयात कर रहे हैं । यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: १९५७ में ११·९९ लाख रुपये की लागत पर लगभग १,१९३ टन और १९५८ में हमने जनवरी से नवम्बर तक लगभग ८५१·५ टन का आयात किया था ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने बताया कि उत्पादन व्यय का हिसाब लगाया जा चुका है । प्रति टन इसका उत्पादन लागत कितनी है तथा आयात किये गये मैगनीज कारबोनेट की तुलना में यह कैसा होता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस प्रक्रिया से उत्पादन लागत का अनुमान ९३६ प्रति टन लगाया गया है । १९५७ के आंकड़ों के आधार पर आयात किये गये कारबोनेट का मूल्य एक हजार रुपये से कुछ अधिक था और इस वर्ष इसका मूल्य लगभग ९७५ रुपये होगा ।

लोक सहायक सेना

+

†*१३२७. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं से लाभ उठाने के लिये कितने राज्यों ने योजनायें तैयार कर ली हैं ;

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) क्या ३१ मार्च, १९६० तक लोक सहायक सेना में पांच लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षा देने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों से और विशेषकर जिन्हें विशेषयोग्यता के प्रमाणपत्र दिये गये थे, कोई सम्पर्क रखा जाता है ; और

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोग सेना में भर्ती हो गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) लोक सहायक सेना में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये पांच राज्यों ने योजनायें बना ली हैं—जिनके नाम बिहार, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं ।

(ख) इस अवस्था में आश्वासन देना संभव नहीं है । ३१ मार्च, १९५९ तक ४ लाख व्यक्ति प्रशिक्षत हो जाने चाहिये जिसमें से लक्ष्य के अनुसार ३१ जनवरी, १९५९ तक ३,५२,१३९ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा १९५८-५९ के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ; किन्तु सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक सूची जिसमें उनके पते भी होते हैं, जिला के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे सम्पर्क स्थापित कर सकें ।

(घ) १ प्रतिशत से कुछ कम लोग सेना में चले गये हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को किसी राज्य सरकार ने बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं अथवा राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं में काम दे दिया है ?

†**श्री रघुरामैया** : जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या राज्य सरकारों से ऐसा कोई निवेदन किया गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय मुझे इसका कुछ पता नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्यों ने लोक सहायक सेना की सेवाओं का उपयोग करने के लिये योजनायें बनाई हैं । ये योजनायें किस प्रकार की हैं और राज्य सरकारें किस प्रकार लोक सहायक सेना की सेवाओं का उपयोग करना चाहती हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक सहायक सेना का उपभोग करने के लिये राज्यों ने किस प्रकार की योजनायें तैयार की हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इनका निर्णय राज्य सरकारों के हाथ में है । हमारा कार्य तो लोगों को प्रशिक्षण देना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस बारे में हमसे पूछा ही नहीं गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० च० पटनायक** : क्या ३० दिन के प्रशिक्षण में सामुदायिक परियोजनाओं अथवा अन्य परियोजनाओं के समायोजन की भी कोई व्यवस्था की जाती है जिससे प्रशिक्षार्थियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका राज्य सरकारों द्वारा बाद में कोई उपभोग किया जा सके ?

†**श्री रघुरामैया** : इस के सम्बन्ध में कोई विशेष योजना नहीं है, परन्तु फिर भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें किसी भी आवश्यक प्रयोजन के लिये काम में लाया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने स्वयं यह बता दिया है कि उन्हें ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकारें किस प्रयोजन के लिये उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं यह पूछना चाहता था कि .....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें एक विशेष बात की शिक्षा दी जा रही है—वह है अनुशासन । इसका किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है ।

श्री पद्म देव : इस लोक सहायक सेना में जिनकी एक एक बार ट्रेनिंग हो जाती है, उसके पश्चात् क्या उनके लिये कोई रिफ़्रेशर कोर्स वगैरह की योजना भी रखी है ताकि वे हमेशा एक्टिव रहें ?

†**श्री रघुरामैया** : उनके लिये एक रिफ़्रेशर कोर्स चलाने का विचार तो है, परन्तु उसे फिलहाल अभी स्वीकार नहीं किया गया है ।

†**श्री वारियर** : क्या इन व्यक्तियों को नियत कालिक प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह रिफ़्रेशर कोर्स ही तो है ।

†**श्री रघुरामैया** : उसका उत्तर मैं दे चुका हूं ।

†**श्री गोरे** : हमें यह बता दिया गया है कि अभी तक केवल पांच राज्यों में यह योजना प्रारम्भ की गयी है । क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश भी की है कि अन्य राज्य उसे प्रारम्भ क्यों नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : अभी तक तो केवल इन्हीं राज्यों से जानकारी प्राप्त हुई है । इस विषय में कार्यवाही करना राज्यों का काम है ।

†**श्री गोरे** : क्या आपने इस बारे में अन्य राज्यों से पता लगाने का प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि केवल एक प्रतिशत व्यक्तियों को सेना में लिया जा सकता है । परन्तु केन्द्रीय सरकार यह सारा धन खर्च कर रही है और इसलिये यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उस राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमें इस स्थिति पर अभी पुनर्विचार करना है । वर्तमान अनुभव से तो यही प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति सेना के लिये नहीं हैं । इस समय तो इस का सेना की दृष्टि से कुछ भी मूल्य नहीं है । यह योजना स्पष्टतया सैनिक कार्यों के लिये नहीं अपितु देश के सामान्य

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास के लिये प्रारम्भ की गई थी। क्योंकि उन्हें केवल एक ही मास का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर वे गांव में काम करने वाले लोग हैं; इसलिये उनका सैनिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, परन्तु फिर भी प्रतिरक्षा मंत्रालय में कुछ ऐसे संस्थापन हैं जिनका सैनिक दृष्टि से सीधे ही कोई सम्बन्ध नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रतिरक्षा बजट पर चर्चा के समय यह मामला उठा सकते हैं। माननीय मंत्री को ज्ञात नहीं है कि उन्हें किस लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका न तो सेना में कोई लाभ है और न हीं गांव में। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बजट चर्चा के दौरान बोलने का पर्याप्त समय दूंगा।

†**श्री गोरे :** मैं जानना चाहता था कि अन्य राज्यों में भी यह योजना क्यों नहीं प्रारम्भ की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई है ?

†**श्री रघुरामैया :** हम इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कितनी अच्छी योजना है। परन्तु अन्य राज्य इसे क्यों नहीं प्रारम्भ करते ?

†**श्री रघुरामैया :** यह तो राज्यों का काम है कि वे इसे प्रारम्भ करें। हम इस बारे में और अधिक पूछताछ करेंगे।

राज्य आदिम जाति मंत्रणा परिषद्

†*१३२८. **श्री रा० च० माझी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक राज्य आदिम जाति मंत्रणा परिषदों की १९५७ और १९५८ में कोई भी बैठक नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी नहीं। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५७ और १९५८ में उनकी कितनी बैठकें हुई थीं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री रा० च० माझी :** आदिम जाति मंत्रणा परिषदों की बैठकें कौन बुलाता है और इसका क्या कारण है कि इनकी बैठकें नहीं बुलाई गयी हैं ? क्या इसका कारण यह है कि चर्चा के लिये कोई भी विषय नहीं था ?

†**श्रीमती आल्वा :** नहीं इसका कारण यह नहीं है। मंत्रणा परिषदों/बोर्डों की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। केवल १९५७ में कुछ एक राज्यों में इनकी बैठकें नहीं हो सकी थीं क्योंकि उन दिनों राज्य पुनर्गठन का काम चल रहा था। १९५८ में तो लगभग सभी राज्यों में परिषदों की बैठकें हुई थीं जैसा कि पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है।

†**श्री रा० च० माझी :** आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमों के अनुसार एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें करना अनिवार्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम तो है नहीं ; परन्तु अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कमिश्नर ने यह सुझाव दिया है कि परिषदों/बोर्डों की बैठकें जल्दी जल्दी की जानी चाहियें ।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि राज्य आदिम जाति मंत्रणा परिषदों की बैठकें पुनर्गठन कार्य के कारण नहीं हो सकी हैं । परन्तु मैं नहीं समझता कि राज्य पुनर्गठन कार्य का आदिम जाति मंत्रणा परिषदों की बैठकों पर कोई असर पड़ सकता था । मेरे राज्य में १९५७ में राज्य आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की कोई भी बैठक नहीं हुई । क्या राज्य ने कोई कारण बताया है कि उसकी परिषद् की बैठक क्यों नहीं हो सकी है ? उनका राज्य पुनर्गठन कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

†**श्रीमती आल्वा :** राज्य पुनर्गठन कार्य से उसका सम्बन्ध था उस समय विभिन्न राज्यों की सीमाओं के बारे में विचार विमर्श हो रहा था और इसीलिये परिषदों की बैठकें नहीं की जा सकी थीं । १९५८ में प्रत्येक परिषद् की तीन, दो या एक बैठक हुई हैं जैसा कि विवरण में बताया गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा था कि विशेष अवसर में यह सुझाव दिया है कि इन परिषदों की बैठक 'जल्दी जल्दी' होनी चाहिये । परन्तु 'जल्दी-जल्दी' से क्या तात्पर्य है ? इसका मैं निश्चित उत्तर चाहता हूँ ।

†**श्रीमती आल्वा :** उनकी बैठकें एक से अधिक बार होती थीं । हमने सुझाव दिया है कि उनकी बैठकें तीन से अधिक बार होनी चाहियें । जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है, उनकी बैठकें अधिक से अधिक तीन बार हुई हैं । हमने सुझाव दिया है कि बैठकें वर्ष में तीन से अधिक बार होनी चाहियें ।

दिल्ली में जल संभरण

+

†*१३३०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में जल संभरण तथा जल-निस्सारण सम्बन्धी समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिये केन्द्रीय, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और दिल्ली की मेयर की एक विशेष समिति बनाने की प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** मामले पर और आगे विचार किया गया है और एक अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है । उसके बारे में अन्तिम निर्णय उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सरकारों से पूछने के बाद किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** जो प्रस्थापना तैयार की गयी है उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस समय तो प्रस्थापना यह है कि एक समिति बनायी जाये जिसमें उन विभागों के सचिव हों जिनका वास्ता दिल्ली प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले मामलों से

†मूल अंग्रेजी में

पड़ता रहता है और गृह सचिव उसके संयोजक हों, और जब भी और जहां भी कोई मतभेद हो, वहां गृह-कार्य मंत्री उस मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करें।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने दिल्ली जल परियोजना को चलाने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** पंजाब सरकार ने फिलहाल एक ऐसे द्वारक[1] से पानी देना स्वीकार कर लिया है जिससे अभी तक दिल्ली को पानी नहीं भेजा जा रहा था। मैंने आज के समाचार पत्र में यह पढ़ा है कि पंजाब सरकार ने कुछ नयी योजनायें प्रस्तुत की हैं, परन्तु वे योजनायें अभी तक मेरे पास नहीं आयी हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस योजना की कार्यान्विति में उत्तर प्रदेश की सरकार कितना भाग ले रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** हमें उत्तर प्रदेश की कुछ नदियों से भी पानी की आवश्यकता है। इसलिये उस सरकार से सहायता लेने की भी हमें जरूरत है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि यमुना के ऊपर एक ठेकेदार ने एक पुल बनाया हुआ है और उसकी वजह से पानी में रुकावट आती है और उसके सम्बन्ध में चीफ कमिश्नर और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर की भी राय है कि वह हटा दिया जाना चाहिये किन्तु उसके बावजूद भी वह नहीं हटाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री गो० ब० पन्त : पुलों से मेरा ताल्लुक नहीं रहता है मगर आपने कहा है तो मैं देख लूंगा।

खमरिया का युद्ध-सामग्री कारखाना

+

†*१३३१. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या **९८९** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया के युद्ध-सामग्री कारखाने के **स्टोर में हानि तथा कमी सम्बन्धी जांच** रिपोर्ट पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). जांच बोर्ड की रिपोर्ट पर युद्ध सामग्री कारखानों के महानिदेशक ने प्रतिरक्षा खाता (युद्ध-सामग्री) नियंत्रक के परामर्श से विचार किया है। उसने यह सिफारिश की है कि ८० लाख की हानि की राशि को, जो कि सिद्ध हो चुकी है, बट्टे खाते में डाल दिया जाये और ६२·८ लाख रुपयों की हानि के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Escape.

में, जो कि अभी तक प्रमाणित नहीं की जा सकी है, और अधिक जांच की जाये। ८० लाख रुपये की जिस हानि को बट्टे खाते में डालने के लिये कहा गया है उसमें से कुछ का ब्योरा यह है :—

(१) स्टोर के पुराने हो जाने के कारण होने वाली हानि . ४८·१२ लाख रुपये

(२) टाँक के खराब हो जाने के कारण होने वाली हानि . ९·५४ लाख रुपये

(३) स्टाँक की जांच पड़ताल करने पर उसमें पाई गयी कमी के कारण होने वाली हानि . . . १७·०२ लाख रुपये
इस सम्बन्ध में यह भी बता देना आवश्यक है कि जांच बोर्ड के ध्यान में यह बात भी आयी है कि ५६·६ लाख रुपये का फालतू सामान भी जांच बोर्ड की सूचना में आया है।

(३) सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के दौरान होने वाली हानि . . १·०३ लाख रुपये

(४) हालत के बदल जाने के कारण होने वाली हानि . १·२२ लाख रुपये

जहां तक शेष हानियों का सम्बन्ध है, उनकी जांच कराने के लिये एक विशेष दल नियुक्त करना आवश्यक समझा गया है जो कि स्टॉक की जांच पड़ताल करेगा और इस बात का अनुमान लगायेगा कि कुल कितनी हानि हुई है। उसकी रिपोर्ट आने पर ही उस बारे में कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

इन हानियों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मामलों के बारे में विशेष पुलिस संस्थापन अभी तक जांच कर रहा है और आशा है कि उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। उनमें से एक मामले के बारे में विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के आधार पर कुछ एक कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

माननीय सदस्य का ध्यान ९ मई, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर भी दिलाया जाता है जिसमें इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें और इस बारे में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में बताया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अनुमानित कुल राशियों तथा बट्टे खाते में डाल दी गयी राशियों के बारे में पहले विवरण में तथा इस उत्तर में जो भी आंकड़े दिये गये हैं वे अभी अस्थायी आंकड़े हैं, क्योंकि उसके बारे में और अधिक जांच की जा रही है और उस जांच के बाद ही ठीक ठीक आंकड़े जाने जा सकेंगे।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि ९·५४ लाख रुपये का सामान खराब हो गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह सामान कैसे खराब हुआ था और उस हानि का जुम्मेवार कौन है ?

†**श्री रघुरामैया** : जहां तक इन हानियों का सम्बन्ध है, ये हानियां १९४९ से लेकर १९५७ तक होती रही हैं, उनमें कई बातें सम्मिलित हैं, केवल चोरी या धोखे के कारण नहीं अपितु कई आम कारणों से भी होने वाली--जैसे कि सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण होने वाली--हानियां भी सम्मिलित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक किसी व्यक्ति पर जिम्मेवारी ठहराने का प्रश्न है, विशेष पुलिस संस्थापन इस बारे में जांच कर रहा है। उसने केवल एक ही मामले के बारे में रिपोर्ट दी है, शेष मामले के बारे में जांच अभी की जा रही है। जिस मामले के बारे में उसने रिपोर्ट भेजी है, उस बारे में हमने विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी गजेटिड अफसर का नाम भी लिया गया है या कि केवल क्लर्कों के नाम लिये गये हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : रिपोर्ट में दोनों प्रकार के कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पहले कुल १·७८ करोड़ रुपयों की हानि की सूचना दी गई थी । उस में से ८८ लाख रुपयों की हानि बट्टे खाते में डाल दी गई है । और अब केवल ६०·४ लाख रुपये की हानि की राशि रह गयी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का हिसाब लगाया गया है कि आंकड़ों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है । मैं इसका वास्तविक कारण जानना चाहता हूं ।

†**श्री रघुरामैया** : जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया था, जांच बोर्ड ने कुछ एक मामलों को हानि के मामले माना है, परन्तु प्रविधिक दृष्टि से विचार करने पर यह देखा गया है कि वे वास्तव में हानि के ऐसे मामले नहीं हैं जिनके बारे में हम यह कह सकें कि वे वस्तुयें खो गई हैं । जैसे कि वस्तुओं के खराब हो जाने के कारण होने वाली हानि का मामला ही ले लीजिये । यहां पर वस्तुओं की किस्म खराब हो गयी है और उसी के कारण उनकी कीमत में कमी हो गयी है । या इसी प्रकार के सामान के पुराना हो जाने की बात ले लीजिये । अब वे वस्तुयें किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं हो सकतीं । उन्हें रद्दी के रूप में बेचना पड़ेगा और इसलिये उस पर भी हानि होगी ।

इसी कारण से इस सम्बन्ध में आंकड़ों को घटाना पड़ा है । अब हमने केवल ६२ लाख की वास्तविक हानि के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कहा है । हमने उनसे कहा है कि वे इस बात की जांच करें कि किन किन वस्तुओं की हानि हुई है, और उस हानि को कहां तक हानि कहा जा सकता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी में कुल कितनी राशि का सामान है और ६०·४ लाख रुपयों की राशि को सामान के पुराना होने के नाम पर बट्टे खाते में कैसे डाल दिया गया है । स्टोरों में सामान्यतया ऐसा कितने प्रतिशत पुराना सामान होता है जिसका कोई उपयोग नहीं किया जाता और यह कैसे हो गया कि इस कारखाने में पुराना सामान इस्तेमाल होने योग्य सामान की तुलना में इतना अधिक बढ़ गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह सामान बहुत अरसे से पड़ा हुआ है । माननीय उपमंत्री ने १९४९–५७ तक की जिस अवधि का उल्लेख किया है, वह तो केवल जांच सम्बन्धी अवधि थी । वास्तव में यह सामान महायुद्ध के समय से यहां पड़ा हुआ है और उसका चार्ज लेते समय इस सामान की सूची नहीं ली गई थी । अतः यहां पर १·८ करोड़ की जिस हानि का उल्लेख किया गया है वह वस्तुतः इस अर्थ में हानि नहीं है कि यह सामान गायब हो गया है । यह तो केवल मात्र पुस्तक मूल्य में हानि हुई है । पहले तो उन वस्तुओं का पुस्तक मूल्य अधिक था । परन्तु जब उनकी जांच की गई तो यह ज्ञात हुआ कि या तो वे वस्तुयें पुरानी हो गई हैं या वे इस समय

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सेनाओं के काम नहीं आ सकतीं। इसलिये सैनिक दृष्टि से उसे हम हानि कह सकते हैं। संभव है कि वे वस्तुयें किसी प्रयोजन के लिये उपकारी सिद्ध हो सकें। यह जांच अभी तक चल रही है, और रिपोर्ट आने पर उसकी सम्पूर्ण सामग्री जो आपके काम की हुई आपके सामने पेश कर दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कारखाने के कुल सामान में से कितने प्रतिशत सामान पुराना हो गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय उपमंत्री ने बता दिया है कि ४८·१२ लाख रुपये का सामान पुराना हो गया है। परन्तु बदलते हुये हालात को—और विशेषकर विदेशी मुद्रा पर प्रतिबन्धों को—ध्यान में रखते हुये और हमारे अपने कारखाने में अप्रविधिक प्रवीणता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, हम कुछ कह नहीं सकते कि इस पुराने सामान में से कितने प्रतिशत सामान को हमें फिर से नया रूप दे कर उसका इस्तेमाल करना होगा।

†**श्री उ० च० पटनायक** : जो सामान खराब हो गया है, क्या उसके बारे में कोई जांच की गई है कि क्या यह खराबी केवल मात्र अधिक समय बीत जाने के कारण हुई है, अथवा किसी अफसर की असावधानी के कारण हुई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह जांच कई वर्ष पहले कारखाने के ही एक अपेक्षाकृत कनिष्ठ पदाधिकारी द्वारा की गयी थी। वह पदाधिकारी कोई प्रविधिज्ञ नहीं था। यहां पर वास्तव में खराबी से यह तात्पर्य है कि वह सामान अब वर्तमान स्टैण्डर्ड के अनुसार नहीं रहा है।

†**श्री तिरुमल राव** : माननीय उपमंत्री ने हानियों की मदों के अन्तर्गत लगभग '१७ लाख रुपये की वस्तुओं की कमी' का भी उल्लेख किया है। यहां कमी किस किस प्रकार की हुई है ? क्या वे वस्तुऐं वास्तव में खो गयी हैं या वे वस्तुऐं रजिस्टर में चढ़ायी ही नहीं गयी थीं और उसकी कीमत अदा कर दी गयी थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : माननीय उपमंत्री के उत्तर के दोनों पक्षों पर विचार करना होगा। उन्होंने बताया है कि एक विशेष रजिस्टर से स्टॉक की जांच पड़ताल करने पर कुछ सामान की कमी के कारण होने वाली कुछ हानि का पता चला है। परन्तु एक दूसरे रजिस्टर से जांच करने पर कुछ सामान फालतू निकला है जिसकी कीमत लग भग ५६ लाख रुपये है। इन में से कुछ एक ऐसे कागजात हैं जिन का सम्बन्ध देश स्वातंत्र्य से पहले के काल से है और उनके लिये और अधिक जबाब देना हमारे लिये संभव नहीं है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच नहीं है कि जो अफसर उसका इंचार्ज था, उसका तबादला करके उसे हेडक्वार्टर में भेज दिया गया है और उसे 'स्टाफ एपाइंटमेंट' दे दी गयी है ? वह 'प्रोडक्शन सेक्शन' में है। दूसरे शब्दों में यद्यपि इतनी बड़ी हानि उसके कार्य काल में हुई है, फिर भी उसे पदोन्नति दे दी गयी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह सच नहीं है। पहली बात तो यह कि उस व्यक्ति को कोई पदोन्नति नहीं दी गयी है। वह इस समय हमारे पास काम भी नहीं कर रहा। उसके विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थापन अथवा किसी और व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध सिद्ध नहीं किया गया है। यह स्वाभाविक है कि जब भी किसी अफसर के कार्य काल में कोई बात की जाती है तो उस पर भी आरोप की कुछ छाया पड़ ही जाती है। यहां भी यही स्थिति है। वैसे उसके विरुद्ध कोई भी आरोप

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है । । जहां तक उस के रिकार्ड का संबंध है, वह बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति रहा है और अपने काम में कुशल है। उसे खो कर हमें बड़ा भारी खेद हुआ है। उसने त्याग पत्र दे दिया है' उसे कानून के अन्तर्गत त्याग पत्र देने का हक है। हम उसे एसा करने से रोक नहीं सकते ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या चोरी के मामले के सम्बन्ध में सरकार आज भी उतनी ही सख्त है जितनी कि गत युद्ध के समय थी जब कि केवल एक सिगरेट बाक्स की चोरी जैसे मामलों में अपराध के सिद्ध हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को छः मास की सजा दी गयी थी ?

†**श्री रघुरामैया :** परन्तु जहां तक इस मामले का संबंध है, उस मे चोरी का कोई भी अपराध अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है । विशेष पुलिस संस्थापन मामले की जांच कर रहा है । उसके बाद ही सजा का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

†**श्री गोरे :** हम तो यह जानना चाहतें हैं कि क्या इस प्रकार की इतनी बड़ी हानि ८० लाख रुपये की हानि का मामला किसी और कारखाने में भी हुआ है ?

†**श्री रघुरामैया :** इस डिपो में स्टोर की कोई साधारण अवस्था नहीं थी, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा डिपो था जो कि युद्ध काल में युद्ध संबंधी सारा सामान संभरित करता रहा है । वहां पर लाखों रुपयों का सामान रखा जाता था, परन्तु युद्ध के बाद उसे एक दम बन्द कर देना पड़ा। कुछ समय के बाद उसे फिर से खोल दिया गया और लखनऊ तथा कुछ स्थानों से सामान लाकर वहां जमा कर दिया गया था। इतनी बड़ी अवधि में न जाने किस समय हिसाब किताब में कुछ कमी रह गयी थी। उसकी जांच तो १९४९ से १९५७ तक होती रही है, परन्तु वहां पर सामान का आना जाना युद्ध से भी पहले के समय से ही प्रारम्भ हो गया था। अब हम ने स्थिति को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में यथेष्ट कार्यवाहियां करनी प्रारम्भ कर दी हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस फैक्टरी में कार्य १९४८ में प्रारम्भ किया गया था क्या यह सच है कि स्टॉक की जांच पड़ताल केवल १९५२ में प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो १९४९ से १९५२ तक की अवधि में कितनी प्रतिशत हानि हुई थी ?

†**श्री रघुरामैया :** यह बताना बड़ा कठिन है कि किस किस अवधि में कितनी कितनी हानि हुई थी, जांच के पूरा हो जाने के बाद ही यह जाना जा सकेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं मिला है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास जो जानकारी थी, वह उन्होंने दे दी है ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में ६-५-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१६ के उत्तर की ओर निर्देश किया गया है जो एक जे० सी० ओ० की मृत्यु के बारे में है। क्या उस जे० सी० ओ० ने—जिसकी या तो हत्या कर दी गयी या जिसने आत्महत्या कर ली थी—मरने से पहले जांच बोर्ड के सामने कोई साक्ष्य दिया था ?

†**श्री रघुरामैया :** जे० सी० ओ० ने कोई साक्ष्य नहीं दिया था। उसे साक्ष्य के लिये बुलाया ही नहीं गया था। उसकी मृत्यु सितम्बर में हुई थी, और बोर्ड ने अगस्त में साक्ष्य पूरे कर लिये थे। अतः दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालय सलाहकार समिति

+

*१३३२. श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकालय सलाहकार समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, क्या उस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) उस समिति की सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकारों, आयोजना कमीशन और विश्व-विद्यालय अनुदान कमीशन के भी विचार मांगे गये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के हाथों में कब आ गई थी और इस में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति ने १५ नवम्बर, १९५८ को मंत्रालय के पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मंत्रालय को राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी इस बारे में सलाह करनी है। इस में ऐसी कई सिफारिशें हैं जिनका संबंध राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से है । इसलिये उन से परामर्श किये बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

†**श्री चे० रा०पट्टाभिरामन्** : अब, जब कि रिपोर्ट सरकार के सामने है, क्या सरकार मद्रास की कोन्नेयारा लायब्रेरी और कलकत्ता तथा बम्बई के अन्य पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालयों के रूप में घोषित करने और उन के लिये आवश्यक पुस्तकों आदि की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य जिन पुस्तकालयों की ओर निर्देश कर रहे हैं उन के बारे में तो मुझे पता नहीं है। इस रिपोर्ट का सम्बन्ध इस समिति की कुछ सिफारिशों से है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि उन के अनुमान से कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय हो जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं कोई निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता लेकिन यह कोशिश होगी की जितनी जल्दी हो सके, इस पर निर्णय हो सके ।

---

† मूल अंग्रेजी में

सफेद सीमेंट

*१३३३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, हैदराबाद में सफेद सीमेंट बनाने के लिए निकाली गई विधि व्यापारिक दृष्टि से कहां तक उपयुक्त है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** लेबोरेटरी में पायलेट प्लांट लगाया जा रहा है, जब उस पर जांच होगी तब इसका पता लगेगा ।

[इसके बाद का उत्तर हिन्दी में दिया गया]

श्री नवल प्रभाकर : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि अनुसंधान के जो परिणाम निकले हैं, उससे यह गुण में कैसी होगी ?

श्री हुमायून् कबिर : उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकली है और खास कर जिस में राजस्थान और आंध्र प्रदेश का पोटैशियम फ़ॉस्फ़र और राजस्थान का लाइमस्टोन और जिप्सम लगाया गया, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला ।

श्री नवल प्रभाकर : दूसरी विदेशी कम्पनियों का जो सफेद सीमेंट होता है उसके अनुपात में इसका मूल्य कैसा रहेगा ?

श्री हुमायून् कबिर : मूल्य अन्दाज़न् १७० रुपये पर टन रहेगा और अभी बाज़ार में जो उसकी कीमत है वह २५० रुपये से ३१० रुपये प्रति टन तक है।

पेंशन और उपदान के मामले

†*१३३४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन और उपदान के कितने मामले (१) छः मास से अधिक (२) १२ मास से अधिक और (३) दो वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** मांगी गई जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और वह देश में जगह-जगह पर पेंशन को मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों से एकत्र करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य कृपया वित्त मंत्री द्वारा उत्तर दिये गये लगभग इसी प्रकार के एक प्रश्न (२५ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६) को देखें जिस में बताया गया है कि इन मामलों की संख्या निर्धारित की जा रही है जिस में सम्बन्धित कर्मचारियों की पेन्शन सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष बाद तक निश्चित नहीं हुई। सरकार का विचार है कि उस सिलसिले में जो जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी उस से इस समस्या का अनुमान लगाया जा सकेगा और इस के लिये अलग जानकारी करने में जितना परिश्रम लगेगा उसके अनुसार उस से लाभ नहीं होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे जो लिखित रूप में जानकारी भेजी गयी है उस में और माननीय उपमंत्री के मौखिक उत्तर में अन्तर है। लिखित रूप में भेजे गये उत्तर में तो यह कहा गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी परन्तु अब उन्हों ने कहा है कि जानकारी एकत्र करना लोक-हित में उचित नहीं होगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं ने माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मंत्री द्वारा दिये गये एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित किया है जिस में बताया गया है कि जानकारी एकत्र

†मूल अंग्रेजी में

की जा रही है। मैं ने यह कहा है कि उसके अलावा इस प्रश्न के आधार पर जानकारी एकत्र करने से अधिक लाभ नहीं होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता परन्तु मेरे प्रश्न के उत्तर में निश्चित रूप से यह कहा गया था कि जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी। परन्तु अब लिखित रूप से दिया गया आश्वासन वापस लिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उत्तर को ठीक प्रकार नहीं समझ रहे हैं। मंत्री महोदया ने कहा कि पहले एक प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि इसी प्रकार के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने उनका आंकड़ों के अतिरिक्त और आंकड़े भी मांगे हैं । उप मंत्री ने उत्तर दिया है कि मांगे गये नये आंकड़ें एकत्र करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उन से उतना लाभ नहीं होगा ।

पहले प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े एकत्र करने का आश्वासन दिया गया था वह वापस नहीं लिया जा रहा है । वे आंकड़े एकत्र किये जायेंगे । यदि माननीय सदस्य और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि वह उत्तर को ठीक प्रकार नहीं समझ सके।

†**हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने जो नये आंकड़े मांगे हैं उन्हीं के बारे में मुझे लिखित उत्तर में यह कहा गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उसी प्रश्न के उत्तर में सभा के समक्ष यह दूसरा उतर दिया जा रहा है। लिखित उत्तर मुझे अभी-अभी नोटिस आफिस से मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें उसकी प्रति कैसे मिली ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नोटिस आफिस से ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह ख्याल था कि यह पहले प्रश्न के बारे में है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी और वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में कोई मूल भूत अन्तर न था वित्त मंत्री ने उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह भी समझने की कोशिश करें कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं । उनका कहना है कि पहले प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा गया वह उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। उन्हें नोटिस आफिस से एक विवरण मिला है कि उन के प्रश्न सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं । माननीय मंत्री, उपमंत्री उस उत्तर को कैसे बदल सकते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मालूम नहीं उन्हें वह कैसे मिला । मैं उसका पता लगाऊंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अभिलेखों से पता लगाऊंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह देखते हुए कि वित्त मंत्रालय इस समस्या की ओर काफी ध्यान देता रहता है क्या वह हमें पेनशन के बकाया मामलों की संख्या मोटे तौर पर बता सकता है और इनका निबटारा करने में विलम्ब के मुख्यत: क्या कारण होते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इसका उत्तर मैं दे चुकी हूं ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या सरकार एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों का शीघ्र निबटारा करने के बारे में कोई निदेश देने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह निदेश दिया जा चुका है। माननीय सदस्य कृपया वित्त मंत्री द्वारा २ मार्च को दिये गये उत्तर को देखें। उन्हों ने कहा था कि यह प्रयत्न किया जा रहा है कि सेवानिवृति पाते ही पेंनशन का मामला तय हो जाये।

†**श्री सोनावने** : क्या उपदान और पेनशन के दावे का निबटारा होने तक जरूरत मन्द लोगों को कोई तदर्थ भुगतान भी किया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अस्थायी पेनशन दी जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संगठन तथा रीति विभाग से परामर्श कर के एक समिति कोई ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये नियुक्त की गई थी जिस से बकाया मामलों का निबटारा शीघ्र किया जा सके। क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और उन्हो ने मामलों का निबटारा करने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समिति ने प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। प्रक्रिया सम्बन्धी सिफारिशें वित्त मत्री द्वारा दिये गये निदेशों से कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को कौन से तारांकित प्रश्न के उत्तर में नोटिस आफिस से विवरण मिला है ? मेरे पास एक उत्तर की प्रति है जो उप मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से बिलकुल मिलती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह प्रश्न संख्या १३३४ है। इसके नीचे ८८६ लिखा है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने अपने उत्तर में प्रश्न संख्या ८८६ का उल्लेख किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य गलती पर थे।

वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प

†*१३३६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प को कार्यान्वित करने सम्बन्धी अद्यतन स्थिति क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : इस कार्यवाही के अतिरिक्त जिसकी सूचना संसद् को दी जा चुकी है सरकार ने प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन और भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में काम करने वाले वैज्ञानिक कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति करने और पेशगी वेतन वृद्धि करने की योजना स्वीकृत की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. सरकार उस योजना पर विचार कर रही है जो अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा परिषद् ने टैक्नीकल शिक्षा में काम करने वाले अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये तैयार की है ।

३. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने डा० डी० एस० कोठारी के अधीन एक समिति नियुक्त की है जो वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल जानकारी की केन्द्रीय संस्था स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ।

४. अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा स्थापित करने की योजना का क्या हुआ ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मालूम नहीं माननीय सदस्य का संकेत किस ओर है । ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है । पहले से ही कई वैज्ञानिक सेवायें मौजूद हैं जिन में से कुछ एक अखिल भारतीय सेवायें हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प में एक यह सुझाव था कि एक अखिल भारतीय वैज्ञानिक सेवा स्थापित की जानी चाहिये । उसका क्या हुआ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : पेरा ७ में वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प को कार्यान्वित करने की व्याख्या की गई है परन्तु उस में अखिल भारतीय सेवा का निश्चित रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक विशेषज्ञों का कोई संवर्ग स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था में है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वह और मामला है । एक केन्द्रीय संवर्ग स्थापित करने की सिफारिश की गई थी और उस पर कार्यवाही शुरू करदी गई है । यह निश्चय किया गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त टैक्नीकल कर्मचारियों का एक संवर्ग तैयार किया जायेगा जिसमें २५ प्रतिशत व्यक्ति भारतीय शिक्षा प्राप्त और डिग्रियां प्राप्त होंगे । विज्ञापन भेजे जा चुके हैं और इसकी स्थापना की जा रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्नातकोत्तर स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हर प्रकार के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गणतन्त्र दिवस समारोह

†*१३३७. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गणतन्त्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कोई विदेशी छात्र सैनिक भी आमन्त्रित किये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन देशों से ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्र मंडल के प्रत्येक देश को अधिक से अधिक तीन छात्र सैनिक भेजने के लिये कहा गया था । इस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर ब्रिटेन से ३ और लंका और घाना से दो-दो छात्र सैनिक आये थे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इसका खर्च कहां से किया गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : आने जाने का खर्च उनके देशों ने किया था और यहां वे भारत सरकार के अर्थात् प्रतिरक्षा मंत्रालय के मेहमान थे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पता चला है कि ब्रिटेन के छात्र सैनिक हमारे गणतन्त्र दिवस समारोह से बड़े प्रभावित हुए थे । क्या अगले वर्ष विभिन्न देशों से अधिक छात्र सैनिक बुलाने का विचार है ?

†**सरदार मजीठिया** : हम प्रत्येक वर्ष छात्र सैनिकों से कहते रहे हैं कि वे गणतन्त्र दिसव परेड देखने भारत आयें, अगले वर्ष भी उन्हें कहा जायेगा ।

†**श्री तिरुमलराव** : निमन्त्रण भेजने की नीति क्या है ? क्या यह राष्ट्रमंडलीय देशों तक ही सीमित है ?

†**सरदार मजीठिया** : ऐसे निमन्त्रण दोनों ओर से भेजे जाते हैं । वे हमें बुलाते हैं, हम उन्हें । असल बात बस यही है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या पाकिस्तान को निमन्त्रण भेजा गया था और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं ने बताया कि सभी राष्ट्रमंडलीय देशों को निमन्त्रण भेजे गये थे जिन्होंने अपने छात्र सैनिक भेजने ठीक समझे उन्होंने भेज दिये ।

नाव दुर्घटना

†*१३३९. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन नाव में गृह-कार्य उप मंत्री अन्दमान से लौट रही थीं वह उलट गई और वह खतरे में थी ; और

(ख) इस दुर्घनटना का क्या कारण था ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) कार निकोबार से वापसी पर एम० बी० निकोबर जहाज में बैठने के लिये गृह-कार्य उप मंत्री जिस नाव में बैठ कर आ रहीं थीं वह उलट गई और वह कुछ खतरे में पड़ गईं थीं ।

(ख) समुद्र में तूफान के कारण ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस यात्रा में उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? क्या हम यह समझें कि उप मंत्री इसकी पुनरावृति नहीं होने देंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** इसकी पुनरावृति नहीं होगी । यह दुर्घटना इसलिये हुई कि जब हम कार निकोबार द्वीप पर उतरे थे तब हम दो नावों को एक तख्ते से बांध कर उन में बैठे थे और पुनः हम ने वैसा ही किया ।

लोहे और इस्पात के कबाड़ का जापान को निर्यात

†***१३४०. श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में जापान को लोहे और इस्पात के कबाड़ का कुल कितना निर्यात किया गया । और उसका मूल्य क्या था; और

(ख) १९५९ में जापान ने और कितनी मात्रा में आयात करने का वायदा किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) १९५८ में जपान को लगभग १.०५ लाख टन लोहे और इस्पात के कबाड़ का निर्यात किया गया जिसका कुल मूल्य लगभग १६५ लाख रुपये था ।

(ख) १९५९ में की जाने वाली खरीद के बारे में जापान ने क्या वायदा किया यह सरकार को मालूम नहीं है । आशा है कि १९५९ में जापान भारत से कबाड़ खरीदेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह नगद भुगतान पर भेजा जा रहा है या कि वस्तु विनिमय के आधार पर ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** कबाड़ का निर्यात किया जाता है जिस के बदले में हम तैयार इस्पात का आयात करने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** भारत में लोहे के कारखाने को लोहे और इस्पात के कबाड़ की ज़रूरत पड़ती है और यहां पहले ही इसकी कमी है तब इसका निर्यात करने की अनुमति क्यों दी जाती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** हमारी नीति के अनुसार आन्तरिक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है और उसी वस्तु को निर्यात किया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती और गत दो तीन वर्षों में देखा गया है कि निर्यात उन्हीं किस्मों का होता है जो देश में प्रयोग नहीं होती हैं । इस से विदेशी मुद्रा की आय होती है इसलिये जिन वस्तुओं की देश में जरूरत नहीं होती हम उनका निर्यात करते रहे हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि गत दो तीन वर्षों में देश में कुछ ऐसे कारखाने कच्चा माल न मिलने के कारण बन्द हो गये जो लोहे का कबाड़ इस्तेमाल करते थे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं । मुझे ऐसा किसी मामले का पता नहीं चला । यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष मामले के बारे में ज्ञात हो तो वह मुझे यह जानकारी दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व शिक्षा देना

†*१३४१. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई उत्तर इस बारे में मिला है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित आदिम जातियों के उमीदवारों के परीक्षा पूर्व शिक्षण के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्यवस्था की जाए ;

(ख) याद हां, तो क्या उत्तर मिला ; और

(ग) यह योजना आरम्भ करने के लिये अन्य कितने विश्वविद्यालयों से कहा गया था ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इलाहबाद में क्लासें आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है ।

(ग) चार अन्य विश्वविद्यालयों अर्थात् बम्बई, आगरा, मद्रास और कलकत्ता से कहा गया था ।

†**श्री बै० च० मलिक** : यह योजना कब से चालू होगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : हम ने कई विश्वविद्यालयों को लिखा था । केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार किया है । पिछले मास १०० प्रशिक्षणार्थियों के लिये क्लासें शुरु करने के लिये राशि स्वीकृत कर दी गई है । अनुमान है कि इस पर ३०,५६०, रुपये खर्च होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह योजना कब चालू होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : यह अगस्त, १९५९ में चालू होगी ?

†**श्री बै० च० मलिक** : क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह बताया है कि उमीदवारों का चुनाव किन आधारों पर किया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उमीदवारों में से चुनाव किया जायेगा ।

†**श्री जाधव** : शिक्षण कितनी देर के लिये होगा और क्या यह निःशुल्क होगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : मैंने बताया कि इस शिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों को रुपया दिया जायेगा । छात्रों के रहने खाने और पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क होगी ?

†**श्री बै० च० मलिक** : इस शिक्षण की अवधि क्या होगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : एक शिक्षा सम्बन्धी वर्ष ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है ; और यदि हां; तो एक बार में प्रत्येक विश्वविद्यालय में कितने छात्र प्रशिक्षित किये जायेंगे ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** हम ने योजना तो बनाई है परन्तु विश्वविद्यालय इस के लिये तैयार नहीं है।

†**श्री सोनावने :** अन्य विश्वविद्यालय किन कारणों से इस योजना को स्वीकार नहीं करते और उन्हें इसके लिये तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यदि ये विश्वविद्यालय योजना को स्वीकार कर के अपने प्रस्थापनायें भेज दें तो उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा।

†**श्री स० क० अकमुगम :** माननीय उपमंत्री ने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है । क्या वह इस वर्ष से इसे चालू करेंगे ?

†**श्रीमती आल्वा :** मद्रास ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** कितने छात्रों को रखने की व्यवस्था होगी और प्रत्येक को कितनी छात्रवृत्ति दी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** एक बार में १०० छात्र प्रशिक्षित किये जायेंगे और उनके निर्वाह के लिये उन्हें पर्याप्त राशि दी जायेगी।

†**श्री सोनावने :** और विश्वविद्यालयों ने इस योजना को क्यों स्वीकार नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हीं से पूछिये।

†**श्री गो० ब० पन्त :** ऐसा प्रतीत होता है कि वे विश्व विद्यालय समझते हैं कि उनका काम साधारण शिक्षा प्रदान कराना है 'कोचिंग' करना नहीं और इन्हीं रूढ़िवादी विचारों पर डट कर उन्होंने इसे नहीं अपनाया है ।

†**श्री सोनावने :** परन्तु यह अच्छा नहीं. . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** सम्भव है यह ठीक हो। माननीय सदस्य के पांच सदस्य विधान सभा में हैं। उन में से एक को राजी कर के वह यह प्रश्न राज्य विधान सभा में उठा सकते हैं।

वेतन बचत योजना

†*१३४५. **श्री गोरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा आयोग की वेतन बचत योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** इस सुझाव पर पिछले वर्ष विचार किया गया था। किन्तु वह व्यावहारिक नहीं जान पड़ा।

†**श्री गोरे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सुविधायें जीवन बीमा निगम बनने से पहले कुछ विभागों जैसे रेलवे में उपलब्ध थीं, क्या सरकार इस योजना में शीघ्रता करने पर विचार नहीं करेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अब तक लेखा पदाधिकारियों को वेतन बिलों में जो कमी की जाती है उसके कारण ठीक-ठीक हिसाब लगाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः लेखाओं को अन्तिम रूप से तैयार करने में कभी-कभी इसके कारण विलम्ब भी हो जाता है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार यह समझती है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये यह योजना लागू कर सके।

†**श्री तंगामणि :** कुछ गैर-सरकारी नियोजकों ने यह योजना पहले ही स्वीकार कर ली है। यदि कठिनाई केवल लेखा सम्बन्धी है, तो सरकार १० करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के रूप में प्राप्त करने के लिये क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** जहां तक अराजपत्रित कर्मचारियों का संबंध है, सरकार यह समझती है कि बीमा कराने वाले स्वयं ही प्रीमियम के बारे में उत्तरादायी होने चाहिये यदि वेतन बांटने वाले अधिकारियों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया कि वे वेतन बिलों में प्रीमियम की राशि काट लिया करेंगे तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जीवन बीमा निगम को प्रीमियम देने का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। यदि बीमा कराने वाले पर प्रीमियम देने का उत्तरदायित्व न रखा गया तो उस से अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। जहां तक राजपत्रित पदाधिकारियों का संबंध है, इस बारे में हिसाब संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं, इस कारण हम यह नहीं समझते कि हम लोग इस स्थिति में हैं कि इस योजना को चला सकें।

†**श्री तंगामणि :** इस समय लगभग ६० लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीमा कराया हुआ है और प्रति-वर्ष दी जाने वाली बीमे की राशि इस समय लगभग १० करोड़ रुपये है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बहस कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि :** जिन लोगों का बीमा हो चुका है उन से इस समय कम-से-कम १० करोड़ रुपया मिल रहा है। यदि यह योजना आरम्भ कर दी गयी तो १० करोड़ रुपये की आय सरकार को और हो सकेगी। केवल हिसाब संबंधी कठिनाई से सरकार को इस योजना को स्थगित नहीं देना चाहिये।

†**श्री गोरे :** जीवन बीमा निगम के बनने से पहले उदाहरण के लिये रेलवे विभाग में रेलवे कर्मचारियों के लिये यह योजना मौजूद थी। यह योजना फिर वापस क्यों ले ली गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अनुभव से पता लगा कि इसका भार ऐसा है जो गणना पद्धति सहन नहीं कर सकेगी। इस से मैं नहीं समझता कि बीमा व्यवसाय पर कोई असर पड़ेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या १३४६—श्री रा० स० तिवारी।

†**एक माननीय सदस्य :** वह उपस्थित नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न—श्रीमती इला पालचौधरी।

†**कुछ माननीय सदस्य :** श्रीमती इला पालचौधरी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या का ध्यान इधर नहीं है। प्रश्न संख्या १३४८।

---

† मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत में खनिज सर्वेक्षण

†*१३४८. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण -भारत (आन्ध्र, मैसूर, केरल तथा मद्रास) के पहाड़ी क्षेत्रों में आधार भूत धातुओं की गहन खोज करने के बारे में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** इस देश में आधार भूत धातुओं की खोज गहन रूप में करने और उसे तीव्र गति देने के लिये भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में एक आधारभूत धातु अनुभाग की स्थापना की गई है । इस एकक का सम्पूर्ण प्रभारी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। वह संगठन संबंधी ब्योरा तथा भारत के उन सभी क्षेत्रों का सीमांकन कर रहा है जिन में प्राथमिकता के आधार पर गहन कार्य करने की आवश्यकता है ।

इस एकक का कार्य-क्रम अन्तिम रूप से शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है और यह कार्य तभी होगा जब कि यह निश्चय रूप से कहा जा सके कि इस एकक द्वारा दक्षिण भारत के किन-किन भागों में यह कार्य किया जा सकता है ?

†**श्री इलयापेरुमाल :** क्या मदुरा ज़िले के निकट एक पहाड़ी के बारे में मंत्रालय को पता लगा है कि जहां लोहे के निक्षेप काफी मात्रा में मौजूद हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने कुछ भागों का नक्शा तैयार किया है तथा उसे इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में निक्षेप हैं।

†**श्री नरसिंहन् :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अणु शक्ति आयोग को मदुरा और सेलम ज़िलों में यूरेनियम वाली चट्टानें हैं, क्या भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण और आगे गवेषणा करने में उसकी सहायता करेगा और क्या और आगे जांच-पड़ताल करेगा अथवा, अणु शक्ति पर ही स्वयं आगे का कार्य छोड़ दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण अणु शक्ति आयोग की बिना किसी प्रकार की आना कानी किये सहायता करेगा ।

†**श्री नरसिंहन् :** मदुरा और सेलम ज़िलों में यूरेनियम वाली चट्टानों की खोज भारत के भूत्वीय सर्वेक्षण ने की थी अथवा अणु शक्ति आयोग ने ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अणु शक्ति आयोग उसके लिये विषेश महत्व वाले खनिजों की खोज और उसका पता लगाने के बारे में अपना अलग संगठन है।

†**श्री चे०रा०पट्टाभिरामन :** क्या कोई उपामिटिक सर्वेक्षण इन यूरेनियम तथा अन्य अयस्कों वाली चट्टानों का किया जायेगा और उन्हें चिन्हित कर दिया जायेगा जिस से उनका दुरुपयोग न किया जा सके तथा इतना विदोहन न किया जाये जिस से उन में से आगे कुछ निकल ही न सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री आचार :** यह पश्चिमी तट अर्थात् दक्षिण कनारा और उत्तर कनारा का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इसके लिये अलग से प्रश्न पूछना चाहिये क्योंकि उस से कुछ लाभदायक जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

†**श्री पाणिग्रही:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क निक्षेप कितनी मात्रा में हैं; इसके बारे में कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, यदि ऐसा है, तो उसका प्रतिवेदन क्या है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहां तक देश में लौह अयस्क के निक्षेपों का संबंध है, समय-समय पर भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इस बारे में बहुत काफी काम किया है और इस समय जहां तक पता लगा है उस से यही जान पड़ता है कि भारत इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहां लौह अयस्क के निक्षेप न केवल बहुत काफी मात्रा में पाये जाते हैं अपितु उनकी किस्म भी बहुत अच्छी है। इस खनिज की मात्रा का पता लगाने के लिये मैं समझता हूं कि किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री स० र० अरुमुगम :** क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास राज्य के निलगिरी जिले में काफी लौह अयस्क उपलब्ध है और क्या सरकार ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि दक्षिण के काफी हिस्सों में लौह अयस्क पाया जाता है जिनमें से कुछ निक्षेपों में तो यह बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है तथा उस बस्ती में लौह अयस्क पाये जाने के बारे में समय-समय पर बताया भी जा चुका है।

माननीय सदस्य यदि किसी स्थान विशेष के बारे में पूछ रहे हों तो एक दम मैं नहीं बता सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती इला पालचौधरी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** संख्या १३४७ धन्यबाद, श्रीमन।

स्टानवाक द्वारा तेल सर्वेक्षण

*१३४७. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री पश्चिमी बंगाल में स्टानवाक द्वारा की गई तेल की खोज सम्बन्धी प्रगति की नवीनतम स्थिति बताने की कृपा करेंगे :

†**इस्पात, खान तथा तेल मंत्री के सभा सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** इस कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल की तलहटी में विशद भूतत्वीय भू-भौतिकीय खोज की है इसने संबंधित क्षेत्र में फोटोजिओमारफोलोजिकल सर्वेक्षण भी किया है जिसके परिणाम का अध्ययन किया जा रहा है। यह पहले ही ५ कुंओं का छिद्रण-कार्य करा चुकी है और ६वें कुंये का छिद्रण हो रहा है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि छटा कुआं भी सूख जायेगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** दार्जीलिंग जिले में छिद्रण-कार्य की क्या प्रगति है जहां यह कहा जाता है कि कुछ तेल का पता लगा है?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** बर्दवान, गलसी, जलांगी, देबग्राम तथा बोलपुर में पहले से ही कुओं की खुदाई की जा चुकी है। रत्नाघाट में छटा कुआं खोदा जा रहा है। माननीय सदस्या अपने भूगोल के ज्ञान से इन जिलों का पता लगा सकती हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : क्या कम्पनी ने इस क्षेत्र में तेल के सर्वेक्षण का काम समाप्त कर दिया है अथवा वह अब भी जारी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं। उसने अभी यह काम बन्द नहीं किया है, वह अभी भी जारी है। रत्नाघाट में कुआं खोदा जा रहा है तथा पहले से ऐसा जान पड़ता है कि शायद उससे गैस पैदा हो सके यद्यपि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उससे अधिक दबाव वाली अथवा कम दबाव वाली कौन सी गैस बनाई जा सकेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास मंत्रणा समिति

†*१३२५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास मंत्रणा समिति की तब से कोई बैठक हुई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां, पहली बैठक २८ जनवरी, १९५९ को हुई थी ।

(ख) गवेषणा परियोजनाओं के लिये सहायतानुदान देने और कुछ विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं गवेषणा संस्थाओं को गवेषणा कार्य आवंटित करने पर सामान्य रूप से चर्चा की गई थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां

†*१३२९. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने छात्रों को छात्रवृत्ती दी गई हैं ;

(ख) क्या इन छात्रवृत्तियों के पाने वाले छात्रों द्वारा कोई बांड भरवाया गया था ;

(ग) किस प्रकार का बांड भरवाया गया था ; और

(घ) कितने छात्र ऐसे थे जो बांड की शर्तों का पालन करने में असफल रहे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]**

---

† मूल अंग्रेजी में

आसाम तेल क्षेत्र से तेल शोधक कारखानों तक पाइप लाइन

†*१३३५. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत तेल का संभरण बनाये रखने और आसाम तेल क्षेत्र से लेकर बिहार तेल शोधक कारखाने तथा आसाम तेल शोधक कारखाने तक पाइप लाइन बनवाने के लिये प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पाइप लाइन की दोनों अवस्थाओं का साथ साथ बनवाने का विचार है। पहली अवस्था १९६१ में और दूसरी अवस्था १९६२ में पूरी हो जाने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश में गैर हिमाचलियों को नौकरी

†*१३३८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा लोक रोजगार अपेक्षा अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों की उपेक्षा करके गैर हिमाचलियों को अधीनस्थ एवं अराजपत्रित स्थानों पर नौकरी देने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जनता की शिकायतें कम करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० व० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) शिकायतों के गुणावगुणों पर ध्यान न देते हुये, प्रशासन से यह कह दिया गया है कि वह ऐसे स्थानों पर नियुक्ति करते समय हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों का विशेष ध्यान रखे ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*१३४२. **श्री बोडयार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काठपाड़ा, करनपुरा, कोरवा तथा अन्य क्षेत्रों में खनन अधिकार प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उनके मालिकों को अब तक कितना प्रतिकर दिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अब तक गिडी के कठारा क्षेत्र और करनपुरा क्षेत्र में सौंडा और बचरा में खनन अधिकारों के संबध में मांग की गई है। कठारा क्षेत्र के लिये लगभग २३ लाख रुपये की मांग की गई है जिसकी मांग कठारा कोयला कम्पनी लिमिटेड द्वारा की गई है। चूंकि प्रतिकर का दावा दो और पक्ष कर रहे हैं, इस कारण इस मामले का निदश कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अधीन स्थापित न्यायाधिकरण को कर दिया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत कुल प्रतिकर राशि साथ ही न्यायाधिकरण के पास

---

†मूल अंग्रेजी में

जमा कर दी जायेगी। करनपुर क्षेत्र के लिये दावेदार मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी है। उसने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास पहले जो दावा प्रस्तुत किया था उसका पुनरीक्षण करके दुबारा प्रस्तुत करने के लिये कुछ समय मांगा है।

दिल्ली के लिये बिक्री कर आयुक्त

†*१३४३. **श्री दा० रा० चावन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये बिक्री कर आयुक्त की नियुक्त करने के विनियमन के बारे में निगम दिल्ली प्रशासन और लोक लेखा आयोग ने बनाये थे जिनमें यह व्यवस्था की गई थी कि इस पद पर कार्यकाल के आधार पर कोई भारतीय प्रशासन सेवा अथवा भारतीय रेलवे सेवा का कोई व्यक्ति होना चाहिये ;

(ख) क्या बिक्री कर आयुक्त के पद पर इस समय भारतीय प्रशासन सेवा अथवा भारतीय रेलवे सेवा का कोई पदाधिकारी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार इस पद की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पिछले अगस्त में जबकि यह पद खाली हुआ तो इस पद के लिये जब तक स्थायी रूप से चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिये इस पद पर वर्तमान पदाधिकारी की नियुक्ति अस्थायी रूप से कर दी गई है।

सशस्त्र सेनाओं के लिये स्वचालित राइफलें

†*१३४४. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सशस्त्र सेनाओं को स्वचालित राइफलें देने का कोई विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को शस्त्र उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में बहुपति प्रथा

*१३४६. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में अब भी बहुपति प्रथा प्रचलित है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) सरकार को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती।

---

†मूल अंग्रेजी में

मौलाना आज़ाद के संस्मरण

†*१३४९. **श्री उ० च० पटनायक :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभिलेखागार में दिवंगत मौलाना आज़ाद के संस्मरण अथवा उनकी आत्म-कथा सुरक्षित रखी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास जो मुहरबन्द लिफाफा है उसमें मौलाना आज़ाद की आत्म-कथा के द्वितीय खंड का पूरा विवरण होगा, जो २२ फरवरी, १९८८ के पश्चात्, अर्थात् उनकी मृत्यु के तीस वर्षों के बाद खोला जायेगा । प्रकाशन का प्रश्न भी उस तारीख के बाद ही उत्पन्न होगा ।

लेटराइट पत्थर

*१३५०. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के रत्नगिरि जिले में लेटराइट पत्थर की बड़ी-बड़ी खानें मिली हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क), (ख) और (ग) . रत्नगिरि जिले में लेटराइट पत्थर की मौजूदगी का कुछ समय से पता चला है । जिले की व्यवस्थित मानचित्रकारी के दौरान भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजे गये लेटराइट के अलावा लेटराइट की अन्य किसी नई खोज की रिपोर्ट नहीं मिली है । ऐसा मालूम हुआ है कि पदार्थ अच्छी किस्म का नहीं है । इस जिले में लेटराइट पत्थर का सर्वेक्षण करने के लिये कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । क्योंकि भूमीक्षण के आधार पर भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पहले ही इसका मान-चित्रण किया जा चुका है ।

एलाय तथा टूल स्टील परियोजना

†*१३५१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एलॉय तथा टूल स्टील परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन विदेशी फर्मों ने प्राक्कलन भेजे हैं ;

(ग) किन-किन मदों के लिये प्राक्कलन मांगे गये हैं ;

(घ) अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये क्या किसी विदेशी पार्टी को चुना गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना प्रतिवेदन में क्या जानकारी दी गई है तथा यह प्रतिवेदन किन शर्तों पर तैयार किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) विशेष आकार-प्रकार के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है ।

(ख) और (ग). ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा पोलैण्ड इन चार देशों की फर्मों ने (१) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने; (२) निर्माण काल में इंजीनियरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और (३) निर्माण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये ज्ञान प्राप्त कराने के बारे में उद्धरण भेजे हैं ।

(घ) जी नहीं, अभी नहीं ।

(ङ) परियोजना प्रतिवेदन में सिविल इंजीनिरिंग और निर्माण के लिये संयंत्र और सामान तथा डिजाइन संबंधी विस्तृत जानकारी दी हुई होगी जिससे सरकार टेंडर मांग सके। इस प्रतिवेदन में प्राक्कलित, विनियोग, उत्पादन की अनुमानित लागत, अपनाया जाने वाला तरीका तथा कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी आदि सारी संगत जानकारी दी हुई होगी ।

नेपाल में भारतीय डाक्टर की मृत्यु

†*१३५२. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री वारियर : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ फरवरी, १९५९ को नेपाल में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय डाक्टर की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन कारणों से हुई और कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां, डा० जे० एस० अग्रवाल, जो वनस्पति शास्त्र के लेकचरार थे और जिनकी प्रतिनियुक्ति भारत की सहायता कार्यक्रम के अधीन नेपाल में की गई थी, २७ फरवरी, १९५९ को नेपाल में एक सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गई।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

डा० जे० एस० अग्रवाल को २७ फरवरी, १९५९ से आरम्भ होने वाले भारत के शैक्षिक दौरे पर श्री चन्द्र कालेज काठमांडू के छात्रों के एक दल के साथ जाना था। यह दल जिसमें १७

†मूल अंग्रेज़ी में

छात्र और डा० अग्रवाल के अतिरिक्त कुछ अन्य यात्री थे, २७ फरवरी, १९५९ को एक खुली ट्रक में लगभग ७ म० पू० को काठमांडू से रवाना हुआ था। थानकोट से तीन मील आगे जाकर जबकि ट्रक एक बड़े ढलान से होकर उतर रहा था उसकी मशीन में कुछ खराबी हो गई तथा वह खड्ड में से होकर एक नाले में जाकर चकनाचूर हो गया जो सड़क से लगभग ५०० फुट की गहराई में था। डा० अग्रवाल तथा एक छात्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि अन्य छात्रों को विभिन्न प्रकार की चोटें आईं। वीर तथा अमरीकी मिशन अस्पतालों में जहां ये घायल लोग भर्ती किये गये थे, अब तक छः और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इनमें से एक यात्री था तथा और सारे छात्र थे।

विमान बल में सरकारी निधियों का प्रबन्ध

†*१३५३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान बल में सरकारी निधियों के प्रबन्ध के बारे में पता लगाने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक वित्त निगम

†*१३५४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सोदेपुट ग्लास वर्क्स से सौदा करने के परिणामस्वरूप निगम को जो लगभग आध करोड़ रुपयों का जो नुकसान हुआ उसे पूरा करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम प्रत्याभूति देने वालों से इस मामले को तय करने का प्रयत्न कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनसे कुछ राशि वसूल की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) निगम को जिन लोगों ने प्रत्याभूति दी थी उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

(ख) प्रत्याभूति देने वालों के पास से यदि कोई सन्तोषजनक प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो निगम इस मामले में न्यायालय की शरण न लेकर भी मामले को तय कर लेगा।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड में हवाई जहाजों का निर्माण

†*१३५५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड बंगलौर में तैयार किये गये हवाई जहाजों से प्रतिरक्षा की आवश्यकता की कहां तक पूर्ति होती है ;

(ख) १९५८ में आयात किये गये विभिन्न प्रकार के हवाई जहाजों का मूल्य कितना था ; और

(ग) इस संबंध में सरकार कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) बंगलौर में ट्रेनर हवाई जहाज तथा कुछ वेम्पायर हवाई जहाजों के कुछ भाग बनते हैं ।

(ख) जानकारी बताना लोक-हित में नहीं है ।

(ग) हवाई जहाजों की आवश्यकता के बारे में सरकार कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा, यह अभी बताना संभव नहीं है ।

कच्चे लोहे का निर्यात

†*१३५६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने कच्चे लोहे का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या उक्त काल में कच्चे लोहे की मांग की पूर्ति हो गई थी विशेषकर छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों की ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि देश में निर्माण कार्य करने वाले एककों को विशेषकर बिहार में कच्चे लोहे का पर्याप्त संभरण न होने से हानि उठानी पड़ रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १९५८ में कच्चे लोहे का निर्यात नहीं किया गया था ।

(ख) अवधि ३/१९५८ के बाद से सभी ढलाई कारखानों की सारी मांग पूरी हो जाती है ।

(ग) जी नहीं, संभरण की स्थिति ऐसी है कि कच्चे माल की पूर्ति हो जाती है ।

राज्यपालों की शक्तियां

†*१३५७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के उच्च न्यायालय के जस्टिस के० शंकरन द्वारा राज्यपालों की माफी देने और सजा में कमी करने की शक्ति में कटौती करने के संबंध में व्यक्त किये गये विचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार ने क्या इस पर कुछ विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां। केरल सरकार द्वारा प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं।

(ख) राज्य सरकार से आशा की जाती है कि वह जांच आयोग जिसकी नियुक्ति उसने की थी, के कथन तथा सुझावों पर उचित ध्यान देगी। इस संबंध में यहां कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बच्चों का अपहरण

†*१३५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का पता लगाने के लिये कि मौजूदा क़ानून बच्चों के अपहरण और बच्चों का शरीर विकृत कर देने की समस्या का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं या नहीं, जो अध्ययन किया जा रहा था उसमें और क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इस संबंध में भारत सरकार ने जो अस्थायी निष्कर्ष निकाले हैं, उन पर राज्य सरकारों के विचारों का अध्ययन किया जा रहा है।

विदेशी ऋण

†*१३५९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) गैर-सरकारी सार्थों द्वारा लिये गये विदेशी ऋण का ब्याज भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा या स्वयं सार्थों द्वारा ; और

(ख) सेवा भार (सर्विस चार्जेज) क्या हैं और उसको कौन वहन करेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) गैर-सरकारी सार्थों द्वारा लिये गये विदेशी ऋणों पर व्याज वे स्वयं सीधे विश्व बैंक को देंगे जिससे ये सब ऋण लिये गये हैं।

(ख) सेवाभार, जिसे कि बैंक के करार के अनुसार 'कमीशन' कहा जाता है, १ प्रतिशत प्रतिवर्ष देना होता है और यह कर्जदारों द्वारा वहन किया जाना होता है।

भारतीय वायु सेना के लिये आटो-कार रिफ्यूलर[1]

†*१३६०. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री वारियर : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के इस्तेमाल के लिये आटो-कार रिफ्यूलर्स (बोसर्स) पुनः बनाने के लिये एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्या क्षमता होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।
[1]Auto—Car Refuellers

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) भारतीय वायु सेना के इस्तेमाल के लिये आटो-कार रिफ्यूलर्स (बोसर्स) पुनः बनाने के लिये कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया जा रहा है। इनरिफ्यूलरों के पुनर्निर्माण और उनके ठीक करने का काम वायु सेना द्वारा अवादी में किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

करायकुदी गवेषणा संस्था

†*१३६१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में करायकुदी गवेषणा संस्था ने एक नयी किस्म की 'प्राइमरी वैट बैटरी' तैयार की है जिसमें देशी और सुलभ सस्ते हिस्सों (कम्पोनेंट्स) का प्रयोग होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इसको वाणिज्यिक आधार पर तैयार करने के लिये आवश्यक पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) इसके वास्तविक प्रयोग में परीक्षण किये जा रहे हैं। जब ये परीक्षण सफल हो जायेंगे तो इसका वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जी, हां।

एकीकृत कर ढांचे के बारे में प्रो० काल्दर के सुझाव

†*१३६२. **श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री केशव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि प्रो० निकोलस काल्दर ने भारत के एकीकृत कर ढांचे में मिलाये जाने वाली हिन्दू मिताक्षरा सहअंशी सम्पत्ति पर जन्म शुल्क लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने और भी कुछ कर प्रस्तावों का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का वास्तविक स्वरूप क्या है ; और

---

†मूल अंग्रजी मे

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). उनके सुझाव सरकार द्वारा १६ जून, १९५६ को प्रकाशित 'भारतीय कर सुधार' संबंधी रिपोर्ट में दिये गये हैं। उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भेजी जा चुकी हैं ।

(घ) हर कराधान प्रस्ताव पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया बताना व्यवहार्य नहीं है। सरकार द्वारा किये गये फैसले समय-समय पर बनाये गये विधान से पता लग जायेंगे।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†*१३६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बृज राज सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस विश्वविद्यालय के अधीन अब तक कितनी संस्थायें पुनः खोली जा चुकी हैं ; और

(ख) सब कालिजों के खुल जाने के लिये क्या अन्तिम तिथि निश्चित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन जो भी संस्थायें ८ अक्तूबर, १९५८ से अनिश्चित काल के लिये बन्द की गयी थीं, वे सब खोल दी गयी हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयले का उत्पादन

†२०६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने कोयले का उत्पादन हुआ ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :

कोयले का उत्पादन

अवधि	गैर-सरकारी क्षेत्र में	सरकारी क्षेत्र में	कुल
		(दस लाख टनों में)	
अप्रैल, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक	३३.०६*	४.९५*	३८.०१*

*इसमें सम्मिलित जनवरी, १९५९ के आंकड़े अस्थायी हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†२०६५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिये केन्द्र द्वारा पंजाब राज्य को कितने धन का आवंटन किया गया है ;

(ख) इसमें से अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). १९५८-५९ में अनुसूचित आदिम जातियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिये केन्द्र द्वारा पंजाब राज्य को कोई धन आवंटित नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये अपनी योजनाओं में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है ।

उत्तर प्रदेश में आयकर से छूट

†२०६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक समवायों और संयुक्त स्कन्ध समवायों को आय-कर छूट दी गयी है ; और

(ख) छूट के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). किसी भी कम्पनी को ऐसी छूट नहीं मिली है । तथापि, दो कम्पनियों को संविलित राज्य (आयकर रियायत) आदेश, १९४९ की धारा १५ के अन्तर्गत सहायता मिली है और एक तीसरी कम्पनी को भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा १५ग के अनुसार लाभ प्राप्त हुआ है ।

शिक्षा मंत्रालय में कर्मचारी

†२०६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर इसके सहायक कार्यालयों में पृथक्-पृथक रूप से इस समय कितने असिसटेंट और क्लर्क हैं ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस में भ्रष्टाचार

†२०६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे कितने पुलिसमेनों को जुलाई, १९५८ से फरवरी १९५९ तक की कालावधि में भष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया और दंड दिया गया ; और

(ख) उसी कालावधि में कितने पुलिसमेनों को प्रशंसा योग्य कार्य करने के लिये इनाम दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क)

गिरफ्तार किये गये	११
दंड दिये गये (जुलाई, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक) . .	कोई नहीं

(ख) ५३५९ (जुलाई, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक)

दौलताबाद का किला

†२०६९. **श्री पांगरकर : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में दौलताबाद के किले के संधारण पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) १९५९-६० में कितना धन खर्च किया जायेगा?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ५०३ रुपये (दिसम्बर, १९५८ तक)

(ख) ५,००० रुपये (संसद द्वारा पारित किये जाने पर)।

नानदेड़ जिले में खुदाई

†२०७०. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई के मराठवाडा प्रदेश के नान्देड़ जिले में हाल ही में कोई खुदाई की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को रियायतें

†२०७१. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित रियायतें देने के लिये १९५८-५९ में अब तक प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता अथवा अनुदान दिया गया है ;

(१) फीस में रियायत;

(२) छात्रवृत्ति देना;

(३) पुस्तकें खरीदने के लिये धन;

(४) छात्रावास में स्थान और छात्रावास की दरों में रियायत; और

(५) निर्वाह भत्ता अथवा कोई अन्य रियायत।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें 'शिक्षा योजनायें' वर्ग के लिये, जिसमें माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित पांचों बातें सम्मिलित हैं, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा दिया हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]**

पूछी गयी पांचों बातों के लिये पृथक्-पृथक् रूप से दी गयी केन्द्रीय सहायता के बारे में जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों ने अनुदान मांगते समय पृथक्-पृथक जानकारी नहीं दी है।

आयुध कारखानों का पुनर्गठन

†२०७२. **श्री हेमराज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में आयुध कारखानों के पुनर्गठन से कितनी शुद्ध बचत हुई है;

(ख) उनमें कुल कितने श्रमिक लगे हुए हैं;

(ग) कितने श्रमिक वास्तव में काम पर हैं और कितने बेकार बैठे हैं; और

(घ) इन बेकार बैठे श्रमिकों से काम लेने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आयुध कारखानों में ढांचे का कोई 'पुनर्गठन' नहीं हुआ है।

आयुध कारखानों में पर्याप्त अधिक उत्पादन हुआ और उस बढ़े हुए उत्पादन और मशीनों और जनशक्ति के वर्तमान संसाधनों और श्रमिकों के पूर्ण नियोजन के अनुसार बचत हुई है।

(ख) ३१-१-१९५९ को ४३,०१६

(ग) (१) ३१-१-१९५९ को काम पर लगे हुए श्रमिकों की संख्या ४२,७५४.

(२) मशीनों के फेल हो जाने, सामान की अस्थायी कमी, इत्यादि के कारण यदा-कदा श्रमिक बेकार हो जाते हैं और उनको यथासम्भव वैकल्पिक कार्य पर लगा दिया जाता है। सम्भवत: जानकारी अस्थायी रूप से बेकार हो जाने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में नहीं मांगी गयी है, परन्तु उन श्रमिकों के बारे में मांगी गई है

†मूल अंग्रेजी में

है जो फालतू होते हैं और जिन्हें किसी और काम पर नहीं लगाया जाता है। ३१-१-१९५९ को काम पर न लगाये गये ऐसे श्रमिकों की संख्या २६२ थी।

(घ) कारखानों में श्रमिकों के फालतू हो जाने की स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है। कारखानों में समय समय पर अधिक काम होने के कारण फालतू श्रमिकों को एकदम हटाया नहीं जा सकता। उपलब्ध श्रमिकों को काम पर लगाने के लिये हर प्रयत्न किये जाते हैं और किये जायेंगे।

फेरो-मेंगनीज

†२०७३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८-५९ में अब तक भारत में कुल कितने फेरो-मेंगनीज का उत्पादन किया गया;

(ख) इसमें से कितना निर्यात किया गया;

(ग) इसमें से कितना देश में उपयोग किया गया; और

(घ) १९५८ के अन्त तक उत्पादकों के पास कितना भंडार जमा था?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) लगभग ५५,००० से ५६,००० टन तक के उत्पादन का अनुमान है।

(ख) अप्रैल से नवम्बर, १९५८ तक की अवधि में लगभग ८,७५० टन का निर्यात किया गया; बाकी महीनों के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) लगभग ३०,००० से ३५,००० टन तक की आन्तरिक मांग का अनुमान है।

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५८ को लगभग २८,००० टन भंडार का अनुमान है।

कोयले का संभरण

†२०७४. **श्री राम शरण :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कोयला खानों द्वारा राज्य सरकार के विभागों को या तो पर्मिट नहीं दिये गये या उनको उनकी आवश्यकतानुसार कम कोयला दिया गया और उन्हें गैर-सरकारी कोयला खानों से खरीदना पड़ा जबकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड सरकारी कोयला खान से मेसर्स कनोरिया कोल कम्पनी को कोयला बेचने को राजी हो गया;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी को दिया गया कोयला खुले बाजार भाव पर ईंटों के भट्टों के स्वामियों और अन्य उपभोक्ताओं को बेचा गया; और

(ग) क्या मेसर्स कनोरिया कोल कम्पनी को दिये गये कोयले के इस्तेमाल और दुबारा बिक्री पर कोयला नियंत्रक द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाये गये थे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा राज्य सरकारों की ईंटे पकाने वाले कोयले की आवश्यकता को पूरा करने की मांग को स्वीकार किया गया और सरकारी कोयला खानों से कोयला दिया गया। निर्देशित अवधि में किसी भी मांग को अस्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि निगम द्वारा पूरी मात्रा स्वीकार कर ली गयी थी, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खाते पर अपनी आवश्यकता का केवल ५० प्रतिशत कोयला लेने का फैसला किया सरकारी कोयला खान के पास जो फालतू कोयला था उसमें से मेसर्स कनोरिया कोल कम्पनी को कोयला बेचा गया।

(ख) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। कोयला नियंत्रक द्वारा प्रादेशिक लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, कानपुर की सिफारिशों और जारी किये गये पर्मिट के अनुसार मेसर्स कनोरिया कोल कम्पनी के पक्ष में मंजूरी दी गयी। राज्य में निश्चित स्थान पर कोयला पहुंचने पर उसका निबटारा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर

†२०७५. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर में स्थापित किये जाने वाली केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था की लागत का पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद की 'गवर्निंग बॉडी द्वारा अगुमोदित योजना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि संस्था पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तीन वर्ष की अवधि में पूंजी व्यय में ३१ लाख रुपये और आवर्ती व्यय में २८.२३५ लाख रुपयों की लागत आयेगी।

राज्यों में साक्षरता

२०७६. **श्री खुशवक्त राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत साक्षरता है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : नवीनतम सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब राज्य युवक कल्याण बोर्ड

†२०७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९–६० के लिये पंजाब राज्य युवक कल्याण बोर्ड को कोई अनुदान दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है; और

(ग) राज्य युवक कल्याण बोर्ड केन्द्रीय सहायता से क्या कार्य करेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

दिल्ली में सांयकालीन कालिज

†२०७८. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या शिक्षा मंत्री २० फरवरी १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिनसे दिल्ली के सायंकालीन कालिज सम्बद्ध हैं; और

(ख) इन कालिजों में आने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो काम पर लगे हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय।

(ख) शत प्रतिशत।

ग्राम्य संस्थायें[1]

†२०७९. **श्री जीनचन्द्रन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण लोगों को उच्च शिक्षा देने के लिये भारत में कितनी ग्राम्य संस्थायें स्थापित की जा चुकी हैं और वे कहां पर स्थापित की गयी हैं;

(ख) इनमें से कितनी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और कितनी गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा; और

(ग) इन संस्थाओं की क्या विशेष बातें हैं और विभिन्न स्थानों पर ये संस्थायें किस आधार पर खोली गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८]

'भारतीय असैनिक सेवा' के पदाधिकारी

†२०८०. **श्री दिनेश सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री १२ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार की सेवा में कितने 'भारतीय असैनिक सेवा' (आई० सी० एस०) के पदाधिकारी हैं;

(ख) इस समय उनमें से कितने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं;

(ग) इस समय उनमें से कितनों ने भारतीय विदेश सेवा के लिये विकल्प किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rural Institutes

(घ) इस समय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त उनमें से कितने विदेशों में अन्य मंत्रालयों के पदों पर काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १४२ (इसमें वे १८ पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं जो स्वायत्तशासी निगमों के अधीन काम कर रहे हैं)।

(ख) ३१

(ग) २६

(घ) ५

सरकारी नौकरी में विदेशी

†२०८१. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि अब तक भारत सरकार द्वारा भारत में प्रत्येक मंत्रालयों और विभागों में कितने विदेशी नियोजित किये गये हैं और वे किन देशों के निवासी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी यथासम्भव शीघ्र एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

असैनिक प्रयोग के लिये हथियारों और गोला-बारूद का निर्माण

†२०८२. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक प्रयोग के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में हथियार और गोला बारूद बनाने वाले वर्तमान समवायों के क्या नाम हैं, जिनको ऐसे निर्माण के लिये अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक क्या-क्या सामान बनाते हैं ;

(ग) कारतूसों को भरे जाने के अतिरिक्त क्या असैनिक प्रयोग के लिये शिकारी बन्दूक अथवा राइफल के कारतूसों का वास्तव में देश में निर्माण हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनका निर्माण करने वाले समवायों अथवा यूनिटों के क्या नाम हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह राज्य सरकारों से एकत्र की जायेगी जो कि इस मामले में लाइसेंस देने के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं।

(ग) और (घ). जी हां, केवल आयुध कारखानों में। शिकारी बन्दूकों के कारतूसों के उत्पादन का वर्तमान कार्यक्रम ६ लाख गोलियां प्रति वर्ष है। मांग होने पर यथासमय इसको ६० लाख तक बढ़ाया जा सकता है । .३१५" कारतूस का भी कुछ मात्रा में उत्पादन किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र

†२०८३. **श्री रामी रेड्डी :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये भारत सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां। १९५६ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि बोकारो में स्थापित किये जाने वाले चतुर्थ इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त भविष्य में संयंत्रों की स्थापना पर विचार करते समय राज्य में इस्पात संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा।

उड़ीसा को १९५९–६० के लिये शिक्षा अनुदान

†२०८४. **श्री पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार को उड़ीसा के लिये १९५९–६० के लिये शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का किस प्रकार का अन्तिम कार्यक्रम प्राप्त हुआ है ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने उस कार्यक्रम के लिये योजना वार कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये कितनी राशि मंजूर की है ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गयी सभी योजनायें मंजूर कर दी गयी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस किस योजना के लिये मंजूरी दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा १९५९–६० के लिये जिन योजनाओं के लिये जितनी जितनी राशि मांगी गयी है। वह जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ग) १९५९–६० के कार्यक्रम के लिये कोई वित्तीय अनुदान नहीं दिया गया है। नयी प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलित केन्द्रीय सहायता की तीन चौथाई राशि ९ बराबर की किस्तों में अर्थोपाय पेशगियों के रूप में दी जायेगी। शेष राशि मार्च, १९६० में दे दी जायेगी।

(घ) और (ङ). जी हां। सिवाय उस योजना के जिसका पटल पर रखे गये विवरण की योजना संख्या १८ में उल्लेख किया गया है; क्योंकि मुख्य योजना का अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

अपराध सम्बन्धी पुस्तकें

†२०८५. **श्री न० म० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि केन्द्रीय सरकारी अधिकारी विशेषत: पुलिस विभाग के अधिकारी अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त अपराध सम्बन्धी कोई पुस्तकें लिखें तो उन्हें क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : विशेष सुविधाओं के लिये की जाने वाली किसी भी प्रार्थना पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

मंत्रियों की भत्ते

†२०८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८–५९ में अभी तक केन्द्रीय मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को दी गयी सुविधाओं तथा भत्तों के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) इस प्रकार के खर्चों को कम करने के लिये १९५८ में क्या क्या कार्यवाही की गयी थी या १९५९ में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १ अप्रैल, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक उनके वेतनों के अतिरिक्त कुल ७,४४,०३९ रुपयों की राशि दी गयी थी। इस राशि में चिकित्सा सुविधाओं पर होने वाला खर्च सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब लगाना कठिन है।

(ख) यह धारणा ठीक नहीं है कि उन पर अधिक खर्च किया जा रहा है।

बम्बई में आयकर विभाग की कई मंजिलों वाली इमारत

†२०८७. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में आयकर विभाग के द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के लिये कई मंजिलों वाली एक इमारत बनायी गयी है, परन्तु उसमें कोई भी लिफ्ट नहीं लगायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). बम्बई में आयकर पदाधिकारियों के लिये सात सात मंजिलों वाली दो इमारतें बनायी गयी है और प्रत्येक इमारत में २८ फ्लैट हैं। जब निर्माण कार्य के लिये योजना बनायी गयी थी उस समय प्रत्येक इमारत में एक एक लिफ्ट लगाने की व्यवस्था की गयी थी। आशा है कि शीघ्र ही लिफ्टें लगा दी जायेंगी।

भारत सर्वेक्षण विभाग के अधीन गवेषणा शाखा

†२०८८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री सभा–पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो :

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग, की देहरादून में कोई गवेषणा शाखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कार्य है ;

(ग) किन किन विषयों के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य पूरे हो चुके हैं ;

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किन किन विषयों के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य पूरे हो जाने की आशा है; और

(ङ) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक इस शाखा के कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है। ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). जी, हां। भारत सर्वेक्षण विभाग की देहरादून में ज्यामिति तथा गवेषणा शाखा[1] है। उसका काम है ज्यामिति सर्वेक्षण तथा उससे सम्बन्धित गवेषणा सम्बन्धी कार्य करने।

(ग) और (घ). वहां पर ज्यामिति तथा नियन्त्रित सर्वेक्षणों के क्षेत्र में उत्पादक-कार्य के साथ-साथ गवेषणा कार्य किया जाता है। यह गवेषणा कार्य निरन्तर चलने वाला कार्य है और उसका सम्बन्ध किसी भी योजना काल से नहीं होता। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि (१) किन किन विषयों में गवेषणा पूरी हो चुकी है और किन-किन विषयों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की शेष अवधि में गवेषणा प्रारम्भ करने का विचार है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ङ) १९५७-५८ . . . . . ८,१४,०७० रुपये
१९५८-५९ (२८ फरवरी, १९५९ तक) ९,३८,३०० रुपये

भारत सर्वेक्षण विभाग

†२०८९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सर्वेक्षण विभाग में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें दिये जाने वाले वेतनों पर कुल कितनी कितनी राशि खर्च की जाती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :

	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिमास दिये जाने वाले वेतन की कुल राशि
चतुर्थ श्रेणी		
(क) नियमित	१७९९	१,५६,८१६ रुपये
(ख) आकस्मित कामों के लिये रखे गये	३०५०	२,१६,२८४ रुपये
तृतीय श्रेणी	२५४३	४,३०,२९५ रुपये
द्वितीय श्रेणी	१०६	५५,४३३ रुपये
प्रथम श्रेणी	८५	९१,१७४ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

[1]Geodetic and Research Branch.

भारत सर्वेक्षण विभाग की वायु सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण निदेशालय बस्ती देहरादून

†२०९०. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग की वायु सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण निदेशालय बस्ती, कर्णपुर, देहरादून, में न तो कोई पक्की सड़क है और न ही बिजली की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिये कोई योजना बनायी गयी है;

(ग) उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है; और

(घ) क्या १९५९ में कार्य प्रारम्भ होने की कोई आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) बस्ती की सभी सड़कें, सिवाय एक एप्रोच रोड के, पक्की हैं। हां उन सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). सड़कों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्राक्कलन मंजूर हो जाने के बाद राशि आवंटित की जायेगी ।

(घ) जी, हां ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ऋणग्रस्त होना

†२०९१. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२०९२. **श्री स० म० बनर्जी :** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के सम्बन्ध में कोई नियम है ;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १ जनवरी, १९५९ तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कितने कर्मचारी हैं जिन्हें दस वर्ष, पांच वर्ष तथा तीन वर्ष तक की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी स्थायी घोषित नहीं किया गया था; और

(घ) १९५९ में कितने कर्मचारियों के स्थायी घोषित किये जाने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी यदि अपने अपने ग्रेड में एक विशिष्ट निर्धारित अवधि तक सेवा पूरी कर लें तो वे स्थायी संस्थापनों में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। उनकी सेवा की अवधि परिपत्र आदेश संख्या ४३५ (एडमिनिस्ट्रेशन), ४३६ (एडमिनिस्ट्रेशन) ४३७ (एडमिनिस्ट्रेशन) और ४३८ (एडमिनिस्ट्रेशन) में निर्धारित सेवा की शर्तों और निबन्धनों में बतायी गयी हैं। उनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी हुई हैं। जब भी स्थायी स्थानों में जगह खाली होती है; पात्र व्यक्तियों को स्थायी घोषित कर दिया जाता है, परन्तु शर्त यह है कि उनका कार्य और आचार संतोषजनक होना चाहिये।

(ग)

	वे कर्मचारी जिनकी सेवा १० वर्ष की हो चुकी है	वे कर्मचारी जिनकी सेवा ५ वर्ष की हो चुकी है	वे कर्मचारी जिनकी सेवा ३ वर्ष की हो चुकी है
तृतीय श्रेणी	१३	७२	४६५
चतुर्थ श्रेणी	३०६	२०७	१७५

(घ) तृतीय श्रेणी—२८
चतुर्थ श्रेणी—१२८

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि

†२०९३. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जनवरी से प्रशासनीय सुविधा के लिये भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की तिथियां एक समान बना दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के किसी आदेश के अनुसरण में वैसा किया गया है;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को वित्तीय हानि हुई है ;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति को कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(ङ) उस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख). जी, नहीं। भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के वेतनों में उपयुक्त तिथियों पर

†मूल अंग्रेजी में

ही वृद्धि की जाती है, केवल तृतीय श्रेणी की दूसरी डिवीजन के प्रविधिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक वर्गीकरण तथा आगे के पद में उन्नति १ जनवरी से की जाती है और इसलिये उनके वेतनों में वृद्धियां भी उस तिथि से दी जाती हैं। ये सभी बातें परिपत्र आदेश संख्या ४३५ (एडमिनिस्ट्रेशन) के नियमों के अनुसार की जाती हैं। उनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

(ग) किसी को भी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय सचिवालय में पदाधिकारियों की संख्या

†२०९४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६०, और १९६०-६१ में केन्द्रीय सचिवालय में सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों और अवर सचिवों की कुल कितनी आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) १९४७ में और इस समय (१) क्षेत्र कार्यों के लिये और (२) सचिवालय में उक्त पदाधिकारी कितनी कितनी संख्या में थे?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) भाग (क) में उल्लिखित पदाधिकारियों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हो सकती है;

(१) अवकाश ग्रहण।

(२) पदाधिकारियों का अपने मूल संवर्ग (काडर) में प्रत्यावर्तन।

(३) नये पदों की रचना ;

सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें बताया गया है कि १९५९-६० और १९६०-६१ में उक्त (१) और (२) कारणों से कितने पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१]** तीसरे कारण से उत्पन्न होने वाली मांग के सम्बन्ध में अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) उक्तपदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी क्षेत्र-कार्यों में नियुक्त नहीं है। सचिवालय में १९४७ से १९५९ तक उनकी संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१]**

इस्पात के कारखानों में चोरियां

†२०९५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इस्पात के कारखानों में चोरियां होने के कुछ एक मामलों की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) उनके क्या ब्योरे हैं और किस-किस कारखाने में चोरी हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी कीमत की वस्तुओं की चोरी हुई है और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२] ।

अपीलीय सहायक कमिश्नर

†२०९६. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई आंकड़े रखे जाते हैं; जिनसे यह ज्ञात हो सके कि कितने मामलों के सम्बन्ध में आयकर न्यायाधिकरण ने अपीलीय सहायक कमिश्नरों के आदेशों को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि गत तीन वर्षों में इस प्रकार के कितने मामलों में आदेश बदल दिये गये थे; और

(ग) जिन अपीलीय सहायक कमिश्नरों के आदेश सबसे अधिक बदले गये थे, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). जी, हां और सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि कितने मामलों में अपीलीय सहायक कमिश्नरों के आदेशों को बदल दिया गया था। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७३]

(ग) जब तक कि इसका कोई आधार न हो कि किसी अपीलीय सहायक कमिश्नर के आदेश में दुर्भाव निहित है, तब तक उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। पर हां, आय-कर न्यायाधिकरण द्वारा दिये जाने वाले सभी आदेशों का पुनरीक्षण किया जाता है और किसी भी अपीलीय सहायक कमिश्नर द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों का मूल्यांकन करते समय आयकर न्यायाधिकरण के आदेशों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है।

पुरातत्व विभाग, उड़ीसा

†२०९७. श्री पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुरातत्व विभाग के विकास के लिये १९५८-५९ में उड़ीसा सरकार को कोई सहायता दी थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गयी है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० डा० म० मो० दास): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में विनीत पुलिस[1]

†२०९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या दिल्ली में विनीत पुलिस रखने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). किसी विशेष विनीत पुलिस के सम्बन्ध में तो कोई प्रस्थापना नहीं है, परन्तु पुलिस के सभी कोटि के कर्मचारियों केलिये आवश्यक है कि वे विनीत रहें।

अन्तर्राज्यीय कराधान परिषद्

†२०९९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक अन्तर्राज्यीय कराधान परिषद् स्थापित करने की योजना इस समय किस स्थिति में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : कर जांच आयोग द्वारा जिन अन्तर्राज्यीय कराधान परिषद् की स्थापना के लिये सिफारिश की गयी थी, उसका काम तो राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इसलिये परिषद् की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी है।

अमरीकी शिक्षा शास्त्री

†२१००. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़, आन्ध्र और मैसूर विश्वविद्यालयों का दौरा करने वाले अमरीकी शिक्षा शास्त्रियों के दल को भारत सरकार ने यहां बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) भारत सरकार ने जुलाई, १९५८ में चार अमरीकी शिक्षा शास्त्रियों को भारत गेहूं ऋण शिक्षा शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन यहां बुलाया था। उनमें से एक एक शिक्षा शास्त्री को चार विश्वविद्यालयों, अर्थात् अलीगढ़, आन्ध्र, मैसूर और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों, में भेजा गया था ताकि वे उन्हें उनमें सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम चलान के अधिक व्यापक पक्ष के सम्बन्ध में परामर्श दे सकें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Coutesy Police

दिल्ली में अपराध

२१०१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न प्रकार के अपराधों का पता लगाने के लिए कोई नयी व्यवस्था की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में दुर्घटना

†२१०२. **श्री अरविन्दु घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५९ में रूरकला इस्पात कारखाने में बन रही प्रयोगशाला की एक दीवार के टूट जाने के कारण कोई दुर्घटना हो गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और कितने व्यक्तियों को क्षति हुई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). ७ जनवरी, १९५९ को लगभग ५.३० बजे शाम को कारखाने के मुकाम पर बन रही सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला की इमारत की एक दीवार के टूट जाने से एक दुर्घटना हो गयी थी। दुर्घटना की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने यह विचार प्रकट किया है कि 'शटरिंग' और 'स्केफोलडिंग' निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार थे तथा पर्याप्त सुदृढ़ थे। दुर्घटना तो केवल संयोगवश तथा आकस्मिक थी । उस दुर्घटना से ३ मिस्तरी और उनके २ सहायक मारे गये थे। सम्बन्धित ठेकेदारों ने कामगार प्रतिकर के लिये कमिश्नर को लिख दिया है।

पुराने क्रांतिकारियों का सम्मेलन

†२१०३. **श्री अरविन्दु घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, १९५८ में दिल्ली में हुए पुराने क्रान्तिकारियों के सम्मेलन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी थी; और

(ख) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) गृह-कार्य मंत्री के स्वविवेक अनुदान में से सहायता दी गयी थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'टेल्को' के ट्रकों की कीमतें

†२१०४. **श्री अरविन्दु घोषाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, जैसा कि प्रतिरक्षा उपमंत्री ने ५ दिसम्बर, १९५८ को बताया था, सेना के ट्रकों की कीमतें निर्धारित करने के बारे में 'टेलको' के रुख की कोई जांच प्रारम्भ करने वाली है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). सेना के ट्रकों की कीमतों के सम्बन्ध में मैसर्स टेलकों के रुख की जांच करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस समय उनके पास ट्रकों के लिये कोई भी आर्डर शेष नहीं बचा है।

बेसिक ट्रेनिंक कालेज, त्रिपुरा

†२१०५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के शिक्षा निदेशक ने एक सुझाव भेजा है जिसमें भारत सरकार से यह निवेदन किया गया है कि उसे उस भूमि और इमारत को खरीदने की अनुमति दे दी जाये जो कि इस समय त्रिपुरा प्रशासन के पास किराये पर है और जिसमें इस समय बेसिक ट्रेनिम कालेज है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिये धन के लिये भारत सरकार से निवेदन किया था और भारत सरकार ने वह राशि दे दी है।

हिमाचल प्रदेश में अध्यापक

२१०६. **श्री पद्म देव** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में हिमाचल प्रदेश में कितने अध्यापकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरित किया गया ;

(ख) इन अध्यापकों को यात्रा भत्ता देने पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्राइमरी स्कूल के बहुत से अध्यापकों को ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया जो १५० मील की दूरी पर थे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के अध्यापक

२१०७. **श्री पद्म देव :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों की आचारण और सेवा सम्बन्धी पुस्तिकायें नहीं मिल सकीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई एस० टी० अध्यापकों का वेतन क्रम अब तक निश्चित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में हो, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सैनिक

२१०८. **श्री पद्म देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन सैनिकों को विदेश में अथवा भारत के सीमा प्रदेशों में आवश्यक कार्यों पर लगाया जाता है उन के आश्रितों को सरकार किस प्रकार की सहायता देती है ?

प्रतिरक्षा-मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : जब परिवारों को सैनिक सेविवर्ग के साथ जाने की इजाजत नहीं होती, उन्हें प्रायः या तो सैनिकों के अन्तिम सेवास्थानों पर मिले सरकारी मकानों में रहने दिया जाता है, या भारत में उनके पसन्द किये स्थानों पर सरकारी खर्च पर भेज दिया जाता है। रुपया पैसा भेजने की सुविधायें दी जाती हैं कि बिना किसी झंझट के परिवारों को गुजारे के लिये पैसा पहुंचता रहे। कुछ अपवादों को छोड़ कर उन्हें सैनिक कंटीनों से सामान खरीदने की भी सुविधा दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सोल्ज्र्ज़, सेलर्ज़, और एयरमेन्ज़ बोर्डों से जिस मामले में वह चाहें सलाह भी ले सकते हैं ।

जम्मू काश्मीर या जेनरल आफिसर कमांडिंग आसाम के अधीन पूर्वीय सीमा क्षेत्र में काम कर रहे सैनिक वर्ग की मृत्यु पर उनकी विधवाओं को साधारण पेन्शन के अलावा, कुछ हालतों में कुटुम्ब उत्पादन भी दिया जाता है। हिन्द चीनी में सेवा कर रहे सैनिक सेविवर्ग के लिये एक बीमा योजना चालू की गई है जिसके अधीन उनके आश्रित २०,००० से एक लाख रुपये तक का एक मुश्त अनुदान पाने के योग्य हो सकते हैं ।

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये सामान

†२१०९. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मास पहले भिलाई इस्पात कारखाने के लिये लगभग तीस लाख रुपयों की कीमत का सामान खरीदा गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें से बहुत सी राशि गबन कर दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं और उनके बारे में जांच की जा रही है ।

केंद्रीय इंधन गवेषणा संस्था

†२११०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय इंधन गवेषणा संस्था ने कोयला तथा लिगनाइट से उर्वक तैयार करने का एक नया तरीका निकाला है;

(ख) क्या इस नये उर्वरक का देश के किसी भी भाग पर परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या किसी भूमि परीक्षण के बिना भी यह उर्वरक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां । केन्द्रीय इंधन गवेषणा संस्था ने दो उपाय निकाले हैं ।

(ख) संस्था के केवल एक छोटे से भू-भाग पर ही इस का परीक्षण किया गया है ।

(ग) और (घ). ठोस परिणाम तो तभी प्राप्त हो सकेंगे जब कि बड़े पैमाने पर उसके परीक्षण कर लिये जायेंगे ।

नागा विद्रोही

†२१११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ जनवरी, १९५९ को मनीपुर के एक गांव में भारतीय सशस्त्र लिस और नागा विद्रोहियों के बीच गोली चली थी; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). २२ जनवरी, १९५९ को पुलिस के एक छोट से गश्ती-दस्ते की, जो ताम्रेंगलांग सबडिवीजन के मोंगज्रोंग खुल्लन गांव में गया था, की कुछ नागा विद्रोहियों से मुठभेड़ हो गयी थी । यह लोग जैतूनी हरे रंग की वर्दियां पहने राइफलों और स्टेनगनों से लैस थे और अश्व-मार्ग से अचानक गांव में घुस आये थे । पुलिस को गोली चलानी पड़ी और विद्रोही दो राइफलें और कुछ युद्धोपकरण छोड़कर घने जंगल में भाग गये । दोनों पक्षों में से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार की छात्रवृत्तियां

२११२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से अब तक भारत सरकार की छात्रवृत्तियों पर कितने भारतीयों ने शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब भारत में काम कर रहे हैं; और

(ख) उन में से कितने विदेशों में रह गये अथवा बाद में वहां चले गये और वहां नौकरी कर रहे हैं अथवा स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार चला रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है ।

रायगढ़ दुर्ग[1]

†२११३. **श्री आसर**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलाबा जिले (बम्बई राज्य) में स्थित रायगढ़ दुर्ग का प्रबन्ध केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के हाथ में है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ और १९५८–५९ में इसकी देखरेख के लिये सरकार ने कितनी राशि मंजूर की थी;

(ग) क्या इस दुर्ग को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५७–५८ ९११ रुपये
१९५८–५९ ६,९४० रुपये

(ग) संघ पुरातत्व विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर का केंद्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्त्रालय[2]

†२११४. **श्री द० अ० कट्टी** :
श्री माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्त्रालय के बेलगांव डिवीजन में, जहां १९४४ से १९५८ तक महार रियायत लाइसेंस दिये गये थे, कुल कितना तम्बाकू का चूरा[3] जमा हुआ था; और

(ख) यदि कुछ कम जमा हुआ हो तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Raygad Fort.

[2]Collectorate.

[3]Gleaned Tobacco.

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मैसूर समाहर्त्रालय के बेलगांव डिवीजन के महार रियायत लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गये तम्बाकू के चूरे के परिणाम के सम्बन्ध में सरकार को उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	परिमाण पौंडों में (निकटतम हजार तक)
१९५४	६,६०,०००
१९५५	२,६९,०००
१९५६	१,१०,०००
१९५७	१,१९,०००
१९५८	१,०६,०००

इससे पहले के विभागीय अभिलेख, जिनका नष्ट किए जाने का समय आ गया था, नष्ट कर दिये गये हैं ।

(ख) हाल के कुछ वर्षों में इस के परिमाण में जो कमी होती पाई गयी है उस के कारण ये बताये जाते हैं :—

(१) बेलगांव डिवीजन में तम्बाकू की खेती वाला १९५४ का ५२,००० एकड़ भूमि का क्षेत्र क्रमशः कम होते होते १९५७ में ३४,००० एकड़ ही रह गया है ।

(२) तम्बाकू के क्षेत्र में कमी हो जाने के कारण उत्पादक अब उस घटिया किस्म की तम्बाकू का भी उपयोग करने लगे हैं जिसका अधिकांश भाग वे पहले छोड़ देते थे, इस प्रकार महारों के लिये बचने वाला चूरा अब दिन पर दिन कम होता जा रहा है ।

(३) उत्पादक अब महारों की गतिविधि पर, जो चूरे के साथ साथ बढ़िया तम्बाकू भी चुरा लिया करते थे, कड़ी नजर रखने लगे हैं ।

छोटी बचत योजना

†२११५. { **श्री वारियर** :
श्री कोडियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक बैंकों या अन्य इसी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की रक्षित अथवा जमा की हुई राशियों के हस्तांतरण से छोटी बचत योजना में कुल कितनी राशि जमा हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्योंकि नियोजकों से यह अपेक्षित नहीं होता कि वे अपने निक्षेपों के स्रोत प्रगट करेंगे, इस लिये अपेक्षित जानकारी देना संभव नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में आदिवासी

†२११६. **श्री संगण्णा :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के आदिवासियों का मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिये कोई समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने १९५८ के बाद वाले भाग में उड़ीसा का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेश भेजे गये प्रतिनिधि-मण्डलों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा

२११७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ से १९५८ तक संघ सरकार और राज्यों द्वारा भेजे गये और गैर-सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विदेशी मुद्रा नियंत्रण (एक्सचेंज कन्ट्रोल) के बारे में जो आंकड़े मौजूद हैं, उनसे यह पता चलता है कि किन कामों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी। उन से यह पता नहीं चलता कि केन्द्र या राज्य सरकारों की ओर से या गैर-सरकारी तौर पर दूसरे देशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि-मण्डलों पर अलग-अलग कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार १९५५ से १९५८ (नवम्बर) तक के वर्षों में "सरकारी काम" के लिये ५८.३६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन चलाये गये मुकदमे

†२११८. { **श्री दलजीत सिंह :**
श्री कोरटकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन कुल कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये ह; और

(ख) कितने व्यक्ति दोषी ठहराये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख): अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के उपबन्धों को लागू करने के लियें राज्य-सरकारें उत्तरदायी हैं। लेकिन उन से कहा गया है कि वे अधिनियम के क्रियान्वत के सम्बन्ध में सावधिक विवरणियां दिया करें। वर्ष १९५८ का समेकित विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कटपीस के व्यापार में ठगी के मामले

†२११९. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में दिल्ली में पुलिस ने कटपीस व्यापार के सम्बन्ध में धोखा-धड़ी और ठगी के कितने मामले दर्ज किये; और

(ख) इन ठगों का कार्य करने का ढंग क्या था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क)

१९५७	१५
१९५८	९

(ख) बताया जाता है कटपीस के व्यापार में कपड़ा नाप के नहीं वरन् तौल के आधार पर बेचा जाता है । कपड़ा तौलने आदि में ही बेईमानी कर ली जाती है ।

अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में बसने वाले

†२१२०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के अन्त तक अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में कुल कितने परिवार बसे हैं; और

(ख) ये परिवार किन-किन राज्यों से आये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) २,२९३ परिवार ।

(ख) इन परिवारों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

पश्चिमी बंगाल	२,१४७
केरल . .	१२५
मद्रास	१२
बर्मा के निष्क्रांत व्यक्ति . .	५
माही (पांडिचेरी) . . .	४
जोड़ : . . .	२,२९३

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा व्यय

†२१२१. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के बजट में मांग ६५ के उप-शीर्षक क-२(१)(४) के अधीन जिस राशि का उपबन्ध किया गया था क्या वह दी जा चुकी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर वह राशि व्यय की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) कुल दी गयी राशि और उस के ब्यौरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५**]

कैन्टीन कर्मचारी संघ

†२१२२. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैन्टीन कर्मचारी संघ ने यह शिकायत की है कि साउथ ब्लाक (नयी दिल्ली) में केन्द्रीय सचिवालय के जो केन्टीन गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय तौर पर चलाये जा रहे हैं उन में दिल्ली दूकान तथा संस्थापन अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं किये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) कैन्टीन के कर्मचारियों से उन की नियुक्तियों की शर्तों और निबंधनों, काम के घंटों, ओवरटाइम-भत्ते, बोनस, भविष्य निधि की स्थापना आदि के विषय में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) कर्मचारियों को ओवरटाइम का भत्ता पहले ही मिलता है। इन कैन्टीनों का पुनर्गठन किया जा रहा है और जो अभ्यावेदन आ चुके हैं उनका ध्यान रखते हुए मौजूदा नियमों आदि का पुनरीक्षण किया जायगा।

आदिम जातियों का कल्याण

†२१२३. {**श्री इगनेस बेक** :
श्री श० च० गोडसोरा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर राज्य-सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : संबंधित सिफारिश के बारे में राज्य-सरकारों/संघ राज्य-क्षत्रों से अब तक मिली जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जात है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६**]

बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९

†२१२४. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के लागू होने के बाद से केरल राज्य त्रावनकोर–कोचीन क्षेत्र के कितने बैंकों ने भारत के रक्षित बैंक से लाइसेंस के लिये आवेदन किया है; और

(ख) कितन लाइसेंस दिये गये हैं और कितनी अर्जियां नामंजूर कर दी गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १६७।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४ बैंकों को लाइसेंस दिये गये हैं लेकिन २७ को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है। ३० बैंकों ने अपने आप को नौन-बैंकिंग समवायों में परिवर्तित कर लिया है, या अपना समापन कर दिया है अथवा अन्यथा काम बन्द कर दिया है। शेष १०६ बैंकों की अर्जियां अब भी विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में काकराबन का बेसिक कालेज

†२१२५. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में काकराबन में एक दूसरा बेसिक कालेज शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों और उपकरणों के लिये धन किस वित्तीय वर्ष से दिया और व्यय किया गया है;

(ग) इस ट्रेनिंग कालेज में इस समय कितने विद्यार्थी हैं;

(घ) इस कालेज के लिये अब तक कुल कितने लेक्चरार नियुक्त किये गये हैं ; और

(ङ) इन्हें कब नियुक्त किया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) यह मंजूर हो चुका है पर अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ख) उपकरण १९५७–५८ के और अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी और उपकरण १९५८–५९ के वित्तीय वर्ष से।

(ग) एक भी नहीं।

(घ) तीन लक्चरर।

(ङ) क्रमशः ३–९–१९५८, ३–१–१९५९ और १६–२–१९५९ को।

जीवन बीमा निगम

†२१२६. { **श्री अनिरुद्ध सिंह** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां, एक अस्थायी कार्यक्रम की योजना बनाई गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निगम पांच वर्ष में धीरे-धीरे कर के नये व्यवसाय का परिमाण १००० करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक ले आना चाहता है और इन पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रुपये करोड़ों में
१९५९	४१५
१९६०	५२५
१९६१	६६५
१९६२	८२०
१९६३	१०००

अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल

†२१२७. **श्री जाधव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम वाले कुल कितने-कितने स्कूल हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की बड़ी मांग है ;

(ग) वर्ष १९४६–५७ में दिल्ली में इस प्रकार के कुल कितने स्कूल थे;

(घ) दिल्ली में ऐसे स्कूलों के छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) दिल्ली में इस प्रकार के स्कूलों की महावारी फीस कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क), (ग), (घ) और (ङ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस बात का पता लगाने के लिये कि दिल्ली में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों की बड़ी मांग है या नहीं, कोई सर्वेक्षण तो नहीं किया गया लेकिन यदि इस बात के आधार पर निर्णय किया जाये कि दिल्ली के अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में बड़ी भीड़-भाड़ रहती है और प्रवेश पाने के इच्छुकों की बड़ी लम्बी प्रतीक्षा-सूची रहती है, यह कहा जा सकता है कि इन स्कूलों की मांग बनी हुई है ।

मैसूर का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय

†२१२८. **श्री द० अ० कट्टी** :
श्री दिगे :
श्री बालासाहेब सालुंके :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्त्रालय में अनुसूचित जातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित स्थान उन्हीं को दिये जाते हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक ग्रेड में ऐसे कितने-कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं; और

(घ) सुरक्षित स्थानों के कोटे को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) मैसूर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या ६८ है।

(ख) जी नहीं। रक्षित स्थानों में विहित प्रतिशत संख्या में उनकी नियुक्ति करना संभव नहीं हुआ है।

(ग) जिन ग्रेडों पर सीधे भर्त्ती की जाती है, (अर्थात् जिन में स्थान सुरक्षित रहते हैं) उन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या नीचे दी जाती है :—

ग्रेड	कुल कर्मचारियों की संख्या	प्रत्यक्ष भर्ती का कोटा	अनु० जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत संख्या (नीचे का टिप्पण २ देखिये)
सुपरटेंडेंट द्वितीय श्रेणी	१८	एक भी नहीं	१	५.५ प्रतिशत
इन्स्पेक्टर	२८९	६० प्रतिशत	५	१.७ प्रतिशत
सब इन्स्पेक्टर	२०१	१०० प्रतिशत	१६	८ प्रतिशत
अपर डिवी० क्लर्क	७८	३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत	३	३.८ प्रतिशत
लोअर डिवी० क्लर्क	१८५	१०० प्रतिशत	१९	१०.३ प्रतिशत
स्टनों टाइपिस्ट	२६	१०० प्रतिशत	२	७.७ प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	५१२	१०० प्रतिशत	२२	४.३ प्रतिशत

नोट १—प्रथम श्रेणी के स्थानों पर भर्त्ती संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है इस प्रत्येक समाहर्त्रालय के लिये पृथक स्थान सुरक्षित नहीं किये जाते।

नोट २—अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशत संख्या विभिन्न ग्रेडों के कुल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निकाली गयी है इसलिये सीधी भर्त्ती के रक्षित कोटे से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) रक्षित कोटे को पूरा न करने का कारण यह है कि उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिले।

(१) काम दिलाऊ दफ्तरों से यह अनुरोध कर कि उन के चालू रजिस्टरों पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के जितने नाम हों उन्हें भेजें, (२) राज्य के अनुसूचित जाति संघ को लिखकर और (३) प्रत्येक परीक्षा के समय परीक्षा सम्बधी सूचनायें बंगलौर के महत्वपूर्ण दफ्तरों में लगवाकर इस बात का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भर्त्ती किया जाये।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

२१२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के डाइरेक्टर

†मूल अंग्रेजी में

श्री बी० डी० गोयन्का के खिलाफ विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन के मामले में किस श्रेणी के अधीन कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: ध्यान २० फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर में दिये गये अनुबन्ध 'क' की मद २३ और २४ की ओर आकृष्ट किया जाता है जिन में श्री बी० डी० गोयन्का के विरुद्ध चलाये गये दोनों मुकदमों और उन पर किये गये जुर्मानों का विवरण दिया गया था। अब जो पूछताछ की जा रही है वह इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि क्या उन्हें ब्रिटेन में ऐसी कुछ राशियां प्राप्त हुई थीं जो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के अनुरूप नहीं थी ।

लोहा और इस्पात समकरण निधि में से भुगतान

†२१३०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९५८ तक (प्रत्येक वर्ष में) इस्पात समकरण निधि में से टी० सी० ए० कार्यक्रम के अधीन कितने हस्तन तथा आनुषंगिक प्रभारों का भुगतान किया गया;

(ख) १९५५ से १९५८ तक (प्रत्येक वर्ष में) मूल्य तथा लेखा डिवीजन संगठन की लागत कितनी-कितनी थी; और

(ग) उसी अवधि में पुनर्वेल्लन करने वालों को कितना भुगतान किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग) यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१९५५ (रुपये)	१९५६ (रुपये)	१९५७ (रुपये)	१९५८ (रुपये)
(क) टी० सी० ए० कार्यक्रम के अधीन हस्तन तथा आनुषंगिक प्रभार	६,००१,९६८	१,९२२,९४८	३,८७१,१५५	६,५१७,६०९
(ख) मूल्य तथा लेखा डिवीजन संगठन की लागत	३८८,७७६	४४०,३३३	४४४,१५३	५७९,८०७
(ग) पुनर्वेल्लन करने वालों को किये गये भुगतान	३,५०५,०९९	४,२०१,५९९	३,२०५,५३०	३,०४०,२३१

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक व प्रविधिक शब्दावली

†२१३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय भाषाओं में एक समान वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली विकसित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है या करने का विचार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). हिन्दी में एक समान वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली विकसित करने के लिये, जिसे यथासंभव अधिक से अधिक अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अपनाया जा सके, १९५० में भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी। यह कार्य चल रहा है।

तेल विशेषज्ञों द्वारा मद्रास का दौरा

†२१३२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में तेल-संसाधनों का पता लगाने के लिये सरकार ने तेल विशेषज्ञों को भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो ये मद्रास के किन-किन स्थानों में गये थे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) मद्रास राज्य में नेवेली, तिरुचिरपल्ली, कड्डालोर और निनियूर क्षेत्रों में।

भवन-निर्माण परियोजना दल का प्रतिवेदन

†२१३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के भवननिर्माण परियोजना दल के निमंत्रण पर भवन तथा संरचनात्मक निर्माण के एक इतालवी विशेषज्ञ २५ फरवरी, १९५९ को दिल्ली आये थे;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये; और

(ग) उनकी यात्रा पर कितनी राशि व्यय हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) डा० मोराण्डी पुल-निर्माण और संरचनात्मक इंजीनियरिंग के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं। उन्हें योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के भवन-निर्माण परियोजना दल ने अपने समक्ष आयी पुल-इंजीनियरिंग सम्बन्धी कुछ समस्याओं पर इस दृष्टि से परामर्श के लिये आमंत्रित किया था कि भारत में पुलों के निर्माण में अधिक से अधिक बचत और कुशलता सुनिश्चित हो जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस विशेषज्ञ ने कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया और सरकार का व्यय केवल इन के यात्रा खर्च, देश में की गयी यात्रा और रहने के सम्बन्ध में हुआ है। रुपयों में कुल व्यय ११.५०० का है। विदेशी मुद्राओं में कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†२१३४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियों का निर्माण करने के लिये १९५९-६० में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कुल कितनी राशि दी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : राज्य की योजना और केन्द्र चालित कार्यक्रम दोनों में ही अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की योजनाओं के अधीन बस्तियों के निर्माण का कोई उपबन्ध नहीं है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि अनुसूचित जातियों के लिये बस्तियों का निर्माण करने के लिये १९५९-६० में कितना उपबन्ध किया गया है क्योंकि १९५९-६० में योजना में विशिष्ट योजनाओं के लिये किये गये आवंटनों का ब्यौरा पंजाब सरकार से नहीं मिला है।

दूसरे कार्यालयों में भेजे गये गृह-कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

२१३५. **श्री सरजू पांडे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में अब तक गृह-कार्य मंत्रालय के कितने पदाधिकारी दूसरे कार्यालयों में भेजे गये और उनके पद क्या हैं; और

(ख) उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) कोई नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०३/५९]

बम्बई ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** मैं अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १३ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०० में प्रकाशित बम्बई ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, १९५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १३०४/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक सभा को यह बताना है कि राज्य सभा ने ११ मार्च, १९५९ की अपनी बैठक में संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ को, जिसमें लोक-सभा ने अपनी २४ फरवरी, १९५९ की बैठक में निम्नलिखित संशोधन और किये थे, स्वीकार कर लिया है :

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'Ninth Year' (नवें वर्ष) के स्थान पर 'Tenth Year' (दसवें वर्ष) शब्द रखे जायें ।

खंड १

(२) पृष्ठ १,

(एक) पंक्ति ३ में, ('१') अंक हटा दिया जाये,

(दो) पंक्ति ५ हटा दी जाये ।

(३) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1958' (१९५८) के स्थान पर '1959' (१९५९) अंक रखे जायें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक-लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसार) : मैं दिल्ली सरकार के वर्ष १९५४–५५ और १९५५–५६ के विनियोग लेखे तथा वर्ष १९५४–५५ के वित्त लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में लोक लेखा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री तिरुमलराव** (काकिनाडा) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय—आयुध कारखानों (कर्मचारियों सम्बन्धी विषय और प्रशिक्षण) के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के पचपनवें

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें

विधि मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विधि मंत्रालय की मांग संख्या ७० और ७१ पर चर्चा करेगी। जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे उनकी संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें। सम्बन्धित सदस्यों के सभा में उपस्थित रहने तथा कटौती प्रस्तावों के अन्यथा ग्राह्य होने पर उन्हें प्रस्तुत हुआ मान लिया जायेगा।

वर्ष १९५९–६० के लिये विधि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग की संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	विधि मंत्रालय	२३,७०,०००
७१	निर्वाचन	८३,३५,०००

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : भारत में विधि व्यवस्था लागू होने के ८० वर्ष पश्चात् तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के १० वर्ष पश्चात् आज पहली बार विधि आयोग के रूप में भारत के प्रसिद्ध न्याय शास्त्रियों को यह मौका मिला कि वे भारत की विधि व्यवस्था का पुनरीक्षण कर सकें। यह एक एतिहासिक तथ्य है। फ्रांस की क्रांती के पश्चात् भी ऐसी ही आवश्यकता अनुभव की गई थी और नैपोलियानिक संहिता का निर्माण किया गया था। रूस की क्रांती के पश्चात् भी वहां की विधि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई। तथापि भारत में विधि आयोग ने अपने को एक संकीर्ण दायरे तक ही सीमित रखा। उन्होंने न्यायाधीशों की आयु, पद निवृत्ति वेतन इत्यादि के बारे में तो बहुत विस्तार से विचार किया है तथापि व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। मेरे विचार से भारत में भी एक महान सामाजिक क्रांति हुई है इसलिये यहां की विधि व्यवस्था और प्रशासन में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

तथापि विधि आयोग ने इस समस्या पर गहराई से नहीं सोचा है। वे इस निश्चय पर तो अवश्य पहुंचे हैं कि कहीं पर कोई त्रुटि अवश्य है लेकिन उसके उपचार के सम्बन्ध में क्या किया जाये इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। आज की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा चलायी गयी औपनिवेशिक विधि प्रक्रिया के बीच गहरी खाई पैदा हो गई है। यह प्रथा हमारी सामाजिक आवश्यकतायों की पूर्ति नहीं कर सकती है अतः हमें केवल छुटपुट परिवर्तन करने के स्थान में इस व्यवस्था में व्यापक और आधारभूत परिवर्तन करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

आयोग ने यह सुझाव दिया है कि उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां पूर्णतः न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालयों के द्वारा होनी चाहियें। सरकार को केवल परामर्शदाता की हैसियत से काम करना चाहिये। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट उपबंध है कि न्यायपालिका विधान मंडल के अधीन रहेगी। इसका अनुसरण किया जाना चाहिये। इसका दूसरा कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यों के निरीक्षण का समय नहीं रहता है। यही कारण है कि केवल टेक्नीकल त्रुटियों के कारण समस्त पंचाट रद्द कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भले ही अपने कार्यों में निपुण बुद्धिमान और ईमानदार हों तथापि वे सामाजिक प्रगति तथा देश के सामाजिक उद्देश्यों के प्रति वे पूरी तरह जागरूक नहीं हैं और वे समाज से पृथक रहे हैं। उनकी अपनी व्यवहार संहिता है और वे उस के अनुसार रहते हैं। निसन्देह उन्हें अधिकार है कि वे इन बातों का निर्णय करें कि क्या हम संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं या हम विधान बनाने की सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं तथापि इसी सम्बन्ध में विधि मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें सामाजिक विधानों को, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की सीमा से बाहर रखने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अब मैं पदनिवृत्ति के पश्चात् की गई नियुक्तियों के प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न यह है कि न्यायाधीशों को राजनैतिक नियुक्तियां स्वीकार करनी चाहियें या नहीं। श्री छागला ने इस में जो सिफारिश की है उसके स्वीकार होने के पूर्व ही उन्होंने अपनी सिफारिश के विरुद्ध पद ग्रहण कर लिया है। निसंदेह उन्होंने ऐसा देश की सेवा की भावना से किया है तथापि वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं नागरिक स्वतंत्रता संघ बम्बई का उदाहरण लेता हूं। यह संघ बम्बई में हुई लाठी चार्ज की जांच के लिये किसी उच्च न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश की सेवायें चाहता था लेकिन उसे कोई भी न्यायाधीश अपनी सेवायें प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी किसी न कसी समिति या आयोग के कार्य में व्यस्त थे।

आयोग ने एक विशेष सिफारिश यह की है कि विधि प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाय। मुकदमों में गरीब जनता का बहुत सा धन और श्रम बरबाद होता है। भारत में एक मुकदमें का फैसला होने में औसतन १८ महीनों का समय लगता है जब कि रूस में केवल १५ दिनों का समय लगता है। विधि मंत्री को चाहिये कि वे भारत में भी रूस की विधि व्यवस्था अपनायें।

जहां तक उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का सम्बन्ध है हमें जिला न्यायालयों के वकीलों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मेरा अनुभव है कि जिला न्यायालयों में भी बहुत योग्य और प्रतिभाशाली वकील होते हैं जो विद्वता में कसी भी न्यायाधीश का मुकाबला कर सकते हैं। उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिये और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राजनैतिक,सामाजिक तथा क्षेत्रीय हितों को दूर रखा जाये।

कई छोटे-छोटे स्थानों में वकीलों पर राजस्व सम्बन्धी मामलों की पैरवी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इससे जनता की कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं। अतः इस मामले पर ध्यान देना चाहिये।

मेरे विचार से विधि आयोग ने भारत की विधि व्यवस्था पर विचार करते हुए, देश के परिवर्तनशील समाज की ओर ध्यान नहीं दिया है, वस्तुतः देश की विधि व्यवस्था समाज के

आदेशों और लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिये। अतः मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए समाज की वर्तमान स्थिति पर विचार करें और विधि व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार करें।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : हमारी वर्तमान आवश्यकता यह है कि हम विधि व्यवथा को नवीन दृष्टिकोण से देखें। तथा जटिल और दुरूह विधि प्रक्रिया का सरलीकरण करें। वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था के साथ न्याय सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। अमेरिका के स्वर्गीय न्यायाधीश होम्स ने एक बार कहा था कि आज की विधि सम्पत्ति वालों के प्रति पक्षपात करती है। जब हम देश में समाजवादी ढांचे को समान बनाने जा रहे हों तो आवश्यकता यह है कि नागरिक के अधिकारों की दृष्टि से न्याय किया जाये इस लिये वर्तमान विधि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

विधि आयोग ने इस सामाजिक पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है उन्होंने केवल कुछ छुटपुट सुधार कर दिये हैं और जो भी नियम और कानून हमें अंग्रेजी सरकार से उत्तराधिकार में मिले उनको सारणीबद्ध कर दिया गया है। अतः वर्तमान व्यवस्था व प्रक्रिया में सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दे दिये हैं।

हम ने अन्य देशों के इतिहास में भी देखा है कि वहां की विधि व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक सुधार किये गये हैं। फ्रांस में क्रांति के पश्चात् नैपोलियन संहिता संकलित की गई। इस की सहायता से टर्की में कमालपाशा ने अपने शासनकाल में यथावश्यक विधि सम्बन्धी सुधार किये। तदनुरूप हमें भी अपनी बदलती हुई आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुधार का प्रयत्न करना चाहिये। इसके पूर्व, हमने अंग्रेजी न्यायशास्त्र के सिद्धांतों तथा भारतीय पुरातन विधि नियमों का समन्वय कर उसे भारत के अनुरूप बना कर कार्य किया था। अब आवश्यकता यह है कि हम अपनी विधि में ऐसे परिवर्तन तथा सरलीकरण करें कि वे हमारे समाज की नयी व्यवस्था के अनुरूप हों। हमें व्यापारियों को न्याय पहुंचाना चाहिये। व्यापारियों को न्याय के लिऐ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

यदि हम अपनी विधि के लिये हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें विधि प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना होगा। उदाहरणस्वरूप इस समय यह प्रथा है कि एक अच्छा वकील कई पूर्व दृष्टांतों को उद्धृत करता है। ये पूर्व दृष्टांत वस्तुतः न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून है। हम अधिकांश पुराने अंग्रेजी वकीलों के उदाहरण लेते हैं यद्यपि कई मामलों में अब हम अन्य स्रोतों से भी उद्धरण लेने लगे हैं। जब हम भारतीय भाषाओं को न्यायालयों की भाषा बनाना चाहते हैं तो हमें यह प्रथा छोड़ देनी पड़ेगी। और हमें विधि की इन अनावश्यक बातों, जटिलताओं तथा औपचारिक बातों को हटाना होगा तथा उसे और अधिक सरल तथा स्पष्ट बनाना होगा।

अब मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखने के सिद्धांत को लेता हूँ। मेरे विचार से गृह-मंत्रालय, विधि मंत्रालय के कार्यों में एक अड़ंगा है और इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हों। इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय के रवैये के संबंध में मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सुयोग्य व्यक्ति जो पहिले

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मंत्री रह चुके थे। इस चुनाव में हार गये। हार जाने के तत्काल पश्चात् ही उन्हें न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। ऐसा करना कहाँ तक उचित है। ये बातें अनुचित हैं। गृह-मंत्रालय को ऐसा नहीं करना चाहिये और विधि मंत्रालय को ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिये।

अब मैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर आता हूँ। इस संबंध में आयोग के प्रतिवेदन में बहुत कुछ कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। न्यायाधीश इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहियें जिन पर जनता का विश्वास कायम रहे। ठीक इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर की जाय या उच्च न्यायालयों से ही की जाये। सुयोग्य वकीलों से भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। बहुत से सुयोग्य वकील जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने को तैयार नहीं हो सकते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के वकील बनने को तैयार हो जायेंगे।

अभी हाल में उच्चतम न्यायालय में श्रम संबंधी मामलों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। नियोजकों के पास पर्याप्त संसाधन होने से वे उच्चतम न्यायालय में अपील कर देते हैं। अतः उच्चतम न्यायालय में इन मामलों का निपटारा करने के लिये एक विशेष औद्योगिक बैंच की स्थापना की जाय तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से इन मामलों का संचालन करने के लिये एक विशेष एजेंसी बनाई जाय। अधिकांश यह होता है कि हमारे महाअधिवक्ता ऐसे कई मामलों में नियोजकों की ओर से वकालत करते हैं। महाअधिवक्ता भारत की सरकार के न्याय प्रतिनिधि है। वह सरकार, जो देश में समाजवादी प्रकार का समाज बनाने तथा आय व सम्पत्ति की विषेमताओं को दूर करने के लिये वचनबद्ध है। एसी सरकार के एक अधिकारी को समाज के एक विशेष वर्ग के विरुद्ध पैरवी नहीं करनी चाहिये। इससे जनता में सरकार के सिद्धान्तों के प्रति भ्रांति होने का खतरा रहता है। अतः सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये।

अखिल भारतीय विधि जीवी संघ का प्रश्न भी अभी लटका हुआ है। इस संबंध में भाषा तथा अंग्रेजी न्यायशास्त्र इत्यादि के प्रश्न के कारण इस मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है। वस्तुतः जब तक हम विधि प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं करेंगे तब तक अखिल भारतीय विधि जीवी संघ भारतीय भाषाओं के माध्यम में कार्य करने में सफल नहीं हो सकता है।

अब मैं अधीनस्थ विधान के प्रश्न को लेता हूँ। संसद् की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने सरकार के विभिन्न विभागों की इस दृष्टि से बड़ी आलोचना की है कि वे विधानों के अधीन नियम इत्यादि बनाते समय संसद् के अभिप्राय की परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी तो उसकी नितांत उपेक्षा करते हैं। यहाँ तक कि नियमानुसार उन विनियमों इत्यादि की एक प्रतिलिपि भी सभा-पटल पर नहीं रखी जाती है। अतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को चाहिये कि उपविधान या विनियमन इत्यादि बनाने के पश्चात् वे उन्हें विधि मंत्रालय से स्वीकृत करवायें और विधि मंत्रालय इस बात पर ध्यान देवे कि उनमें संसद् के अभिप्राय की रक्षा की जानी चाहिये।

मेरा विचार है कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि पदनिवृत्ति के पश्चात् भी उनकी सेवायें उपलब्ध की जा सकें।

यही नहीं उनकी पदनिवृत्ति की आयु भी ६० से बढा कर ६५ कर देनी चाहिये । तथापि उन्हें किसी प्रकार का राजनैतिक पद इत्यादि नहीं देना चाहिये। मैंने देखा कि पद की लिप्सा में न्यायाधीश लोग मंत्रालयों के दरवाजे खटखटाते हैं यह लज्जाजनक बात है । उन्हें काम अवश्य दिया जाय लेकिन वह न्याय संबंधी होना चाहिये।

अब मैं गरीबों को विधि सहायता देने का प्रश्न लेता हूँ। विधि मंत्री ने कलकत्ता में अपनी वकालत के समय भी इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार सहयोग दिया था। अभी हाल में उन्होंने कई समाजवादी देशों का दौरा भी किया है। अतः उन्हें चाहिये कि वे वहाँ के अनुभवों का देश की वर्तमान स्थिति के साथ समन्वय करें और एक ऐसी सुविचारित योजना देश के सम्मुख रखें जिससे गरीबों को विधि संबंधी सहायता उपलब्ध हो सके। और देश की गरीब जनता उससे लाभ उठा सके।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर): विधि मंत्रालय के प्रतिवेदन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो चुनाव आयोग द्वारा किया गया तथा किया जा रहा काम तथा विधि आयोग का काम। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए विधि व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में गृह-कार्य मंत्रालय पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । यह बात ठीक है कि विधि में नये सामाजिक आदर्शों का समावेश किया जाना चाहिए पर यह कहना कदापि उचित नहीं है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन हो। लोकतंत्र की नीव को मजबूत बनाने के लिए धीरे-धीरे संघ सरकार के विधि मंत्रालय के कर्त्तव्य तथा उसका उत्तरदायित्व बढ़ता ही जायेगा। लोकतंत्र पर लोगों को तभी विश्वास होगा जब आप लोगों में यह भावना पैदा कर देंगे कि उनके साथ न्याय अवश्य किया जायेगा। अतः न्यायपालिका का बहुत महत्व है।

हमारा उच्चतम न्यायालय देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। उसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह कार्यकारिणी से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। पर इस संबंध में विधि आयोग ने कहा है कि न्यायाधीशों का चुनाव करने में उनकी योग्यता के बजाय अन्य साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय तथा अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है । यह बड़ी गंभीर बात है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि न्यायाधीशों का चुनाव इन बातों के आधार पर होगा तो लोकतंत्र पर से, न्याय-व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ जायेगा। उच्चतम न्यायालय में ही नहीं, उच्च न्यायालयों में भी यह हो रहा है। राज्यों के मुख्य मंत्री जाति, समुदाय तथा राजनैतिक दलों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि विधि आयोग द्वारा ये बातें कही गयी हैं । आप विचार करें कि स्थिति कितनी भयंकर है।

जैसी हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें उच्चतम न्यायालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यदि उसमें जातीयता आदि को स्थान दिया जायेगा तो वह अपने कर्त्तव्य का, जनता को न्याय प्रदान करना, पालन नहीं कर सकेगी। विधि आयोग ने कहा है कि यदि इन आधारों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, तो वकील वर्ग का पूर्ण समर्थन व सहयोग न्यायाधीशों को नहीं मिलेगा और न्यायाधीश अपने कार्य को अच्छी तरह नहीं कर पायेंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि न्यायाधीश कानिया की इस बात की सर्वथा अवहेलना की गयी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में योग्यता का सबसे अधिक ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथपाई]

रखा जाना चाहिए। मेरा कहना है कि अन्य बातों के आधार पर न्यायाधीशों का चुनाव करना बहुत घातक सिद्ध होगा।

यह कहना गलत है कि नई आयु के लोगों को इस पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। नई आयु के वकीलों म बहुत से बुद्धिमान लोग भी हैं। अतः न्यायाधीश के पद की नियुक्ति के लिए आयु की कोई सीमा रखना कोई उचित बात नहीं है। उस संबंध में व्यक्ति की योग्यता ही सबसे मुख्य बात होनी चाहिए।

मैं आप का ध्यान एक अन्य बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद वकालत करने की अनुमति देना बहुत ही बुरा है। साथ ही उन्हें ८०० रु० मासिक की पेंशन भी बहुत कम है। हमें इस बात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए कि न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद वकालत न करें साथ ही उनकी पेंशन की राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए।

इसके साथ ही मैं न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक् करने की बात पर जोर देना चाहता हूँ। ऐसा न करने से अनेक गड़बड़ियां हो रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक अजीब बात हुई है। एक न्यायाधीश ने एक मुकदमें की, अभिभोक्ता के कहने पर, फिर स सुनवाई की। अतः आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद ५० के अधीन कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों को पृथक कर दिया जाये। लोगों का कहना है कि उससे व्यय अधिक बढ़ जायेगा। ठीक है व्यय तो बढ़ जायेगा पर न्याय तो मिलेगा। न्याय न मिलना तो एक और भी ज्यादा महंगा सौदा है। इस प्रसंग में यह भी कहना चाहता हूँ कि एक अखिल भारतीय न्याय व्यवस्था सेवा स्थापित की जाये।

आप को पता होगा कि पुलिस द्वारा मामले की छानबीन के लिए क्या उपाय अपनाया जाता है। वही मारना पीटना, यह पुरानी परिपाटी है। इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। मामले की छानबीन के लिए नये वैज्ञानिक उपायों का सहारा लिया जाना चाहिए। इससे हमारे सामाजिक जीवन का गौरव बढ़ेगा।

कई बार कहा जाता है कि न्याय में विलम्ब करने का अर्थ है न्याय न करना। सो विलम्ब क्यों होता है। इसका कारण यह है कि हम यह नहीं निर्धारित कर पाते कि किस न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की जरूरत है। फिर यदि यह निश्चय कर लिया गया तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में हम बहुत देर लगाते हैं क्योंकि नियुक्ति के समय हम अपने हितों—व्यक्तिगत, जातीय आदि,—की सिद्धि करना चाहते हैं। इसी कारण इन सब मामलों में विलम्ब होता है और न्यायालयों में बहुत से मामले इकट्ठे हो जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में भी कुछ बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि इन मामलों में सुधार करने का काम उच्चतम न्यायालय का नहीं है बल्कि विधि मंत्रालय का है। विधि मंत्रालय को अब अच्छी प्रकार तैयार करके विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। हम सब जानते ह कि उच्चन्यायालय के पास बहुत काम है। श्रम विवादों के मामले यदि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण तक ही निर्णित हो जायें, तो उच्चतम न्यायालय का काम सरल हो जाये। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई के लिए—चूंकि उन्हें प्रत्येक मामले को लेकर न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं होती—एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया जाये, जो उनके मामलों का निर्णय किया करे।

गावों में न्याय पंचायतों को यदि हम कुछ काम सौंप दें, तो अन्य न्यायालयों का बोझ बहुत कम हो जाये और न्याय के काम में शीघ्रता तथा कुशलता भी पैदा हो जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : विधिपूर्ण शासन की आवश्यकता तथा उसके महत्व पर सब से जोर दिया है। हमारे देश में लिखित संविधान होने के कारण यहां न्याय व्यवस्था का बहुत महत्व है। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका का ही काम है। इस प्रसंग में मैं आप को बताना चाहता हूं कि न्यायशास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के महामंत्री श्री लालेव से मैं जब मद्रास में मिला तो उन्होंने बताया कि भारत में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है।

विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि अब भारत की जनता अपने अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत जागरूक हो गयी है। रामेश थापर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उसका आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय में मामले को लाने का उन्हें मूल अधिकार प्राप्त है।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि न्यायाधीश अभी समाजवादी विचारधारा के नहीं हैं। वे समाज को उन्नति में रुकावट पैदा कर रहे हैं। पर मैं श्री पातंजलि शास्त्री द्वारा कही गयी बात का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा था कि हम कार्यकारिणी की बात की अवहेलना नहीं करते बल्कि संविधान द्वारा दिये गये उत्तरदायित्व को निभाते हैं। विधि आयोग ने वकीलों की शिकायत की है कि उनका काम अच्छा नहीं रहा है। मेरा अनुरोध है कि वकीलों को कुछ समाज सेवा भी करनी चाहिए न कि केवल विधि का ज्ञाता होना चाहिए। यदि वकीलों ने ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो संविधान व लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जायेगी।

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की बात के सम्बन्ध में मुझे यह बताना है यह बहुत आवश्यक है। इसके बिना न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो सकती। आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास में इस दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है और हमें आशा करनी चाहिए कि आगे भी हम इसी प्रकार प्रगति करेंगे।

अब मैं विधि मंत्रालय की बात को लेता हूं। अभी हमारे विधि मंत्रालय का ढांचा कुछ पुराना ही है। मैं चाहता हूं कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय विधि मंत्री की राय अवश्य ली जाये। इस सम्बन्ध में शुरुआत कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय विधि जीवी संघ बनाने के सम्बन्ध में एक निश्चित विधान होना भी बहुत आवश्यक है।

मुझे प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की सिफारिश की गयी है। मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारत की न्याय व्यवस्था में एकरूपता रहे। उच्च न्यायालयों की नियुक्ति आयोग द्वारा हो और विभिन्न राज्यों में उनका तबादला भी हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में वकीलों की एक सूची भी हो, जो सरकारी मुकद्दमों की देखभाल करे। प्रायः रेलवे के तथा करों के मामले आते हैं, ऐसे मामलों में वकीलों का चुनाव करने में भेदभाव बरता जाता है। अतः इस सम्बन्ध में कुछ वकीलों की एक सूची हर राज्य में बना दी जाये। इस प्रकार इन वकीलों को अनुभव प्राप्त होगा। आशा है विधि मंत्रालय इस सुझाव को स्वीकार करेगा।

कुछ राज्यों में स्टाम्प की दर मूल्यानुसार रखी गयी है। यह बड़े खेद की बात है। यदि कोई १०,००० रुपये का भूमि का मामला होता है तो लगभग ७ या ८ हजार रुपये के स्टैम्प

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्]

लगाने पड़ जाते हैं। यह बहुत अधिक है। विधि आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ ४९४ पर कहा है कि यह बहुत अधिक है। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कई बार तो इसी के कारण बहुत से मामले न्यायालय तक पहुंच भी नहीं पाते। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद २२६ के अधीन अपील का क्षेत्राधिकार विस्तृत कर दिया जाना चाहिए वर्ना अभी जो प्रणाली है वह बहुत खर्चीली है। मान लीजिये मद्रास राज्य का कोई व्यक्ति संघ सरकार पर मुकदमा चलाना चाहे तो उसे दिल्ली आकर मुकदमा चलाना होगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का क्षेत्राधिकार विस्तृत कर दिया जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में मैं चाहता हूं कि वकीलों की सहायता के लिए कोई कल्याण निधि भी खोली जाये। मद्रास राज्य में ऐसी एक निधि है जिससे ५ या ६ वकीलों की मदद की जाती है। इसके लिए अन्य राज्यों में भी कुछ किया जाना चाहिए। रूस में ऐसी निधि है और उससे वकीलों को सहायता दी जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि हम लोग भी कुछ इस दिशा में अवश्य करें।

इसके अतिरिक्त विधि आयोग ने कानूनी सहायता के सम्बन्ध में ७ खण्डों की चर्चा की है जिसमें बताया गया है कि किन-किन अवस्थाओं में अभियुक्तों को निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य की ओर से दी जानी चाहिए। वास्तव में, वकीलों ने देश की बड़ी सेवा की है। जिस दिन वकीलों तथा न्यायालयों का सम्मान कम होगा उस दिन भारत में लोकतंत्र की नींव हिल जायेगी।

विधि-मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
७०	३२१	श्री वारियर	. व्यवहार तथा दंड विधि को संहिताबद्ध तथा पुनरीक्षित करना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७०	३२२	श्री वारियर	. न्यायिक पद्धति में सुधार की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७०	३२३	श्री वारियर	. उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमों पर विचार करने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण का बनाया जाना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७०	३६१	श्री वारियर	. गरीबों को मुकदमों में मुफ्त कानूनी मदद देना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
७०	२४१	श्री सूपकार	. विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
७०	३१२	श्री कोडियान	. विधि आयोग का कार्यसंचालन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब	१०० रुपये
७०	३३८	श्री कोडियान	. संविधि पुनरीक्षण का काम शीघ्र पूरा करने के लिए विधि आयोग में पूरे समय के सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	४६०	श्री मो० ब० ठाकुर	निर्धनों को शीघ्र, सीधा और सस्ता न्याय दिलाने में असफलता	१०० रुपये
७०	५१०	श्री पु० र० पटेल	. न्यायपालिका में नियुक्ति का प्रश्न	१०० रुपये
७०	५११	श्री पु० र० पटेल	. न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से दूर रखने में असफलता	१०० रुपये
७०	५१२	श्री पु० र० पटेल	. उच्चतम न्यायालय में मुक़दमे का व्यय कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	५१३	श्री पु० र० पटेल	. अधिनियमों तथा नियमों का पुनीरक्षण करने के लिए एक स्थायी आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	६५६	श्री बि० दासगुप्त	सस्ती तथा जल्दी समाप्त होने वाली विधि प्रक्रिया बनाने में असफलता	१०० रुपये
७१	६५७	श्री बि० दासगुप्त	. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के मामलों को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७१	६५८	श्री बि० दासगुप्त	. सही मतदाता सूचियां बनाने में असफलता	१०० रुपये
७१	६५९	श्री बि० दासगुप्त	. धनबाद, सिंहभूम, तथा संथाल परगना ज़िलों की मतदाता सूची बंगाली भाषा में बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
७०	६६०	श्री बि० दासगुप्त	देहाती क्षेत्रों में चुनावों के समय मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के लिए उचित व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : इस सम्बन्ध में किसी के भी दो मत नहीं हो सकते कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखनी चाहिए । इसीलिए हमें इसका बड़ा खेद है कि विधि आयोग ने हमारे न्याय प्रशासन की कुछ कमियों को हमारे सामने रखा है । उन्होंने जो पहली कमी बताई वह यह है कि हमारे न्यायाधीश अब जनता से अधिक मिलने जुलने लगे हैं जिसके कारण उनकी पहले जो इज्ज़त होती थी वह नहीं होती । इसके साथ साथ इन न्यायाधीशों द्वारा किया गया काम भी अब उच्च स्तर का नहीं रहा है । पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय छोटे न्यायालयों के लिए वह वाक्य होते थे परन्तु अब छोटे न्यायालयों के न्यायाधीश वकीलों द्वारा उद्धृत किए गये इन निर्णयों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

मैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की विद्वता का एक उदाहरण देता हूं । हाल में ही मैंने दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन संबंधी एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसकी राय जानने के लिए उच्च-न्यायालयों में भेजा गया । उस पर कुछ माननीय न्यायाधीशों ने अपनी राय भेज दी है । मैं उनकी राय को देख कर स्तंभित रह गया । जब उस विधेयक पर सभा में चर्चा होगी तब मैं उनकी राय के बारे में अधिक बताऊंगा । इस समय तो इतना कहना पर्याप्त है कि राय देखने पर पता लग जाता है कि विधि के सम्बन्ध में उन्हें कितनी ग़लतफहमियां हैं ।

न्याय प्रशासन में इस प्रकार की कमियां आने का कारण जो विधि आयोग ने बताया है, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की पद्धति के सम्बन्ध में है । विधि आयोग ने बताया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों पर डालनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से न्यायाधीश की नियुक्ति करें । इसके लिए संविधान के अनुच्छेद २१७ का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी व्यवस्था के अनुसार ही न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से की जाती है ।

न्याय प्रशासन में गिरावट का दूसरा कारण न्यायाधीशों को वकालत करने की अनुमति देना है । मैं विरोधी पक्ष की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि न्यायाधीशों को सरकार में और कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए । विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की है ।

श्रीमान् मुझे इसका बड़ा ही खेद है कि आयोग ने वकीलों के गिरते हुए स्तर के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा है । जब हम न्यायाधीशों का स्तर बढ़ाने के लिए चिन्तित हैं उसी समय हमें इसकी भी चिन्ता अवश्य करनी चाहिए कि हमारे वकीलों का स्तर न गिरे । मैं एक उदाहरण देता हूं । मेरे ज़िले में एक ज्यूडिशियल आफीसर थे जिसके खिलाफ़ घूस लेने की शिकायतें थीं । मैं ज़िले के ज़िलाधीश से मिला और उन्होंने जांच करने के पश्चात् उस पदाधिकारी को पद्च्युत करा दिया । पद्च्युति के बाद वह व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि आपने मुझे तो दण्ड दिला दिया परन्तु उन वकीलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जो मुझे घूस देते थे । इसलिए हमें वकीलों का स्तर उठाने का भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए जिससे न्यायालयों में भ्रष्टाचार आदि को प्रोत्साहन न मिले ।

विधि आयोग ने कहा है कि न्याय सस्ता होना चाहिये और उसमें शीघ्रता लानी चाहिये । परन्तु भारत में आज इसके विपरीत ही काम होता है । विधि आयोग ने न्यायालयों में न्यायालय फीस लेने को बहुत बुरा बताया है । उन्होंने कहा है कि एक दीवानी मुकदमा दायर करने में इतनी फीस लग जाती है जितनी न्याय प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा अपराधी को दण्ड दिलाने में व्यय होती है । इंगलैंड में इस प्रकार की न्यायालय फीस नहीं ली जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं आशा करता हूं कि विधि आयोग के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा के लिए समय दिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ कर अपना भाषण दे सकते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आपकी बहुत मेहरबानी। आपकी एडवाइस के मुताबिक और साथियों की एडवाइस के मुताबिक मैं अब हाउस में बहुत कम बोलता हूं और आज भी मेरा बोलने का इरादा नहीं था.....

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी एडवाइस तो यही थी।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सब की इच्छा यही है कि आज भी आप ज्यादा न बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा जिससे कि उस एडवाइस की अवहेलना हो।

जिस तरह से ला मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर यहां पर बहस हो रही है उसे देखकर मुझे हैरानी होती है। ला मिनिस्ट्री का काम आज तक इस देश में इतना अधिक और इतना बड़ा नहीं रहा है जिसके ऊपर कि क्रिटिसिज्म किया जा सके। ला कमिशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और उसके अन्दर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनको पढ़ करके हमें शर्म आती है। लेकिन इसमें ला मिनिस्टर साहब का या ला मिनिस्ट्री का क्या कसूर है। ला मिनिस्ट्री का तो यह काम नहीं है कि कहीं पर वह एप्वाइंटमेंट आफ हाई कोर्ट जज़िज़ में हिस्सा ले, ला मिनिस्टर साहब का काम नहीं है कि जस्टिस के ऊपर ऐसे बोले जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज़िज़ बोलते हैं या हाई कोर्ट के जज़िज़ बोलते हैं। उसका काम उस तरह का भी नहीं है जिस तरह का कि दूसरी मिनिस्ट्रीज़ का है। उसका काम सिवाय एक दो चीज़ों के बहुत छोटा सा है और उसका ज़िक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। उसमें कहा गया है कि विधि मंत्रालय का काम विधि संबंधी मामलों पर अन्य मंत्रालयों की सहायता करना, विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों का प्रारूप बनाना, राज्यों के विधेयकों अध्यादेशों के प्रारूप बनाना, तथा केन्द्रीय अधिनियमों का प्रकाशन है। इसके अलावा उसका थोड़ा सा काम ला कमिशन के सम्बन्ध में और साथ ही साथ इनकम टैक्स एपिलट ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध में हैं। इन कुछ एक कामों के अलावा ला मिनिस्ट्री का कोई और ऐसा काम नहीं है जिसकी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर थोपी जा सके या जिस के लिए उसको लायबल करार दिया जा सके।

मेरे दोस्तों ने कहा है कि ला मिनिस्ट्री का काम ज्यादा बड़ा किया जाना चाहिये और ला मिनिस्ट्री को अख्तयार दिया जाना चाहिये कि सारे लाज़ के मुताल्लिक वह अपनी रायज़नी कर सके। ऐसे ला बनाने की इज़ाजत ही नहीं होनी चाहिये जिनको कि ला मिनिस्ट्री पास न करे और चन्द उसूलों के मुताबक उन लाज़ (विधियों) को यहां पर पेश ही नहीं किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा रोल आज ला मिनिस्ट्री का नहीं है और न ही उस रोल को अदा करने के वह काबिल है क्योंकि ये सब उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। अगर ये सब चीज़ें उसकी जुरिसडिकशन में होतीं तो मैं समझता हूं कि बहुत से कानून जो हाउस के अन्दर आते हैं और जो कि उन उसूलों के खिलाफ होते हैं जिन उसूलों को कि हमने अपनी कांस्टीट्यूशन में रखा है, वे कभी भी न आते और उनको पेश करने की या उनको पास करने की ला मिनिस्टर

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

साहब इजाज़त न देते। मैं इस बात में शामिल होना चाहता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ला मिनिस्टर साहब नौजवान और कानूनदां हैं और अगर उनकी नज़रों से वे कानून गुज़रते—जैसे कि गुज़रने चाहियें थे—और उनके अन्दर उनका दखल होता और वह यह कहते कि यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है या कानून के खिलाफ है तो वे कानून इस हाउस के अन्दर आने नहीं चाहियें थे। मुझे डर है कि अभी तक उनके इस फंकशन को न दूसरी मिनिस्ट्रीज़ मानती हैं और न ही वह खुद ही मानते हैं। अगर यह चीज़ आज हो जाए तो मुझ से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ला मिनिस्ट्री और ला मिनिस्टर साहब इस देश के उसी तरह से पासबान होने चाहियें जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की पासबान है। इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ की और दूसरी चीज़ों की पासबान ला मिनिस्ट्री और ला मिनिस्टर साहब होने चाहियें और कोई भी कानून इस हाउस में ऐसा नहीं आना चाहिये—साथ ही साथ इस देश के अन्दर भी—जो कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक न हो। लेकिन हम हर रोज देखते हैं कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ़ जो कानून होते हैं वे भी यहां आते हैं, उसमें ला मिनिस्टर साहब का कोई दखल नहीं है, उनको दूसरे मिनिस्टर खुद ही लाते हैं, और वही झगड़ा करते हैं। हम तो ला मिनिस्टर साहब की या डिप्टी ला मिनिस्टर साहब की शक्ल यहां चन्द मौकों पर ही देखते हैं और वह भी उन मौकों पर जब कोई कानूनी मुद्दा पेश होता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि ला मिनिस्ट्री का काम उतना ही नहीं रहना चाहिये जितना कि आज है और उससे बहुत ज्यादा होना चाहिये।

ला कमीशन की रिपोर्ट का भी यहां पर ज़िक्र किया गया है। उसकी बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि इस रिपोर्ट को पढ़ कर जितना डिसक्वैट इस हाउस में ज़ाहिर किया गया ,उससे कहीं ज्यादा इस देश के अन्दर हुआ है। मुझे कहना यह चाहिये कि अगर कोई मुझ से पूछे कि इस देश के अन्दर क्यों नेपाटिज्म है, क्यों इस देश के अन्दर कम्यूनलिज्म है, क्यों इस देश के अन्दर ख़राबियां हैं, क्यों करप्शन है, तो इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं होगा कि :

"गर कुफ अज़ काबा बर खेजद, कुजा बवद मुसलमानी"

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स जजेज के अप्वाइण्टमेंट में कम्यूनलिज्म पोलिटिकिल इन्फ्लुएंस और रीजनलिज्म दाखिल होते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स स्टेट्स के हैं वह क्यों न मनमाना कम्युनलिज्म करें, क्यों न वह सारे काम ऐसे करें जो उस नमूने के मुताबिक हों जिसमें इस वक्त हिन्दुस्तान गर्क है ? गीता में कहा है :

"यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥"

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के जजेज किस तरह मुकर्रर किये गये हैं यह मैं इस किताब में से पढ़ कर सुनाऊंगा जिसे कि ला कमीशन ने लिखा है। वे जजेज मुकर्रर तो प्रजिडेंट के नाम से होते हैं लेकिन मुकर्रर करने वाले असल में केबिनेट के मिनिस्टर साहबान होंगे, जो कि हमारे प्रसिडेंट साहब को एड्वाइस करते हैं। अगर यह दुरुस्त है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस ने कम्यूनलिज्म किया है ? किस ने पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेज को दाखिल किया ? आज हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेज क्यों इन्साफ नहीं कर सकते ? क्योंकि वह पालिटिक्स के क्रीचर हैं, क्योंकि उनके अप्वाइंटमेंट में कम्यूनलिज्म को दाखिल किया गया। मुझे याद है सन् १९४७ में जिस वक्त पार्टिशन हुआ उसके पहले क्या हालत थी। जब पुराने पंजाब के हाईकोर्ट

में जजेज फैसला करते थे तो यह होता था कि अगर मुलजिम मुसलमान है और जज भी मुसलमान है तो मुलजिम बरी हो जाता है, अगर मुलजिम हिन्दू है और जज भी हिन्दू है तो भी मुलजिम बरी हो जाता है। यह हालत आज नहीं उस वक्त थी जबकि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। क्योंकि जितने भी अप्वाइंटमेंट्स होते थे वह कम्यूनल बेसिस पर होते थे। पुराने जमाने के एक बड़े चीफ जस्टिस साहब हिसार तशरीफ ले गये क्योंकि वह अर्दलियों और मुहर्रिरों की दो रुपयेकी रिश्वत बन्द करना चाहते थे। बार एसोसिएशन में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में लेक्चर देने के बाद उन्होंने कहा कोई वकील अगर कुछ कहना चाहेतो कह सकता है। मैं उस वक्त असेम्बली का मेम्बर रह चुका था और मुझे जुर्रत थी कि जो असल बात हो उसे कहूं। मैंने पूछा कि आप अर्दलियों और मुहर्रिरों की दो रुपये की रिश्वत बन्द करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और सुनने की हिम्मत है? उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कहूंगा वे सुनेंगे। मैंने कहा कि सुनिये! आपके सुपरिन्टेंडेंट पुलिस राशी हैं, वह अंग्रेज हैं, उनको पकड़िये। मने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा कि वह रिश्वत लेते हैं। एक एक थाने से २१, २१ हजार रुपया बंधा हुआ है। क्या आप यह सब सुनने के लिये तैयार हैं? उन्होंने जबान दबा ली और कुछ नहीं बोले। मैंन कहा कि एक और बात कहनी है। आप को सारा सिस्टम ५६ परसेन्ट सिविल पोस्टें मुसलमानों को देता है, इतनी सिखों को देता है, इतनी हिन्दुओं को देता है, तब क्या आप उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे लोग कम्युनल नहीं बनेंगे? वह इस का कुछ जवाब नहीं दे सके। शाम को वह मुझे एक जयाफत में मिले और कहा कि तुमने मुझ से बड़े कड़े कड़े सवाल किये। मैंनें कहा कि सवाल तो कड़े किये पर उनका जवाब मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जवाब कुछ नहीं है। जवाब यह है कि हिन्दुस्तान का जो पुराना सिस्टम था वह बड़ा आला था, जिस में जो हायस्ट आदमी होता था वह दुनिया से विरक्त होता था, किसी की रियायत मंजूर नहीं करता था। लेकिन चूंकि हम जजेज इस तरह से बनाते हैं तो फिर उस का नतीजा यही निकलेगा। जिस वक्त हमारा कांस्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त मैंने अर्ज किया था—उस वक्त कांस्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सात जजेज थे, सप्तऋषि की तरह से होंगे, अबव आल टेम्प्टेशन्स, अबव आल इन्फ्लुएन्सेज होंगे। जो कि परवाह नहीं करेंगे एग्जिक्यूटिव की और पूरी तरह से इन्साफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेज बनाते वक्त एक्स्ट्रेनियस कंसिडरेशन्स रक्खे जाते हैं। जिस वक्त यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के जजेज की कंडिशन्स आफ सर्विस ऐंड पेंशन का बिल आया उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जजेज बनाये जाते हैं। वे और किसी भी कंसिडरेशन से अप्वाइंट होते हों लेकिन कम से कम मेरिट्स पर नहीं आते हैं। मैंने जो कहा था वह अपनी प्राइवेट नालेज की बिना पर कहा था। मैं कम से कम पंजाब हाईकोर्ट के जजेज के बारे में जानता हूं। अभी चन्द अप्वाइन्टमेंट्स हुए। मैं हाईकोर्ट के लोगों के पास गया, बार में गया जजेज से मिला, बार एसोसिएशन के मेम्बर्स से मिला। मैं उन साहबान से वाकिफ नहीं था जो जज मुकर्रर किये गये। एक साहब ने कहा कि एक शख्स जो टाउटिज्म का सबसे बड़ा एक्स्पोनेन्ट है, वह हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। एक और शख्स जो हर तरह के इन्फ्लुएंसेज को मानता है, जिसकी प्रैक्टिस ऐट दि बार कुछ नहीं थी, वह अप्वाइंट किया गया। मैं सुन कर शर्म के मारे गड़ गया। यहां जब बिल आया तो मैंने अर्ज किया, होम मिनिस्टर साहब के सामने अर्ज किया कि ऐसी शिकायतें हमारे सामनें आई हैं और वह दुरुस्त हैं। इसी वास्ते मि० ऐन्थनी ने चन्द जजेज के बारे में जो कुछ कहा उसको सुन कर मुझे बड़ा रंज हुआ। जो शिकायत थी उस की ताईद हमारे ला कमीशन आफ इण्डिया ने जो किताब लिखी है उससे पूरी की पूरी होती है। जिन अल्फाज में उन्होंने कंडेम्नेशन किया वह हायेस्ट कंडेम्नेशन आफ दि गवर्नमेंट है। इससे ज्यादा कोई कंडेम्नेशन नहीं हो सकता। इस देश से कम्यूनलिज्म कभी नहीं हट सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेज के अप्वाइंटमेंट में जैसा कि ला कमीशन ने कहा है, इंफ्लुएंस काम करता है।

अभी एक साथी ने पूछा कि एक मजिस्ट्रेट को हटाया गया। और जो वकील मजिस्ट्रेट को रिश्वत दिलवाते थे उनको हटाया गया या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन होम मिनिस्टर्स को या

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने सिफारिशें आ कर कीं और उन चीफ मिनिस्टर्स को जिन्होंने जजेज को मुकर्रर कराया, उनको कोई सजा दी जायगी ? उनके साथ कोई इस तरह का बर्ताव किया जायगा कि क्यों उन्होंने इस देश के अन्दर इस सोर्स आफ जस्टिस को गन्दा कर दिया, जिसकी वजह से सारे देश के अन्दर सिवा गन्दगी के दूसरी चीज चलेगी नहीं ? क्यों आप एक छोटे आदमी को पकड़ते हैं, क्यों एक मुंसिफ को पकड़ते हैं जो किसी के साथ रियायत करता है, क्यों एक छोटे से जज को पकड़ते हैं जब कि सारे देश का हाल यह है ? मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूं । सफा ६६ पर जो लिखा है उसको पढ़ कर हर एक पेट्रियट को सिवा रोने के कुछ दिखाई नहीं देता । सफा ६६ पर जो कुछ लिखा हुआ है वह किन अल्फाज में लिखा जायेगा ? गोल्डन अल्फाज में नहीं, वह डार्क लेटर्स में लिखने के काबिल है । यही नहीं वह ३८ करोड़ गरीब हिन्दुस्तानियों के खून से लिखे जाने के काबिल है जिनकी किस्मत पर यह केबिनेट बैठी है । उसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रेजिडेंट के नाम पर कितना अत्याचार किया गया है । इसमें लिखा हुआ है कि सभी ने बताया कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका अपना असर डालती है । राजनैतिक, जातीय, प्रादेशिक भावनाओं के कारण न्यायाधीश पद पर उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाता । सेवाओं में चुने गये व्यक्तियों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है । हमें विश्वास हो गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लोगों में बड़ा असन्तोष है । मुख्य न्यायाधीश कानिया के सुझावों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नहीं की गई है ।

इसके अलावा उसमें कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि यदि मन्त्रालय न्यायाधीशों की नियुक्ति में इसी प्रकार हस्तक्षेप करता रहा तो पुराने न्यायाधीशों के सेवा-निवृत्त हो जाने पर, एक समय आयेगा जब न्यायपालिका वस्तुत: राजनीतिज्ञों की अधीन हो जायेगी । इस के अन्दर बहुत सी और बातें भी लिखी हुई हैं जो कि इससे भी ज्यादा सख्त हैं । एक चीफ जस्टिस आफ इण्डिया का कोटेशन है जिसको पढ़ कर मालूम होता है कि गजब हो गया । सिर्फ एग्जिक्यूटिव के अन्दर नहीं, जुडिशियरी के अन्दर भी जो क्रिटिसिज्म किया गया है चीफ जस्टिस आफ दि हाईकोर्ट्स का वह भी इतना सख्त है कि उसे पढ़ कर शर्म आती है । वह कहते हैं कि इस सिस्टम की वजह से जो अप्वाइंटमेंट की रिकमेन्डेशन हैं वह पहले निकलती है चीफ जस्टिस आफ दि हाईकोर्ट से, फिर जाती है चीफ मिनिस्टर और स्टेट के गवर्नर के पास, फिर चीफ मिनिस्टर कई दफा अपने आप डाइरेक्ट होम मिनिस्टर के पास रिकमेन्डेशन भेजता है । हाईकोर्ट को पता भी नहीं लगता कि किसकी रिकमेन्डेशन है और वह आदमी मुकर्रर हो जाता है । इसकी वजह से कई चीफ जस्टिस बहुत सोच विचार कर के रिकमेन्डेशन करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा जज उसके सिर पर थोप दिया जाय जो उसकी मंशा के मुताबिक न हो और हाल खराब हो जाय । इस गरज़ से चीफ़ जस्टिस अपनी राय वह बनाते हैं जो कि चीफ़ मिनिस्टर की है । इसके माने सीधे यह हैं कि इन हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को बन्द करो और यहां पर डिक्टेटर्स रूल और आर्बिटेटरी रूल होना चाहिये अगर हमारे जजेज़ की यही क्वालिटी है । मुझे यह कहते हुए शर्म आती है । मैंने ५० वर्ष से ज्यादा इन अदालतों में प्रैक्टिस की है और मैंने दो तीन वर्ष से पहले यह कभी नहीं सुना था कि हाईकोर्ट्स के जजेज़ के पास सिफारिशें पहुंचती हैं और एन-फ्लुएंसेज़ वर्क करते हैं । लेकिन मुझे अब इस बात का यकीन हो गया है कि हाईकोर्ट्स में इतना डिटौ-रियेशन हो गया है कि लोग वहां पर जाकर सिफारिश बगैरह करने की जुर्रत करने लगे हैं । अब यह तो कहना मुश्किल है कि उन सिफारिशों का असर कितना होता है लेकिन अब चूंकि यह चीज़ें चलने लगी हैं और लोगों को पता है तो वे यह कहे बगैर नहीं रह सकते कि उन चीजों का असर भी होता है ।

एग्ज़ीक्यूटिव और चीफ़ मिनिस्टर्स की जो हालत है वह मैं आप के सामने अर्ज़ नहीं करना चाहता । मैं अपने हाई कोर्ट्स की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन यह मेरे इल्म में आया है और

मुझे मालूम हुआ है कि किस तरह चीफ़ मिनिस्टर्स का जिन मुकदमात में वास्ता हो उन की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाती है ताकि फ़लांने जज के सामने उन की ऐप्लीकेशन सुनी जा सके । कहने का मतलब यह है कि इतना डिटौरियेशन हमारे अन्दर आ गया है । इस देश के अन्दर जो स्टैन्डर्ड ब्रिटिश जस्टिस का था आज वह क़ायम नहीं है यह मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है । आज अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पर से लोगों का कौनफ़िडेंस जाता रहा तो इस देश की सौलिड रौक के अन्दर एक ब्रीच पैदा हो जायेगी, एक दरार पड़ जायगी । आयन्दा के वास्ते जो भी कोई यहां पर होम मिनिस्टर हों, जो भी कोई यहां पर प्राइम मिनिस्टर हों या प्रेसीडेंट साहब हों, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज़ करूंगा कि ऐसी शिकायत फिर हाउस के अन्दर कभी नहीं आनी चाहिये । आयन्दा कभी किसी ला कमिशन को यह कहने का मौका नहीं होना चाहिये कि वह यह कह सके कि सिवाय मैरिट के और कोई चीज़ कंसिडरेशन में आई । मैरिट कंसिडरेशन पर ही कोई शख्स हाईकोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट का जज मुक़र्रर किया जाय । मैंने जनाब की तवज्जह इस तरफ़ दिलाई । हो सकता है कि मैंने अपने फ्रस्ट्रेशन में शायद कुछ ज़रूरत से ज्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किये हों । मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास और सख्त अल्फ़ाज़ नहीं हैं जिनको कि मैं इस चीज़ को कंडैम और डिपिक्ट करने के वास्ते इस्तेमाल कर सकूं कि इन ऐपायन्टमेंट्स में सिवाय मैरिट के कोई और कंसिडरेशन ऐंटर करता है । अब जिस तरह से कि नजफ़गढ़ नाले की गंदगी से दिल्ली के लिये पीने वाला पानी गन्दा और अनहैल्दी हो गया और उस को पी कर लोगों में बीमारियां फैलीं उसी तरह हमारी जुडिशिएरी में से यदि नैपोटिज्म, कम्युनलिज्म और फेवरेटिज्म की गन्दगी नहीं जायेगी तो हमारे देश के लोगों का विश्वास जुडिशिएरी से उठ जायगा और यह देश के वास्ते और डैमोक्रेसी के वास्ते बड़ा खराब होगा । जब मैं देखता हूं कि हमारी कैबिनेट और सारे लोग सुबह से शाम तक सिवाय नैपोटिज्म और करप्शन को कंडैम करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते तो यही कहना पड़ेगा कि "कौबलर मेड दाई शूज़" ।

इस के अलावा जनाब मुलाहिज़ा फ़रमायें कि हमारे कांस्टीट्यूशन के ५०वें सैक्शन में लिखा हुआ है कि जुडिशिएरी के और एग्ज़ीक्यूटिव के फंक्शस अलहिदा होंगे, सैप्रेट होंगे लेकिन मैं देखता हूं कि जिस वक्त यहां पर क़ानून बनाते आते हैं उस वक्त यह चीज़ नहीं देखी जाती । मैं आनरेबुल ला मिनिस्टर की खिदमत में अर्ज़ करूंगा . . . . मुझे अफ़सोस है कि वह ऐन मौके पर उठ कर जा रहे हैं, खैर जो मैं अर्ज़ करने चला हूं उस को उन के डिप्टी साहब नोट कर लेंगे ।

(विधि मंत्री सदन् के बाहर न जा कर अपनी जगह पर बैठे रहे)

आप हिन्दुस्तान के एमिनेंट लायर्स में से हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम में से एक ला मेम्बर हैं और हम आप से यह उम्मीद करते हैं और हम यह चाहते हैं कि कोई भी बिल इस हाउस के अन्दर न आये और उस के अन्दर ऐसी चीज़ न आनी चाहिये जिस से सैप्रेशन आफ़ जुडिशिएरी और एक्ज़ीक्यूटिव के असूल पर आघात हो ।

इस हाउस के अन्दर कितने ही वर्षों से मैं यह झगड़ता चला आया हूं कि जहां तक इनकम-टैक्स ला का सवाल है वहां पर यह जो एपेलेट कमिशन बनता है, उस के ट्रान्सफ़र में, उन के एमौल्यूमेंट्स में और उन की तरक्की में आज हमारी एक्ज़ीक्यूटिव को दखल न हो । यह तो छोटा सा रिफार्म है । मैं दस बरस से झगड़ता चला आया हूं । श्री सी० डी० देशमुख से, एक बिल की कमेटी के मौके पर, जिस का मैं चेअरमैन था, मैं ने झगड़ा किया । उन्होंने इस को देखा लेकिन आखिर में वह इस को न कर सके । मैं हर मौके पर जितने बिल आप के आये हैं, हमेशा झगड़ा करता रहा हूं कि यह नामुनासिब है कि जो शख्स फैसला बतौर जज करे वह एग्ज़ीक्यूटिव के नीचे हो । लेकिन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह जरा सा रिफार्म आप नहीं कर सकते । इनकम टैक्स ट्रीब्यूनल के अन्दर आप का खास अख्त्यार है, इस किताब में लिखा है कि आप उस के खास इन्चार्ज हैं । मैं एक चीज नहीं कई चीज बता सकता हूं जिस के लिये इस हाउस के अन्दर झगड़ा हुआ, दरअस्ल मैं आप से यह पर्सनल तौर से नहीं कह रहा हूं । ला मिनिस्टर के औहदे का जो ज्यूरिज्डिक्शन होना चाहिये, जो भी बिल आप की कलम से निकला, उस के अन्दर हमारे कांस्टिट्यूशन में जो उसूल दिये हुए हैं उन के बखिलाफ इस हाउस के अन्दर कुछ नहीं आने पाये । अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के अन्दर कान्स्टिट्यूशन की भी इज्जत होगी और देश के अन्दर इन्साफ ज्यादा बढ़ेगा ।

जनाब के रूबरू जायदाद के बारे में बहुत कुछ कहा गया । जायदाद के बारे में कोर्ट्स ही फ़ैसले कर सकते हैं और कोर्ट्स को ही फ़ैसले ठीक देने चाहियें और उन के ऊपर इतना खर्च भी होता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस जायदाद का हिन्दुस्तान में क्या बनेगा ? सुबह से शाम तक पिछले दस बरसों से किसी आदमी की लैंड के हकूक के मुताल्लिक कोई सर्टेन्टी नहीं रही है कि कब तक वह जमीन उस के पास रहेगी या कब खत्म होगी । सारी जायदादें जो हिन्दुस्तान के अन्दर हैं, सारी की सारी लैण्ड्स अनसर्टेन्टी की लैप में पड़ी हुई हैं । पंजाब के लैंड रिफार्म्स के मुताल्लिक मैं चैलेन्ज करता हूं कि यहां बैठा हुआ कोई मिनिस्टर या कोई जज मुझ को बतला दे कि आज ला की क्या हालत है । कोई भी नहीं जानता, न मिनिस्टर जानते हैं, न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जानते हैं और न वकील जानते हैं कि ला की क्या हालत है और कितने बीघा जमीन एक आदमी रख सकता है और किन हालात में रख सकता है । कौन सा ला वैलिड है और कौन सा ला वैलिड नहीं है जमीद की तकसीम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, लीगल और मारल है । मैं कपता हूं कि यह गलत है और उसे गलत समझा जाना चाहिये क्योंकि जब सब चीज अनसर्टेन्टी में है तो कोर्ट्स क्या करेंगे ? कोर्ट्स को कोई अख्त्यार नहीं है । कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव ने अपने नीचे दबा रक्खा है । सारे रेवेन्यू कोर्ट्स में ला की रेन नहीं है । नये नये कोर्ट्स बना दिये जाते हैं ताकि वे अलग-अलग फैसले करें और इस तरह से आर्डिनरी कोर्ट्स के जितने हकूक हैं वे सल्ब किये जाते हैं । मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि यहां हम ऐसी अनसर्टेन्टी में पड़ हुए हैं जिस का ठिकाना नहीं है । प्रापर्टी का कानून सर्टेन नहीं है ।

यहां पर मैं क्रिमिनल ला का जिक्र करूं तो जनाबवाला हैरान हो जायेंगे । अभी तक फीरोजपुर के अन्दर वह थाना नम्बर १ मौजूद है जिस में ऐक्यूज्ड की पिटाई की जाती थी और यह चीज हर एक सैशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट सब जानते हैं । थर्ड रेट मैथड्स आज भी मौजूद हैं । यह हालत है हालांकि ला नहीं है । मैं ने ला कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ा और मुझे अफसोस है कि उन्होंने चन्द फिकरों में, चन्द सफहों में इस ओरिजनल सवाल को डिसमिस कर दिया जैसाकि खडिलकर साहब ने भी कहा है । ला जितना हमारा है, वह सारा एंग्लो सिस्टम पर बेस्ड है, हमारी पार्लियामेंट मदर आफ पार्लियामेंट्स के डिजाइन पर । हमारे ला कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट और दूसरी सब चीजें उस सिस्टम पर बेस्ड हैं । यह ख्याल तो छोड़ दीजिये कि वह कितना **इंडियन वे आफ थिंकिंग** है, और कितना इंडियन जीनियस के मुताबिक यह चीज़ बनाई गई है और इन्साफ क्या है । हम को मान लेना चाहिये, जिसे उन्होंने डिसमिस कर दिया और हर एक आदमी यह डिसमिस कर देगा कि आज के दिन हमारा सारा इंस्टिट्यूशन एंग्लो सैक्शन टाइप का है । अगर हम उस को मानें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस ऐंग्लो सैक्शन सिस्टम और ला आफ एविडेंस ने हमारा क्या हाल किया है ? मसल मशहूर है कि जो अदालत के सामने जा कर सच बोलता है, और जो पंचायत में आ कर झूठ बोलता है वह आदमी असल मां बाप का बेटा नहीं है । अदालतों में झठ इस कदर चला हुआ है तो भी मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि कोई चीज इस ला कमिशन ने इस सारे झूठ को हटाने के वास्ते की है ? कोई चीज आज कोर्ट स के अन्दर की गई है, मैं नहीं जानता । मैं एक पुराना वकील

हूं, क्रिमिनल लाइअर हूं, बरसरे बाजार, गांव के बीच में कत्ल होता है लेकिन लोगों की आंखों के सामने मुल्जिम छूट जाता है, यह किस वजह से है ? यहां जो यह ऐंग्लो सैक्शन तरीका है गवाही का, एविडेंस का, पुलिस मैथड्स का, वह इतनी देर चला और यह उसी का नतीजा है । हमारी जीनियस यह है, हम यह चाहते हैं कि ऐसा इन्साफ मिले, जैसेकि हम कभी रामराज्य का जिक्र करते थे कि इस तरह का इन्साफ उन का था । हमें कह देना चाहिये कि पुराने सिद्धान्त खत्म हुए और लीगल जस्टिस हमारा सिद्धान्त है और लोगों को इससे तसल्ली होगी । आप उसी पर इक्तफा करें । अपने कोर्ट्स को बेहतर बनायें । कोर्ट्स को बैहतर बनाने का इस से अच्छा तरीका नहीं है कि आप के जजेज फर्स्ट क्लास और अच्छे से अच्छे हों ।

मुझे खुशी है कि अब हमें मौका भी मिला है एक तरह से तारीखी इन्स्टिट्यूशन को बनाने का, अपनी जीनियस को एक्सर्साईज़ करने का । अब इन कोर्ट्स के अलावा पंचायत कोर्ट्स भी बनने लगे हैं, वहां पर न्याय होगा अगर आप दूसरा ला बना सकें, लोगों की जीनियस के मुताबिक बना सकें । अगर हम इस पुराने इन्स्टिट्यूशन को, जिस को हम ने ट्राई कर लिया है, खैरबाद कह दें, मौजूदा ला आफ एविडेंस को और बाकी सिस्टम को, तो बहुत बेहतर होगा और मुमकिन है कि हम किसी हद्द तक पुराने आयडियल के इन्साफ के पास पहुंच सकें । वरना मुझे डर है जिस तरह का इन्साफ था, अंग्रेज़ो ने सब्जेक्ट पापुलेशन को जिस तरह का इन्साफ करने का तरीका दिया हुआ था, मैं नहीं कहता कि ऐसा उन्होंने नेकनीयती से नहीं किया बल्कि उन के मुल्क में वही था और यहां आ कर उसी को रायज कर दिया, हम उस के काबिल नहीं थे और वह हमारी जीनियस के मुताबिक नहीं था । नतीजा यह हुआ फिलवाकया इन्साफ हिन्दुस्तान से उनका होता गया । अंग्रेज़ों के जमाने में और अब भी उनका होता गया वह इन्साफ़ जिस को हम इन्साफ समझते हैं । तो भी मैं कहता हूं कि ब्रिटिश कोर्ट्स के अन्दर शायद आज के मुकाबले ज्यादा इन्साफ होता रहा हो क्योंकि उस वक्त में जजेज़ की ऊंचे दर्जे के अप्वाइंटमेंट्स में इतना गोलमाल नहीं होता था जितना कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में होता है । इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक इन चीजों का सवाल है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पर जिक्र आया कि कानून का तरीका महंगा है या सस्ता है , क्या मैं जनाब की तवज्जह कांस्टिट्यूशन की दफा १३४ की तरफ दिला सकता हूं और हाई कोर्ट्स के सब रूल्स की तरफ दिला सकता हूं या जितने पब्लिश्ड डिसीज़न्स हैं उन की तरफ दिला सकता हूं कि अगर लिटिगेशन की जितनी प्रापर्टी है उस की कीमत ५०० या ५००० रु० या उस से ज्यादा होती है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन आफ फैक्ट बन जाता है । सिविल कोर्ट के अन्दर दूसरे अपील में अदालत दरअस्ल फैक्ट की अदालत नहीं रहती है । कोई ऐसा मुकदमा जिस की मालियत २० हजार रु० या उस से ऊपर की हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाये जाने का हक है । अगर कानून का सवाल हो वरना अपील सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकती ।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि एक आदमी को हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से इन्साफ तभी मिल सकता है जब कि उस की इतनी प्रापर्टी इनवाल्व्ड हो । इस के मानी तो यह होंगे कि जिस की थोड़ी प्रापर्टी है उस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इन्साफ मिल ही नहीं सकता । जिस का मामला छोटा है वह उस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले ही नहीं जा सकता । इस के अलावा वहां का खर्चा इतना है कि किसी की हिम्मत नहीं कि हाई कोर्ट तक पहुंचे । हमने अपने कांस्टिट्यूशन की दफा १४ में यह लिखा है कि सब को ईक्वल आपार्चुनिटी होगी । लेकिन जिस आदमी का थोड़ी जायदाद का मामला है उस की तो वहां तक पहुंच हो ही नहीं सकती । यह बहुत नाजायज चीज है ।

इसी तरह से मैं एक लफ्ज क्रिमिनल ला के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । कितने ही ऐसे केसेज हुए हैं, हांलांकि वे रेअर हैं, जिन में कि एक बेगुनाह आदमी को फांसी का हुक्म होता है । ऐसे केसेज़ में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह मुकदमा बतौर हक के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता । फांसी का सिर्फ वही मुकदमा बतौर अपील के हक के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसमें हाई कोर्ट ने काले पानी की सजा को फांसी की सजा में बदल दिया हो । ऐसे केसेज के सिवा और दूसरे फांसी के केस बतौर हक के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते । यह ठीक नहीं है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन्सानी कमजोरी इम्परफैक्शन के लिहाज से ऐसे सारे केस जिन में फांसी की सजा दी गई हो बतौर हक के सुप्रीम कोर्ट तक जाने चाहियें । मैं जानता हूं कि इस का असर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट फ्लेडेड हो जायेगी क्योंकि ऐसे केसेज की तादाद ज्यादा होती है । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे इल्म में ऐसे केसेज हैं कि जिन में बेगुनाह आदमी को फांसी की सजा हो गयी और वह सुप्रीम कोर्ट से इन्साफ हासिल नहीं कर सका क्योंकि वह बतौर हक के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता था । एक केस नहीं कितने ही ऐसे केसेज मेरे इल्म में हैं । जहां तक इन्सानी ताकत का ताल्लुक है डैथ को रिकाल नहीं किया जा सकता है । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे जितना भी खर्चा हो, इस तरह के केसेज को जरूर बतौर हक के सुप्रीम कोर्ट ले जाने की इजाजत होनी चाहिये ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, ला कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह निश्चित सा लगता है कि कानून मंत्रालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसे बढ़ना चाहिये । अभी तक कानून मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र मसविदा बनाने वाले जैसा, एक मुहर्रिर के काम का रहा है, और जहां तक नीति सम्बन्धी बातों का सवाल है उन से उस का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । ला कमीशन की रिपोर्ट के बाद गृह-मंत्रालय का वह सारा का सारा कार्य जो कानून से सम्बन्ध रखता है वह कानून मंत्रालय के जिम्मे किया जाना चाहिये, मैं ऐसा महसूस करता हूं । सदन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिये बहुत ही प्रतिष्ठा के शब्द कहे गये हैं । मैं उन शब्दों के साथ अपने को जोड़ता हूं ।

लेकिन यह आशंका प्रकट की गयी है कि देश के ऐसे कितने नागरिक हैं जिन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता है । यह ऐसी बात है जिस पर कि गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है । असल में अगर हम हिन्दुस्तान की जनता को निष्पक्ष और सस्ता न्याय दिलवाना चाहते हैं तो जो परम्परा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हमारे देश में रही है, उस को हमें नीचे जिला और तहसील तक लाना होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमें उस परम्परा को अपनी पंचायतों में लाना होगा । हम जो पंचायतें चालू करने जा रहे हैं उन में हम को वह परम्परा लानी होगी ।

इस सिलसिले में ला कमीशन ने जो अखिल भारतीय जुडीशियल सरविस की सिफारिश की है मैं उसका स्वागत करता हूं । अभी तक क्या होता था । हमारे यहां मजिस्ट्रेट होते हैं । उन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, उन की पदोन्नति और उन के कार्य की देखभाल एग्जीक्यूटिव करती है । इसलिये उन को यह आश्वासन नहीं रहता था, उन को यह विश्वास नहीं रहता था कि अगर वह कानून के मुताबिक अपना काम, अपनी भावनाओं के अनुसार अपना काम करेंगे तो उन का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा । इसलिये इस संदर्भ में यह भी बहुत आवश्यक है कि जहां पर आल इंडिया जुडीशियल सरविस का गठन हो, उस के साथ ही साथ निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का अलगाव भी होना चाहिये । जब तक यह अलगाव नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान के नागरिकों को न सस्ता न्याय मिल सकता है और न उन को यह विश्वास हो सकता है कि उन को न्याय मिलेगा । आखिर आज होता क्या है ? जब भी जनता की मांगों को लेकर आज लोग वक्त की सरकार से लड़ते हैं, तो वक्त की सरकार के लोग, चूंकि अभी जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपेरेशन नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से, या उन के कान में कह कर इस तरह के काम कराया करते हैं कि जिन से कानून की हत्या हो जाती है । मैं आपको

इस का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहां उत्तर प्रदेश में १९५७ में अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह चला। उस सत्याग्रह के खिलाफ जाब्ता फौजदारी के दफा १०७ और ११७ का इस तरह से प्रयोग किया गया कि कोई भी आदमी अगर दिल्ली से वहां अपने क्षेत्र को जा रहा है तो उसको अपने क्षेत्र में घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया यह कह कर कि वहां तुम्हारे रहने से शान्ति को खतरा पैदा हो सकता है। इस तरह की हालत में कोई जन आन्दोलन कैसे पनप सकता है। लोगों को सरकार से शिकायतें हो सकती हैं। पर प्रशासन और न्याय का सेपरेशन न होने के कारण इस तरह से काम किया जाता है कि जिससे वक्त की सरकार को मदद मिले। और इस कारण जो लोग जन आन्दोलन को उठाना चाहते हैं उनको न्याय की आशा नहीं रहती। यह सेपरेशन केवल इसीलिये आवश्यक नहीं है कि हम को निष्पक्ष और सस्ता न्याय मिले बल्कि इसलिये भी कि अगर कोई लोग जनतंत्र में विश्वास रखने वाले हों और जो अहिंसक तरीकों से, महात्मा गांधी के तरीकों से वक्त की सरकार को बदलना चाहते हों, उन के दिमाग में यह आशंका न रहे कि जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं, जो हाकिम परगना बैठे हैं वे उन की आजादी का अपहरन कर लेंगे। हमारे मुल्क में इसी सदन द्वारा पारित निवारक निरोध कानून है। उसके अनुसार अगर किसी की कार्यवाहियों से देश को खतरे की आशंका होती है तो उस को बिना मुकदमा चलाये बन्द कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे मामले हुए हैं कि इस कानून के होते हुए भी लोगों को जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ और ११७ के अनुसार बन्द कर दिया जाता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रशासनिक सेवाओं का और न्याय सेवाओं का, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी का तुरन्त ही अलगाव कर दिया जाय। जब तक यह अलगाव नहीं होता है तब तक न्याय मिलने पर हमारी आस्था नहीं हो सकती है। आज हमें यह आशा रहती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से न्याय मिल जायेगा और यह प्रशंसा की बात है कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विश्वास बना हुआ है और वे समझते हैं कि कम से कम वहां तो न्याय मिलने की आशा अवश्य रहती है। यह दूसरी बात है कि लोग हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, या वहां तक पहुंचने की उन में क्षमता नहीं होती है, उन के पास साधन नहीं होते हैं लेकिन न्याय मिलने की आशा जरूर रहती है। मैं चाहता हूं कि यह चीज नीचे से नीचे तक की कोर्ट में होनी चाहिये। अगर हमें हर नागरिक को न्याय देना है, अगर हमें हर नागरिक के दिल में यह भावना पैदा करनी है कि उसे न्याय मिल सकेगा तो इसके लिये हमें नीचे उतरना होगा और लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि मजिस्ट्रेट की अदालत से और उस से भी नीचे की जो अदालत है, छोटी से छोटी जो अदालत है, वहां पर भी उसे न्याय मिल सकता है और निष्पक्ष न्याय मिल सकता है और कोई खतरे वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात कहता है, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात कहता है, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई बात कहता है तो उसको विश्वास होना चाहिये कि अगर उस के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई तो उसे न्याय मिल सकेगा। जब इस तरह की भावना मुल्क में पैदा होगी, तब जो हमारा जनतंत्र है, वह मजबूत हो सकेगा। इस देश में जनतन्त्र को मजबूत करने का जिम्मा किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था ने नहीं ले रखा है, इसे मजबूत करने का जिम्मा हर नागरिक का है। भले ही यह जिम्मेदारी किसी जमाने में जबकि हिन्दुस्तान की आजादी लड़ी जा रही थी, किसी एक पार्टी ने लिये रखी हो लेकिन आज यह हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह देखे कि किस तरह से हमारे देश में जनतन्त्र मजबूत हो सकता है। जनतन्त्र तभी मजबूत हो सकेगा जब कि हम लोगों को यह विश्वास दिलायेंगे कि वे चाहे किसी तरह का काम भी करें, चाहे सरकार की मुखालिफत करें, उन्हें न्याय मिल सकेगा। इसलिये यह जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी का सेपेरेशन करने की दिशा में तेजी से कदम उठाये जायें।

मुझे अफसोस है कि वे लोग जो कि आजादी मिलने से पहले बार बार इस तरह की बात करते थे कि एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी का सेपेरेशन होना चाहिये आज बहानेबाजी करते हैं कि यह इसलिये

[श्री ब्रज राज सिंह]

नहीं हो पा रहा है कि इस से खर्चा बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दलील दी जाती है इस में कोई वजन नहीं है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो हाकिम परगना होता है वह ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही काम करता है। इस को मैं चाहता हूं कि सेपेरेट कर दिया जाये। करीब करीब हर तहसील में वहां पर ब्लाक डिवेलेपमेंट आफिसर होते हैं। अब अगर आप वहां पर चाहें तो ये दोनों काम अलग हो सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव नेचर के काम हाकिम परगना के होते हैं उनको वी० डी० ओ० के सुपुर्द किया जा सकता है और जो न्याय का काम है उस को वह खुद कर सकता है। इसी तरह से न्याय के काम को दूसरे मैजिस्ट्रेट्स में भी बांटा जा सकता है। ऐसा करने से खर्चे में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह दलील कि यह सेपेरेशन इस वास्ते नहीं हो रहा है कि खर्चा बढ़ेगा बेबुनियाद है। यह दलील कोई वजन नहीं रखती है। इन दोनों चीजों को सेपेरेट मैं समझता हूं इसलिये नहीं किया जा रहा है कि आज जो सामाजिक व्यवस्था है उस में जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, शान्तिपूर्वक तरीकों से परिवर्तन लाना चाहते हैं, अहिंसक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको किसी तरह से पनपने न दिया जाये, उन को बढ़ने न दिया जाय, उन को दबाना आवश्यक है। इस सदन में जब निवारक नजरबन्दी कानून आया था उस समय बहस के दौरान में यह बताया गया था कि इतने आदमी इस के अन्तर्गत जेलों में बन्द हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि दफा १०७ और दफा ११७ के अन्तर्गत जो हजारों आदमी बन्द पड़े हैं, उन को क्यों बन्द रखा गया है। उन की जो हालत है वह निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द लोगों से कम बुरी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह ऐसी चीज है जिस के पीछे कि कोई अच्छा उद्देश्य नहीं है। इस वास्ते मैं निवेदन करूंगा कि ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपेरेशन का तुरन्त ही निर्णय हो जाना चाहिये।

जहां पर निष्पक्ष न्याय दिया जाना जरूरी है वहां पर एक और बात भी जरूरी है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है और जिसकी तरफ कई माननीय सदस्यों ने इशारा किया है और ला कमीशन ने भी इशारा किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हाई कोर्ट के जजिज की नियुक्तियां चीफ मिनिस्टर की इच्छा पर होती रहेंगी तब तक कैसे यह कहा जा सकता है कि लोगों को आगे चल कर निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा या न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रह सकेगी। कुछ लोग निष्पक्ष रहेंगे भी तो यह रूल के एक्सेप-शन की बात होगी नियम में अपवाद की बात होगी लेकिन अन्ततोगत्वा, आखिर में जाकर, वे निष्पक्ष नहीं रह सकेंगे। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जहां तक हाई कोर्ट्स के जजिज़ के एप्वाइंटमेंट्स का सम्बन्ध है, उसको एग्जीक्यूटिव से, चीफ मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र से हटा दिया जाए। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के होम मिनिस्टर से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये, जहां तक उनकी नियुक्तियों का ताल्लुक है। केवल चीफ जस्टिस के ही हाथ में यह चीज़ रहनी चाहिये, हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में रहे, हाई कोर्टस के चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में रहें। जब इस तरह की बात होगी तभी जाकर हाई कोर्टस के जजिज में यह भावना आ सकती है, उनमें यह विश्वास हो सकता है कि वे अगर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी रिट पेटिशन में कोई स्ट्रिकचर पास करेंगे, कोई कानूनी व्यवस्था देंगे, कोई रूलिंग देंगे, जिसमें किसी की मानहानि हो सकती है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। मुझे खतरा है कि जो आज व्यवस्था है उससे आगे चल कर इस तरह की बात हो सकती है, इस तरह का खतरा पैदा हो सकता है कि जिस तरह से वहां निष्पक्ष न्याय हमको अब तक मिलता रहा है, जिस निष्पक्ष न्याय की हम आशा करते रहे हैं, वह भविष्य में नहीं मिल सकेगा। ला कमीशन की इस सिफारिश का मैं स्वागत करता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिज की नियुक्तियों में चीफ मिनिस्टर की राय नहीं ली जानी चाहिये या उनके द्वारा नहीं होनी चाहियें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि हमें जनता के लिए कुछ करना है, उसकी भलाई सोचनी है तो कब तक अंग्रेजी भाषा के ज़रिये से हमारा काम चल सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद ब्रिटिश हकूमत के शासन के डेढ़ सौ वर्षों के बाद भी एक परसेंट से अधिक लोग अंग्रेज़ी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक परसेंट लोगों के लिए अंग्रेज़ी भाषा में अपनी न्याय व्यवस्था को, उसकी प्रोसीडिंग्ज़ को, उसकी जजमेंट्स को आप कब तक चलाते रह सकते हैं। आज कानून की सारी कार्रवाई अंग्रेज़ी में होती है। क्या इस तरह से हम हिन्दुस्तान के लोगों को न्याय दे सकेंगे, क्या उनमें विश्वास की भावना पैदा कर सकेंगे कि उनको न्याय मिल सकेगा ? मैं समझता हूं कि हमारे देश में आदर्श स्थिति वह होगी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा कानून भी अपनी भाषा में जानता है, तो उसे इस स्थिति में होना चाहिये कि वह बिना किसी वकील की राय लिए हुए या बिना वकील को किये हुए अदालत के सामने अपनी बात को रख सके। आज स्थिति यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रादेशिक भाषाओं को जानते हैं, बंगला जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, तेलगू जानते हैं हिन्दी जानते हैं, कानून का ज्ञान उन्हें है लेकिन क्योंकि अदालत में सारी कार्रवाई अंग्रेज़ी में चलती है, अंग्रेजी में दलीलें दी जाती हैं, अंग्रेजी में जजमेंट लिखे जाते हैं उसी में सारा कार्य होता है, इस वास्ते वे अपने आप जा नहीं सकते हैं और इसके लिए उनके लिए वकीलों का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। यह भयावह स्थिति है और इसका अन्त होना चाहिये और जितनी जल्दी यह हो उतना ही अच्छा होगा। अगर इसका शीघ्र ही अन्त नहीं होता है तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलने वाले हैं। करोड़ों नागरिकों के दिलों व दिमागों में कभी भी ऐसी सूरत में यह विश्वास नहीं भर सकता है कि उन्हें न्याय मिल सकता है बिना वकीलों के ज़रिये वकीलों के बारे में इसको कहने से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि जो वकीलों का वर्ग है वह ऐसा है जो कि समाज में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता है। इसके विपरीत मैं यह कहना चाहूंगा कि वकील वर्ग ने बहुत ही क्रान्तकारी काम किये हैं। आज़ादी की लड़ाई में उसने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है। जहां तक समाज की व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सवाल है अगर कानून लोगों पर जान बूझ कर कोई असंवैधानिक बंदिश लगाते हैं, तो उनमें परिवर्तन करने के बारे में जो आन्दोलन होते हैं, उनका वे नेतृत्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हिन्दुस्तान के नागरिकों को पंगु बना देना है और उनको ऐसा बना देना है कि वे हमेशा के लिये अपना काम आप न कर सकें।

इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो अंग्रेज़ी का मोह है उसे हमें त्यागना होगा। आज यह दलील दी जाती है कि हिन्दी भाषा में या अन्य भारतीय भाषाओं में कानूनी शब्दकोष नहीं हैं, कानूनी शब्द काफी नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौनसी दलील है। यह कहना कि पहले कानून का शब्दकोष बना लिया जाना चाहिये और उसके बाद हम अदालतों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे, मेरे विचार में लचर दलील है, ऐसी दलील है जिसका कभी भी कोई महत्व नहीं हो सकता है। भाषा का हमेशा ही यह काम होता है कि वह तथ्यों को प्रकट करे और जब तथ्य होते हैं तब भाषा बनती है। अगर तथ्य ही नहीं हैं तो भाषा का महत्व ही नहीं होगा। जब फैक्ट्स होंगे तो उनके एक्सप्रेशन के लिए लैंगुएज की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो शब्द अपने आप बन जायेंगे। इसकी फिक्र किए बगैर कि हमारे पास शब्द नहीं हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिये। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ जिला जज की अदालत की, मुंसिफ, और मैजिस्ट्रेट की अदालत की बल्कि हाईकोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी अंग्रेज़ी में नहीं होनी चाहिये और उनकी सारी कार्रवाई हिन्दुस्तान की अपनी ज़बानों में होनी चाहिये। हाईकोर्ट और उसके नीचे की जो अदालतें हैं उनकी जो कार्रवाई होनी चाहिये वह प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहिये और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वह हिन्दुस्तान के विधान के मुताबिक राष्ट्रभाषा सरकारी भाषा हिन्दी में होनी चाहिये।

[श्री ब्रजराज सिंह]

आज अंग्रेज़ी हकूमत यहां पर नहीं है और हमें अंग्रेज़ी से इतना मोह भी नहीं होना चाहिये। जब मैं यह बात कहता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी भाषा से मैं घृणा करता हूं। ऐसी कोई भावना अंग्रेज़ी के प्रति मैं प्रकट करना नहीं चाहता। जहां तक नालेज के रूपार्जन का सवाल है, जहां तक ज्ञान हासिल करने का सवाल है, उसका अपना महत्व हो सकता है और है। लेकिन हम जानते हैं कि कल जो अंग्रेजी भाषा का महत्व था वह आज नहीं है। आज रूसी भाषा का भी महत्व बढ़ गया है और अन्य भाषाओं का भी महत्व बढ़ गया है। कोई ज़माना था जबकि यह कहा जाता था कि उनका सूरज कभी डूबता नहीं था जिनका राज हिन्दुस्तान पर था और साथ ही साथ दूसरे कई मुल्कों पर था। उनकी भाषा का महत्व हो सकता है लेकिन दूसरी भाषाओं का महत्व भी कम नहीं है और हो रहा है और उनमें भी टैक्नालाजी और तरह तरह की दूसरी चीजें हो रही हैं। इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए और कानून तथा न्याय की व्यवस्था जब तक हमारी अपनी भाषाओं में नहीं होती है तब तक लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं हो सकता है कि बिना खर्च किए हुए भी उन्हें न्याय मिल सकता है चूंकि ला मिनिस्ट्री की डिमाण्ड पर यह बहस हो रही है और एलेक्शन कमीशन का भी उससे सम्बन्ध जुड़ा हुआ है इसलिये उसके सम्बन्ध में भी दो एक शब्द कहना चाहता हूं। पिछले चुनाव में एलेक्शन कमीशन की तरफ से एक व्यवस्था दी गई। देश में कुछ मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। उन मान्यता प्राप्त पार्टियों को कुछ सुविधायें मिलेंगी। कुछ दूसरे लोग हैं जो मान्यता प्राप्त पार्टी के नहीं हैं। एलेक्शन के वक्त जो मान्यता प्राप्त पार्टीज नहीं हैं उनको कुछ सुविधायें नहीं मिलेंगी। जो मान्यता प्राप्त पार्टीज़ हैं उनको निशान मिलेगा, उनके लिये मतदाता सूचियां बिना पैसे के मिलेंगी और इस तरह से उनको मुल्क की सियासत में कम खर्चे पर अपना हिस्सा अदा करने का मौका मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव कमीशन को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या यह अच्छी बात है। इससे एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में कोई पक्षपात का वातावरण पैदा होता है या नहीं? मैं चाहूंगा कि कानून में इस तरह की व्यवस्था की जाय कि जो भी नागरिक किसी चुनाव में खड़ा होना चाहे उसके साथ और दूसरे नागरिक के साथ, जो किसी मान्यता प्राप्त पार्टी का उम्मीदवार हो, कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार न हो। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं तो हर एक के वास्ते कीजिये कि उसको मतदाता सूचियां मुफ्त दें। इसके साथ ही मैं यह बात कहूंगा कि अपने इस गरीब मुल्क के गरीब लोगों को संसद् में और विधान सभाओं में आने का मौका मिले इसलिये यह व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको अपनी तरफ से ज्यादा खर्च करने के लिये मजबूर न होना पड़े। यह तभी हो सकता है जब इस तरह की व्यवस्था हो कि अपने चुनाव के लिये वे अपनी चिट्ठी पत्री को अपने वोटर्स तक बिना कुछ खर्च किये पहुंचा सकें। बिना पैसे के ही वे अपना सन्देश अपने वोटर्स तक पहुंचा सकें।

इस के साथ ही मुझे यह भी निवेदन करना है कि यहां पर चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने की बात बार-बार आती है। शिनाख्ती कार्ड चलाने की बात आया करती है। इसी सदन में कानून मंत्री महोदय ने यह फोटो वाली बात कही है कि किन्हीं क्षेत्रों में फोटो दे कर वोट डलवाये जायेंगे। मैं कहूंगा कि यह इस तरह का तजुर्बा है जोकि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हम इसके जरिये कुछ लोगों को वोट डालने से रोक सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है कि हम कहीं अपनी चुनाव पद्धति में कोई उस प्रकार का परिवर्तन करने तो नहीं जा रहे हैं जिस से देश के संविधान के जरिये जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका हनन होता है। अगर उन का हनन होता है तो हम संविधान की भावना की इस कार्रवाई से बेइज्जती करते हैं, हम संविधान को ठेस लगाते हैं। हमारा फर्ज है कि जिस संविधान को हम ने बड़ी कुर्बानी के साथ बनाया है उस की खास इज्जत और प्रतिष्ठा करें। यह तभी सम्भव

है जब हम उस की भावना के विरुद्ध कोई काम न करें। जो कानून हम बनाते हैं उस के जरिये ही अगर संविधान की प्रतिष्ठा के टूटने का सवाल आये तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।

जहां तक कानून मंत्रालय को रुपया देने का सवाल है मैं कहूंगा कि दूसरे मंत्रालयों के मुकाबले इस में बहुत कम काम हुआ है। इस के सामने काम बहुत कम है। जैसे मैं ने कहा कि इस का काम बढ़ना चाहिये। लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हालांकि कोई चुनाव इस वक्त नहीं हो रहे हैं लेकिन चुनाव कमिशन में भी दूसरे मंत्रालयों की तरह अधिकारियों के बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पिछले साल जहां पर कि सुपरिन्टेंडेंट्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सैक्रेटरीज़ केवल पांच थे, उसी एलेक्शन कमिशन में इस साल ९ अधिकारी हो गये हैं। पता नहीं यह क्यों और कैसे होता जा रहा है। यदि अफ़सर बढ़ेंगे तो उस के साथ ही प्राइवेट सैक्रेटरी बढ़ेंगे दूसरा इस्टैब्लिशमेंट भी बढ़ेगा, आफिसर्स का खर्च भी बढ़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि जब काम न हो उस वक्त यह सब चले, यह मुनासिब नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय विधि आयोग के उस प्रतिवेदन पर भी विचार किया जाना चाहिये था जोकि उस ने अभी प्रस्तुत किया है क्योंकि यह न्याय-प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है क्योंकि इस में न केवल देश के न्याय-प्रशासन के सभी पहलुओं पर विधियों के लागू करने की विधि पर विचार किया गया है अपितु कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख है जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसी विधि आयोग के सामने सब से पहला और महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह था कि क्या देश की वर्तमान न्याय-प्रशासन व्यवस्था मनुष्यों की प्रतिभा के अनुसार है जिस का कि अनुभव हम ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् किया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि विधि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यहां वहां थोड़े बहुत सुधार के पश्चात् यह देश की जनता की प्रतिभा के अनुकूल है। साथ ही न्याय प्रशासन परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरा है और जनता के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करने में समर्थ है।

लेकिन मैं इतना कहूंगा कि संविधान में निहित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का पालन केवल मद्रास को छोड़ कर अन्य किसी राज्य ने नहीं किया है। अर्थात् किसी राज्य में भी न्यायपालिका और कार्यपालिक को अलग अलग नहीं किया गया है। शुरू में यह कहा गया था कि संविधान के लागू होने के तीन वर्ष के भीतर ये अलग कर दिये जायेंगे किन्तु अब तो ९ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं किन्तु फिर भी यह समस्या ज्यों की त्यों है। अतः मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इस पर ध्यान देंगे।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने में राज्यों द्वारा डाली गई रुकावटों को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम देखते हैं कि पैप्सू में यह निदेशक तत्व विलय से पूर्व १९५६ में ही लागू हो गया था। विधि आयोग के समक्ष पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, हो सकता है कि यही बात अन्य राज्यों के साथ भी लागू हो, उस से यह प्रकट होता है कि कार्यपालिका न्याय-प्रशासन और विधि और व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से इसे जारी रखना चाहती है। यह ठीक नहीं है। और विधि आयोग का भी यही मत है। एवं आयोग ने इस की निन्दा की है। इस-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अर्जीत सिंह सरहदी]

लिये मेरा निवेदन है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करना चाहिये और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग अलग कर देना चाहिये ।

दूसरी बात जो विधि मंत्रालय के विचारार्थ मैं रखना चाहता हूं वह है संविधान का अनुच्छेद ४० । इसके अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि एक गांव अथवा गांव के समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाये और उस को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सभी अधिकार प्राप्त हों । यह निदेशक तत्व भी पूरा नहीं किया गया है । विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में १९५४ तक की स्थिति की जांच के आधार पर बताया है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में १० लाख से भी अधिक दीवानी के मामले निलम्बित पड़े हैं । दीवानी मुकदमों की संख्या में भी इन दिनों कुछ वृद्धि हुई है । इन निलम्बित मामलों को निपटाने के लिये यह सुझाव है कि न्याय करने तथा सही और कुशलतापूर्वक इसे अपनाने के लिये यह आवश्यक है कि न्याय का विकेन्द्रीकरण किया जाये । किन्तु इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

बहुत दिन हुए तब दीवानी न्याय समिति ने सिफारिश की थी इसका केन्द्रीकरण कर देना चाहिये और पंचायतों को दीवानी और फौजदारी के मामले तै करने का अधिकार देना चाहिये । अतः ऐसा ही किया गया । अब हमारे यहां सभी राज्यों में पंचायतें हैं जो दीवानी और फौजदारी के मामले तै करती हैं । इन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में विधि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि "इन का कार्य सन्तोषजनक है, वे जनप्रिय होती जा रही हैं । अब हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं जबकि हमें ग्रामों को न्याय करने के मामले में अधिक से अधिक अधिकार दिये जायें ।" जब ऐसी बात है तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि विधि आयोग ने इन ग्राम पंचायतों को केवल २५० रुपये तक के तथा विशेष स्थिति में ५०० रुपये तक के, वह भी उच्च न्यायालय की अनुमति से, मामले निर्णय करने का ही अधिकार क्यों दिया है । इन्हें तो अधिक अधिकार देने चाहियें थे । विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिवेदनों से पता चलता है और विधि आयोग ने भी इस पर विचार किया है कि इन पंचायतों द्वारा किये गये फैसलों में से बहुत कम मामले अपील आदि के लिये उच्च न्यायालयों को भेजे गये हैं । इस प्रकार विधि आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि ये पंचायतें कुशलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही तरह के मुकदमे तै करने की क्षमता उन में है । फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पंचायतों के अधिकार क्यों न बढ़ा दिये जायें । मेरे विचार से इन पंचायतों को १००० रु० तक के मामले तै करने का अधिकार दे दिया जाये । इस के अलावा इन पंचायतों को समझौता कराने वाला या समझौता कराने का साधन अवश्य बनाना चाहिये—मैं सहमत हूं कि वे मध्यस्थ और निर्णायक चाहे न हों—उन्हें २,००० रुपये तक के मामलों में समझौता कराने का अधिकार देना चाहिये । फिर भी यदि आवश्यकता रह जाती है तो इन मामलों को न्यायालय तक ले जाना चाहिये ।

विधि आयोग ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा चालू करने का सुझाव दिया है । मैं इस का विरोध करता हूं । क्योंकि सब से पहली आपत्ति तो यह है कि हम पर इस सेवा में सब से ऊंचे पदों पर नवयुवक आयेंगे जिन का वेतन अधीनस्थ न्यायिकों की अपेक्षा अधिक होगा और इस पद और वेतन दोनों की दृष्टि से काफ़ी अन्तर हो जायेगा । इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने अपना उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा है न्यायिक सेवा में दो प्रकार के वर्ग हों । एक प्रथम श्रेणी का और दूसरा द्वितीय का । प्रत्येक राज्य में ४० प्रतिशत व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा से लिये जायें और ६० प्रतिशत व्यक्ति द्वितीय श्रेणी से । मेरे विचार से इन के वेतन और पद में फिर से वही विभिन्नता आ जायेगी । अतः यह सेवा चालू करना श्रेयस्कर नहीं होगा ।

दूसरी आपत्ति भाषा की होगी । प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है और इस के बारे में अभी निर्णय होना शेष है । हो सकता है कि यह निर्णय हो जाये कि उच्च न्यायालय की भाषा उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा हो । ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सेवा का कोई महत्व नहीं रह जायेगा क्योंकि उस में सभी राज्यों के कर्मचारी होंगे । स्थानान्तरण के समय कठिनाई सामने आयेगी । एक व्यक्ति का स्थानान्तरण ऐसे राज्य में हो जाता है जो उस भाषा को नहीं जानता तो बड़ी विकट समस्या होगी और किस प्रकार वह अपना कार्य चलायेगें ।

तीसरे राज्यों की स्वतंत्रता का हनन होगा । इस प्रकार की सेवा चालू करने से राज्यों के न्याय सम्बन्धी अधिकारों के क्षेत्राधिकार की सीमा का अतिलंघन होगा ।

विधि आयोग की इस सिफारिश से मैं सहमत हूं कि इन की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हो और ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि इन पर उच्च न्यायालयों का नियंत्रण रहे ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधि-आयोग ने कहा है कि जातीय और राजनीतिक आधारों पर इन की नियुक्ति की जाती है । लेकिन मैं ने अपने राज्य में देखा है कि एक जाति में से न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है किन्तु दूसरी जाति की पूरी पूरी अवहेलना की गई है । अतः मेरा निवेदन है कि राज्य प्राधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श करना चाहिये ।

स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए १० वर्ष बीत गये हैं । यह एक काफ़ी लम्बा समय है । किन्तु अभी भावनाओं का मेल नहीं हो पाया है । मेरा निवेदन है कि सभी हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । सभी हितों की सुरक्षा की जानी चाहिये । मैं मानता हूं कि कुशलता और क्षमता पर मूलतः विचार करना चाहिये । किन्तु साथ ही व्यक्ति पर भी ध्यान देना चाहिये । अतः यह कहना कि सभी अधिकार केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में हो कुछ न्यायसंगत नहीं है । कुछ वर्षों तक हमें राज्यों में पूर्ण विश्वास प्रकट करना है । उन के हितों पर ध्यान देना है । हमें देखना है कि न्यायपालिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो । जिस से कि वहां की जनता में विश्वास बढ़े । राज्य प्राधिकारी केवल परामर्शदायी ही न रहें बल्कि वे इस बात का भी अनुभव करने लगें कि उन का अपना भी कुछ महत्व है ।

†**पंडित मु० वि० भार्गव** (अजमेर) : आज हम विधि आयोग के १४वें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं इस से पूर्व इस आयोग के १३ प्रतिवेदन और प्रस्तुत किये जा चुके हैं किन्तु हमें यह नहीं बताया गया है कि उनके बारे में विधि मंत्रालय का क्या विचार है ।

इस प्रतिवेदन में विधि आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि देश के सभी राज्यों में उच्च न्यायालय एक ही और एक स्थान पर हो । किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब इसका उद्देश्य सभी राज्यों के लिये एक है तो फिर राजस्थान के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया गया कि वहां जयपुर से एक बैंच हटाकर जोधपुर भेज दी गई और अन्य दूसरे राज्यों में यह नियम क्यों लागू नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित मु० ब्रि० भार्गव]

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

मैं विधि आयोग से इस बात से सहमत हूं कि प्रशासन की दृष्टि से यह लाभदायक है। किन्तु यह देखना है कि यह न्यायालय कहां बनाया जाये—राज्य के किसी एक कोने में—अथवा किसी एक केन्द्रीय स्थान में जहां कि उस राज्य के सभी व्यक्तियों को आसानी हो तथा न्याय भी सस्ता रहे। इस सम्बन्ध में इस नीति का स्पष्टीकरण होना शेष है आशा है कि माननीय विधि मंत्री इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करेंगे।

सब से पहले विधि मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह यह बताये कि प्रतिवेदन की सिफारिशों को किस प्रकार वह क्रियान्वित करेगी ? कुछ वक्ताओं ने कहा है कि विधिपालिका की अपेक्षा न्याय-पालिका का स्थान नीचा है। किन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। संविधान में न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्यायपालिका केवल हमारी सुरक्षा ही नहीं करती है बल्कि नागरिक के अधिकारों की गारंटी भी लेती है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना कर उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की शपथ ली है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारी न्यायपालिका करती है। यह कार्यपालिका द्वारा हमारे अधिकारों का हनन करने से रोकती है। यह संविधान में उपबन्धों का सही-सही निर्माण एवं निर्वचन करने में सहायता देती है जिससे कि देश समाजवादी समाज की एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके।

कुछ वक्ताओं ने कहा है कि हमारे विद्वान न्यायाधीश वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए पिछड़े हैं। किन्तु ऐसा कहना भूल है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने पिछले दस वर्षों में—संविधान के लागू होने के बाद से—जो निर्णय दिये हैं वे विचारों की स्पष्टता, निर्वचन की सुघड़ता और विद्वता की झलक से ओत-प्रोत हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये उन्होंने कुशलता, संतुलित विचारों की व्यापकता दिखाई है। क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि संविधान के अधीन जो अधिकार उन्हें मिले हैं उनका वे सही सही पालन नहीं कर पायेंगे। साथ ही वे राज्य विधान सभाओं द्वारा अथवा केन्द्रीय विधान सभाओं द्वारा जो विधान जल्दी में बनाये गये हैं उनको सत्यता एवं मान्यता संविधान की कसौटी पर कसकर उनका निर्वचन सही ढंग से करते हैं। अतः मेरा निवेदन है जिस प्रकार कठिन कार्य ये न्यायपालिका कर रही हैं वह प्रत्येक नागरिक के लिये गौरव का विषय है। और यही कारण है कि विधि आयोग ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में चाहे वह उच्चतम न्यायालय के हों अथवा उच्च न्यायालय के—कार्यपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

मेरा माननीय विधि मंत्री से निवेदन है कि क्या वे यह बता सकेंगे कि क्या सरकार का इरादा विधि आयोग की इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है और संविधान के अनुच्छेद २१७ के शब्दों में कोई हेर-फेर करने का है जिससे कि यह स्पष्ट हो जाये कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उनकी गुणिता के आधार पर करेगा। और वह भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से। यह ठीक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से सलाह ली जाये किन्तु इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का नाम उसके पास भेज दिया जाये और उससे उस व्यक्ति के बारे में उसकी राय मांगी जाये। किन्तु वह उस व्यक्ति के स्थान पर अपना व्यक्ति नहीं भेज सकता। यदि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वह अपनी इच्छा का व्यक्ति भेज सकता है तो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बनाये रखने की दृष्टि से उसे संविधान में से निकाल देना चाहिये।

यह प्रस्ताव किया गया है कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की ६० वर्ष की अपेक्षा ६५ वर्ष तक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ६५ की अपेक्षा ७० वर्ष तक काम करने का अवसर दिया जाये। अमरीका जैसे देशों में आयु का ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है जब तक वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तब तक काम करते रहते हैं। न्यायाधीशों के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा विचार है कि उनकी आयु की सीमा बढ़ा देनी चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका में भी आयु को सीमा बढ़ा कर ६० वर्ष कर देनी चाहिये।

आयोग ने न्यायाधीशों के वेतन के सिलसिले में कहा है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उनका वेतन बढ़ाना उचित नहीं है। किन्तु भत्ता, निवृत्ति वेतन, छुट्टी आदि के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उनके बारे में अवश्य विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं विधि मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह विधि आयोग की इस सिफारिश को कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाये जैसा कि बम्बई में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य विकेन्द्रीकरण अधिनियम, अधिनियम २३ सन् १९५१ के द्वारा किया गया है, सभी राज्यों में क्रियान्वित करने के बारे में विचार करे।

†**श्री पु० रा० पटेल** (मेहसाना) : विधि आयोग का यह प्रतिवेदन बहुत ही महत्व का है और बहुत ही उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है जब कि देश को इसकी आवश्यकता थी। हम देखते हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के अधिकारों को हनन करने की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है।

मेरा विचार है कि हमारे देश में जितने भी न्यायाधिकरण बनते हैं—चाहे वे श्रमिक न्यायाधिकरण हों, आयकर न्यायाधिकरण हों, अथवा अन्य किसी प्रकार के—वह न्यायाधिकरण उच्च-न्यायालय के अधीन होने चाहियें और उनके सदस्य उच्च न्यायालयों द्वारा नाम निर्देशित किये जायें अथवा नियुक्त किये जायें। न्यायाधिकरण के इन व्यक्तियों की नियुक्ति में सरकार का हाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने बम्बई में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया है। मैं मानता हूं कि वहां दोनों को अलग किया गया है किन्तु क्या हुआ पुलिस अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों के द्वारा अधिकार कार्यपालिका को दे दिये गये हैं और न्यायपालिका को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार ऐसी नीति का पालन किया जा रहा है कि न्यायपालिका से सारे अधिकार ले लिये जायें और कार्यपालिका को दे दिये जायें। इससे क्या लाभ होगा। अब हमारे सामने प्रतिवेदन है जिसमें इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं।

सब से अच्छा सुझाव अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा चालू करने के बारे में है। यह एक आवश्यक सुझाव है जिसे कार्यान्वित करना चाहिये। इससे न्यायपालिका स्वतंत्र और बलशाली बनेगी तथा प्रजातंत्र की सुरक्षा होगी।

उच्चन्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अच्छे सुझाव दिये गये हैं। कहा गया है कि इनकी नियुक्ति में कार्यपालिका का हाथ नहीं होना चाहिये। मेरा विचार है कि नियुक्ति, पदोन्नति आदि का प्रश्न उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार में होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० रा० पटेल]

मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण न्यायिक विभाग उच्चन्यायालय के अधीन होना चाहिये। आजकल होता क्या है कि उनकी नियुक्ति आदि कार्यपालिका द्वारा की जाती है। इसलिये इस सम्बन्ध में विधि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिये और क्रियान्वित करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि न्यायालयों को क्षेत्रीय भाषा में कार्य करना चाहिये। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर कह सकता हूं कि मैंने बड़ौदा में स्वयं देखा है कि सब काम गुजराती में किया जाता है और सुचारुरूप से सब काम चल रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि ज़िला अदालतों तक हम अपना काम यदि क्षेत्रीय भाषा में करें तो यह कोई बुराई की बात नहीं है। क्योंकि सभी लोग अच्छी तरह हर चीज़ को समझ सकते हैं।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि सरकारी वकील न्यायपालिका के अधीन होने चाहिये न कि पुलिस के। क्योंकि सरकारी वकील का कर्त्तव्य न्याय कराना है न कि किसी व्यक्ति पर अपराध थोपना।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा विचार है कि मजिस्ट्रेटों को जो कुछ मिलता है उसमें ५० प्रतिशत की और वृद्धि कर देनी चाहिये। इसके अलावा उनके वेतन में भी वृद्धि कर देनी चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् कोई और कार्य नहीं लेना चाहिये। अन्यथा अवकाश प्राप्त करने से पूर्व वे कार्यपालिका के पदाधिकारियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये ऐसा नियम बना देना चाहिये कि न्यायपालिका से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् सरकार के अधीन कोई सेवा नहीं करेगा। न्यायिक सेवा वालों को हमें काफी मात्रा में निवृत्ति वेतन देना चाहिये। न्यायपालिका में बहुत ईमानदार और अच्छे आदमी हैं किन्तु उनका अन्त अच्छा नहीं होता, मरते समय उनके पास एक पाई भी नहीं होती। जबकि दूसरी कार्यपालिका के पदाधिकारी अपने पीछे अपार राशि छोड़ जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि न्यायाधीशों को अच्छी निवृत्ति वेतन मिलनी चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मेरा विचार यह है कि केन्द्रीय सरकार में विधि मंत्रालय को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो उसे होना चाहिये। १९५७ तक विधि मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। मैंने पिछले वर्ष यह मांग रखी थी कि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा न्यायप्रशासन के लिये न्याय मंत्रालय की नियुक्ति की जाय। विधि आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने विधि आयोग पर यह आरोप लगाया है कि उसने देश की बदलती हुई स्थिति के अनुरूप विधियों का पुनरीक्षण नहीं किया। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हम पूर्व दृष्टान्तों पर बहुत निर्भर रहते हैं और उनका बहुत उपयोग करते हैं। हम पूर्व दृष्टान्तों की अवहेलना किस प्रकार कर सकते हैं? वस्तुतः हमारे वर्तमान न्याय का आधार ही यह है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पद निवृत्त न्यायाधीशों को राजनैतिक प्रकार के पद नहीं दिये जाने चाहियें। मैं इससे सहमत नहीं हूं वस्तुतः हम इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ नियम नहीं बना सकते हैं। न्यायाधीश जिस पद के भी योग्य हो उसे वह पद अवश्य दिया जाना चाहिये।

मैं विधि आयोग की सिफारिशों को विस्तार से नहीं लेता हूं। मुझे आशा है कि सरकार इस पर तत्काल विचार करेगी तथा यथाशीघ्र आवश्यक परिवर्तन इत्यादि कर उन्हें स्वीकार कर लेगी तथापि

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि आयोग की कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें सरकार को तत्काल उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये ।

उदाहरणार्थ न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने की सिफारिश तत्काल क्रियान्वित की जाय । हमने संविधान के अनुच्छेद १५ में भी इसका उल्लेख किया है । तथा कुछ राज्य यथा आंध्र और मद्रास में इस योजना को क्रियान्वित भी कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार को इसे क्रियान्वित करने के लिये यथावश्यक कार्यवाही तत्काल करनी चाहिये ।

विधि आयोग की दूसरी सिफारिश गरीबों को सहायता पहुंचाने के सम्बन्ध में है । संविधान में भी हमने सबको समान न्याय पहुंचाने का वचन दिया है तथापि मुकदमे बाजी में बहुत रुपया व्यय होता है और गरीब व्यक्ति इसका भार वहन नहीं कर सकता है । अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में राज्य सपकारों से यथाश्वश्यक विधान बनाने के लिये तत्काल कहे।

विधि आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक पदालि और अखिल भारतीय विधि जीवी संघ बनाने की सिफारिशें की हैं । निस्सन्देह यह कार्य इसके बहुत पहिले ही कर लिया जाना चाहिये था । वस्तुतः अखिल भारतीय न्यायिक पदालि देश की एकता तथा देश में न्याय प्रशासन के लिये स्वस्थ वातावरण तैयार करने की दृष्टि से आवश्यक है । इससे एक राज्य के न्यायाधीश दूसरे राज्यों में स्थानान्तरित हो सकेंगे और वे अधिक समय तक एक स्थान में नहीं रहेंगे । फलतः वे अपना कार्य अधिक निष्पक्षतापूर्वक कर सकेंगे ।

अब मैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों का प्रश्न लेता हूं । अधिकरण के सदस्यों को केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है उनको कोई पेंशन या उपदान इत्यादि नहीं दिया जाता है । अस्तु मेरा निवेदन है कि उनके लिये उपदान या निवृत्ति वेतन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिये तभी वे अपने कार्य को अधिक मनोयोग और कुशलता से करेंगे ।

राज्य सरकारों ने अभी हाल से कोर्ट शुल्क इत्यादि काफी बढ़ा दिया है । मद्रास में तो यह शुल्क दुगुना हो गया है । इससे गरीब लोगों के लिये मुकदमा चलाना बहुत कठिन हो गया है । इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय की यह सिफारिश उचित है कि अपील करते समय प्रार्थी से केवल आधा शुल्क लिया जाय ।

मैं विधि आयोग की इस सिफारिश का समर्थन करता हूं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होने चाहियें और उन्हें उनकी अपीलें सुनने का अधिकार होना चाहिये । यह बात संविधान के अनुच्छेद २२६ और २२७ के अनुरूप भी है । तथापि अनुच्छेद २२६ में एक त्रुटि यह है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध लेख जारी किया जाय वह तत्सम्बन्धी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा के अन्दर रहता हो । यह एक असंगति है इसे दूर करने के लिये संविधान में आवश्यक संशोधन करने चाहियें ।

अब मैं चुनाव सम्बन्धी विधि को लेता हूं । इस विधि को सरल बनाने की बहुत आवश्यकता है । इसमें व्यापक सुधार करने की ओर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये तथापि सरकार का रवैया यह है कि वह संशोधन इत्यादि करने में शीघ्रता से काम लेती है और जब वे विधियां उच्च न्यायालयों द्वारा शून्य ठहरा दी जाती हैं तो तत्काल उन्हें विधिवत् ठहराने के लिये एक अध्यादेश निकाल दिया जाता है । यह तरीका उचित नहीं है ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरि) : हमें वस्तुतः उन विद्वान् लोगों को धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने यह विचारोत्तेजक प्रतिवेदन निकाला है। अतः सरकार को चाहिये कि वे इस प्रतिवेदन के विभाग करें और उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से क्रमशः क्रियान्वित करें। विधि आयोग की यह सिफारिश कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाय और विधि मन्त्रालय इसे क्रियान्वित करने के लिये एक विशेष विभाग की स्थापना करें।

विधेयक तैयार करने वाले विभाग के सम्बन्ध में आयोग ने यह सिफारिश की है कि विधान बनाने के निमित्त जो भी नये प्रस्ताव हों वे पहिले जांच के लिये एक आयोग को भेजे जायें तथा जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक इत्यादि हों उन्हें जनता न्यायालयों और विधिजीवी संघों में परिचालित कर उनका जनमत लिया जाय। अधिकांश यह होता है कि किसी खास विषय पर तत्काल विधान बनाने के आदेश दिये जाते हैं और फल यह रहता है कि उसमें कई त्रुटियां असंगतियां इत्यादि रह जाती हैं। वस्तुतः विधान बनाते समय राज्य सरकारों की सलाह अवश्य ली जानी चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से विधान में गलतियां रह जाती हैं और लोग सोचते हैं कि संसद् ने ही गलत विधान बनाया है।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि चुनाव अधिकरण इत्यादि को जो सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें वे नहीं दी जाती हैं जिससे आवश्यक मसविदों की प्रतिलिपियां करवाने में बड़ी कठिनाई होती है। इन वर्षों में विधि मंत्रालय का कार्य बहुत बढ़ गया है तथापि उन्होंने इसे पूर्ण दायित्व के साथ किया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विधि मंत्रालय विधान बनाने के कार्य में अधिक सतर्कता से काम लेगा।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : न्यायपालिका पर राजनीति के दबाव के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उस सम्बन्ध में पहिले ही पर्याप्त कहा जा चुका है। इस सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए कहा था कि यदि इस सम्बन्ध में राज्य मन्त्रालयों का हस्तक्षेप जारी रहा तो पुरानी पीढ़ी के सभी न्यायाधीश दस वर्षों की अवधि के अन्दर समाप्त हो जायेंगे और केवल ऐसे न्यायाधीश बाकी रहेंगे जो राजनीतिज्ञों के कारण नियुक्त किये गये हैं। ऐसी स्थिति को कुछ लोग भले ही समाजवादी समाज का विकास कह लें तथापि मेरे विचार से वह दिन लोकतन्त्र की समाप्ति का दिन होगा।

मुझे विधि मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए दुःख होता है कि यद्यपि पिछले तीन वर्षों में विधि आयोग ने साझेदारी, सीमाकरण तथा पंजीयन इत्यादि के सम्बन्ध में पुनरीक्षण की सिफारिश की तथापि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हो रहा है। इसके लिये सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों को कई गैर-सरकारी फर्मों के साथ ठेके इत्यादि करने पड़ते हैं। ठेकों की शर्तें मंजूर होने के पूर्व विधि मंत्रालय को स्वीकृति के लिये भेजी जाती हैं। तथापि उनकी जांच करने में सावधानी से काम नहीं लिया जाता है। परिणाम यह होता है कि उनमें कई त्रुटियां रह जाती हैं जिनसे बाद में सरकार को हानि उठानी पड़ती है अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक सावधानी से काम करना चाहिये।

यह देख कर भी बड़ा दुःख होता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें भी विधान बनाते समय एक खण्ड ऐसा रखती हैं जो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है यह अनुचित है। विधि मंत्रालय को चाहिये कि वे भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय सम्बन्धी अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालयों तथा न्यायालयों से अपना कार्य हिन्दी में करने को कहा जायेगा । इस दिशा में विधि मंत्रालय का बहुत बड़ा दायित्व है अतः अभी से विधि मंत्रालय की विधियों को हिन्दी में बनाने, अनुवाद करने तथा न्यायालयों का कार्य संचालन हिन्दी में करने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

मुकद्दमों का निपटारा होने में बहुत विलम्ब होता है । विशेषतः जब सरकार उस मुकदमे में वादी या प्रतिवादी के रूप में होती है तो उसके निपटारे में दुगुना समय लग जाता है । सरकार को यह विशेष रियायत प्रदान करने का कोई कारण नहीं है ।

जहां तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाये जाने का संबंध है, सरकार को इस ओर बहुत सावधानी से विचार करने के पश्चात् ही कोई कदम उठाना चाहिये क्योंकि आखिल भारतीय प्रशासन सेवा का स्तर गिरता चला जा रहा है, न्यायिक सेवा को इसकी संभावना से बचाना चाहिये ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : आज प्रातः काल से वाद-विवाद हो रहा है, वह इस बात पर होता रहा है कि ला कमिशन का जो प्रतिवेदन आया है, उसकी जो सिफ़ारिशें हैं उन पर कोई अमल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है । मेरी समझ में जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि अगर हम यह चाहते हैं कि ला कमिशन ने जो सिफ़ारिशें की हैं उन पर अमल किया जाय तो हमको सेंटर में एक मिनिस्टर आफ़ जस्टिस बनाना चाहिये और जब तक मिनिस्टर आफ़ जस्टिस नहीं बनता है तब तक ला कमिशन की जो मुख्य-मुख्य सिफ़ारिशें हैं उन पर अमल नहीं होगा ।

आप श्रीमान जानते हैं कि बहुत सी बातें यहां तक कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस की जो बात है उसका ताल्लुक राज्य सरकार से होता है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका कि सम्बन्ध होम मिनिस्टर से रहता है ।

अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी बोल रहे थे । उन्होंने इस बात की चर्चा तो की कि अंग्रेज़ों के ज़माने से यह परम्परा चली आई है कि होम मिनिस्टर का कार्य अलग और ला मिनिस्टर का कार्य अलग होता है । उन्होंने यह भी कहा कि यह इसलिए कि ला मिनिस्टर को मस्विदे और ड्रैफ़्टिंग का कार्य दिया जाता था और चूंकि होम मिनिस्टर अंग्रेज़ होता था इसलिए उसको जजेज़ के ऐपायन्टमेंट्स का कार्य दिया जाता था । मगर यह बात कि उसका आयन्दा प्रतिफल क्या हो इस बात पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला । तो इसका तो एक ही परिणाम निकलता है और वह यह है कि सेंटर में मिनिस्टर आफ़ जस्टिस होना चाहिये और उसके ताल्लुक़ यह सब बातें हों जिससे कि वह स्टेट में जिस तरीक़े से न्याय होता है उसको भी देख सके और उसको कोआर्डिनेट कर सके और उनको डाइरेक्शंस दे सके और तब यह हो सकेगा कि ला कमिशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी जो सिफ़ारिशें हैं उन पर अमल हो सकेगा । लेकिन एक बात मैं उसके बारे में बहुत ही नम्रतापूर्वक विधि मंत्रालय से और उनके ज़रिए गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह सिफ़ारिश यह है कि जहां पर ला कमिशन ने यह कहा है कि जजों की नियुक्ति में चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हों अथवा हाईकोर्टस के हों, पोलिटिकल, रीजनल और कम्युनल कंसिडरेशंस काम करते हैं । मैं समझता हूं कि इस बात को तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए । अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र फैले, हमारे देश में डिमाक्रेसी फैले और उसकी उन्नति हो तो यह आवश्यक है कि जज ऐसे होने चाहिए कि जिनमें जनता का विश्वास हो, और जनता का विश्वास तभी हो सकता

[श्री खुशवक्त राय]

है जब जज ऐसे हों जिनकी नियुक्ति जो मैं ने कंसिडरेशंस बताये हैं उन पर न की गयी हो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। वहां मैं एक अदालत में बैठा था और वहां पर एक राज्य का मामला पेश हुआ और उसके सम्बन्ध में वहां जो बहस हुई और जो लोगों से बात हुई उससे मुझे यह मालूम हुआ कि उस राज्य के एक जज की नियुक्ति वहां के चीफ़ जस्टिस की मर्जी के ख़िलाफ सिर्फ इसलिए कर दी गयी कि वहां के चीफ़ मिनिस्टर चाहते थे कि इस जज की नयुक्ति हो। और उसका फल क्या हुआ? उसका फल यह हुआ कि जब उसी राज्य द्वारा जारी किये गये एक आर्डिनेन्स पर बहस हो रही थी और उसी जज के सामने थी पर उस जज का उससे कोई मतलब नहीं था, वह मामला चीफ़ जस्टिस के सामने था, तो उन्होंने राय दे दी कि आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार उस राज्य को था। इससे चीफ़ जस्टिस को परेशानी हुई और उन्होंने उस फैसले में कहा है कि ऐसी बातें हमारे ब्रदर जज को नहीं कहनी चाहिए थीं जिनसे हमें परेशानी हो, खासकर जब कि उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह कोई ऐसी बात कहें। तो मैं आपके ज़रिये से विधि मंत्री को और विधिमंत्री के ज़रिये गृहमंत्री जी से यह सिफ़ारिश करना चाहता हूं कि इस तरह की नियुक्तियां हमारे देश में जो प्रजातंत्र है उसको धक्का पहुचा रही हैं। ऐसी नियुक्तियों को खत्म हो जाना चाहिए। मैं यह जानता हूं कि विधिमंत्री का इसमें बहुत हाथ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विधिमंत्री केबिनेट रेंक के ह तो उनकी बात गृहमंत्री अवश्य स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं ने उनसे दरख्वास्त की है कि वह इस तरफ विचार करें।

अब मैं कुछ बातें इस मंत्रालय की कार्रवाइयों के बारे में कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मुझे उन पर प्रकाश डालने का अधिकार है।

पहली बात जो मुझ को कहनी है वह यह है कि जब मिनिस्ट्री की तरफ़ से डिमांड्स पेश की जाती हैं तो साधारणतया यह होता है कि जो उसके जो माइनर हैड्स होते हैं वह एक ही जगह पर दिये जाते हैं। पर इसमें आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट आफ लीगल एफेअर्स की जो डिमांड दी गयी है उसकी डिटेल्स वहां पर नहीं रखी गयी हैं बल्कि आगे चल कर लेजिसलेटिव डिपार्टमेंट के बाद उनकी डिटेल्स दी गयी हैं। इस वजह से जो भी इस डिमांड को पढ़ता है उसको डिटेल्स के जानने के बारे में परेशानी होती है और मुझे भी यह परेशानी हुई। मैं ने यहीं के एक सहायक से उसके बारे में पूछा तो वह भी नहीं समझ पाये। फिर उन्होंने विधि मंत्रालय के किसी अधिकारी से पूछा और उन्होंने बताया। तो मैं समझता हूं कि जब डिमांड्स पेश की जायें और उनकी जो किताबें बनायी जायें उनमें इस बात का ख्याल रखा जाये कि इस तरह की परेशानी न हो।

इसी तरह से मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें प्राबेबिल सेविंग्स (सम्भावित बचत) दिखायी गयी हैं। मैं समझता हूं कि सेविंग्स का ज़िक्र डिमांड्स में नहीं होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि हमको इतनी सेविंग्स होनी हैं तो उतना कम करके आप डिमांड पेश करें। यह जो प्राबेबिल सेविंग्स हैं इनको रिवाइज्ड बजट एस्टीमेट्स में दिखाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सेविंग्स को इस तरह से डिमांड में नहीं दिखाना चाहिए।

तीसरी बात मैं इस अनुदानों की पुस्तक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक्सपेंडीचर आन यूनियन टैरीटरीज़ की डिमांड नम्बर ७१ के नीचे ४,४०,७०० रुपया दिखाया गया है। उसका सविस्तार विवरण पृष्ठ ९ पर दिया गया है लेकिन उसमें केवल ३,०९,७०० का विवरण दिया गया है। बाकी रुपया कहां जाता है, उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है।

ये बातें मुझे डिमांड्स के बारे में कहनी थीं। अब मैं मंत्रालय के और कामों के बारे में कहना चाहता हूं।

मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कंट्रेक्टस के बारे में जिक्र किया। मुमकिन है कि मैं गलती पर होऊं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पबलिक अंडरटेकिंग्स के साथ सरकार के कंट्रैक्ट होते हैं उन के बारे में इस मंत्रालय से परामर्श नहीं किया जाता। अकसर प्रश्नों में यह बात सामने आती है कि बहुत से कंट्रेक्टस ऐसे होते हैं जिन में पैनाल्टी क्लाज नहीं होता। अगर कोई कानून जानने वाला एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को देखेगा तो जरूर कहेगा कि इस में पीनाल्टी क्लाज (दंड विधेयक खंड) का होना जरूरी है। इस को तो वही लोग नजरअन्दाज कर सकते हैं जिन को कानून की जानकारी न हो। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस तरह के क ट्रैक्टस के बारे में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किये जाते हैं इस मंत्रालय का मशविरा लिया जाता है। अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगा कि फिर यह कैसे होता है कि इन एग्रीमेंट्स में पैनाल्टी क्लाज नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि बहुत से कंट्रैक्ट दूसरे मुल्कों में कर लिये जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया जाता है। हम जानते हैं कि जो कंट्रैक्ट हमारे देश में होगा उस पर हमारा कानून लागू होगा और जो दूसरे देश में होगा उस पर उस देश का कानून लागू होगा। इस प्रकार के मामले अक्सर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में हमारे सामने आते रहते हैं जिन में यह कहा जाता है कि चूंकि यह कंट्रैक्टस दूसरे देशों में हुआ है इसलिये हम इस में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो आप ने रिपोर्ट दी है उस में आप ने कहा है कि आप राज्य सरकारों को सलाह देते हैं कि वह कौन से व्यक्तियों को नियुक्त करें। अभी जम्मू काश्मीर में एक पोलीटिकल मामला चल रहा है। उस में आप का जो सीनियर वकील है उस को फीस आप देते हैं। वहां पर पहले एक वकील आपने मुकर्रर किया, उस के बाद आप बिहार से एक वकील लाये जिन के बारे में कहा गया कि यह एक्स हाईकोर्ट जज हैं और उन की क्रिमिनल ला की जानकारी बहुत अच्छी है। मगर उन के बाद आप एक और दूसरे वकील को फेबुलस फीस दे कर लाये क्योंकि उन्होंने कुछ कांग्रेस मंत्रियों के मुकदमों में इलाहाबाद में पैरवी की थी। अगर आप किसी अच्छे क्रिमिनल लायर को लाना चाहते थे तो ऐसे किसी लायर को लाते जैसे कि हमारे पंडित जो बैठे हुए हैं। मगर उन का ख्याल न कर आप ऐसे एक वकील को लाये जिस ने कभी क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की और न हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने भी इम्तियाज किया। पंडित जी के बारे में तो यहां पर जो साहब पंडित जी के पास बैठे हैं उन के बारे में नहीं कहा।

श्री खुशवक्त राय : उन की सिफारिश मैं किसी अगले मामले में करूंगा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९५७ में एक ला मिनिस्टर्स की कानफरेंस हुई थी और उस का जिक्र भी इस में किया गया है। उन की जो सिफारिशें हैं उन के बारे में कहा गया कि उन की प्रोसेसिंग हो रही है। मैं तो यह जानना चाहता था कि जो वह कानफरेंस हुई क्या उस की सिफारिशों को इम्पलीमेंट किया गया। जाहिर सी बात है कि जब आप एक ला मिनिस्टर्स की कानफरेंस बुलाते हैं जिस में सारे राज्यों के विधि मंत्री आते हैं और जिस में आप भी शामिल होते हैं, उस के जो फैसले होते हैं उन को कार्यान्वित नहीं किया गया। यह बड़े दुःख की बात है। उस का एक फैसला तो यह है। न्यायालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकना। दूसरे सेपेरेशन आफ ज्यूडिशरी फ्राम दी एग्जेक्टिव (न्यायपालिका को कार्यपालिका में से पृथक करना) और तीसरे लीगल एंड टू पुअर पीपल (गरीबों को कानूनी सहायता देना) ये आप ने फैसले किये थे और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन फैसलों पर आज तक अमल नहीं हुआ है जहां तक मुझे मालूम है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब आप ही

[श्री खुशवक्त राय]

फैसले करते हैं तो क्यों नहीं इन फैसलों को आप अमल में लाते हैं। मैं मानता हूं कि लीगल एड टू दी पुअर देने में काफी दिक्कतें हैं, काफी कठिनाइयां हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी मामलों में यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धारा ३२ जो हमारे संविधान की है, जिसमें अगर किसी सिटिजन के फंडामेंटल राइट्स इनफ्रिंज होते हैं, उसमें तो आप यह कर ही सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए यह सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। गरीब आदमी जिस के फंडामेंटल राइट्स इनफ्रिंज होते हैं, और जो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहता है लेकिन ले जा नहीं सकता है, उस को तो कम से कम मुफ्त लीगल एड दे ही सकते हैं। इस का क्या जस्टिफिकेशन है कि आप फैसले करते हैं और अच्छे फैसले करते हैं, उन के पीछे अच्छी भावना रहती है, परन्तु जब उन फैसलों को अमल में लाने की बात आती है, तो आप हिचकिचाते हैं। आप कहते हैं कि आप स्टेट्स को लिखते हैं लेकिन स्टेट्स को लिखने के बाद भी तो आप को इस पर विचार करना चाहिये कि आगे क्या कार्यवाही हो सकती है केवल केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह चीज की गई है और उस को छोड़ कर किसी भी राज्य में इस पर विचार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं अगर स्टेट्स से आप यह नहीं करवा सकते हैं, तो कम से कम सेंटर से ही आप इस चीज को करवायें।

मुझे दो तीन बातें और कहनी हैं और विस्तार में न कह कर मैं केवल प्वाइंट्स ही बयान करूंगा। आपके यहां पर एक अनुवाद विभाग है, ट्रांसलेशन विभाग है मैं जानना चाहूंगा कि इस विभाग की क्या कारगुजारियां हैं। सन् १९५० में हमारा संविधान बना था और उस समय उस का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुआ थां। उस के बाद इस का संशोधित हिन्दी संस्करण आज सन् १९५९ में प्रकाशित किया गया है और यह भी तब जब मैं ने इस के बारे में कई बार सवाल किये। ९ बरस बाद हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया गया। नौ सालों में वह हिन्दी का संस्करण ही प्रकाशित नहीं कर सका और इस बीच में उस में सात संशोधन हो चुके हैं। आज भी आप हिन्दी भाषा भाषियों के ऊपर दूसरी जबान लादे हुए हैं जिसको कि वे पढ़ नहीं सकते हैं और जो चाहते हैं कि उन को हिन्दी में किताबें पढ़ने को मिलें, लेकिन मिलती नहीं हैं। जब संविधान के अनुवाद में इतनी देरी हो सकती है तो जो दूसरे कानून हैं उन का तो कहना ही क्या।

अब मैं इलैक्शन कमीशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वह भी आप से सम्बद्ध है। इलैक्शन कमीशन को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिस से कि पेटिशनर को या रिसपांडेंट को अधिक खर्चा करना पड़े या उन का खर्चा बढ़े। जितनी भी सन् १९५७ में इलैक्शन पेटिशंस हुई हैं, उन में इलैक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के मामले में इतना तूल दिया और एक रिमार्क किया कि एक एक कर के देश की बहुत सी अदालतों ने माना और उन मामलों को आखिर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और बहुत से पेटीशनर ऐसे थे कि जो चाहे वे वहां जाना भी चाहते थे लेकिन चूंकि उन के पास पैसा नहीं था, पैसे की कमी थी, वे जा नहीं सके। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

अब मैं रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जो नया संशोधन सन् १९५६ में हुआ है उसके द्वारा आपने इलैक्शन कमिशन को यह अधिकार दे दिया है कि वह १४० (ए) के मातहत किसी भी डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकता है। पर तु डिस्क्वालिफिकेशन में कई फर्क होते हैं। एक डिसक्वालिफिकेशन वह है जो कि इलैक्शन ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग से होती है। मैं यह चाहता हूं कि इस के बारे में आप की कुछ हिदायत होनी चाहिये। इस का कारण यह है कि इलैक्शन ट्रिब्यूनल ने जब फाईंडिंग दे दी कि इस ने करप्ट प्रैक्टिस की है और उस प्रैक्टिस के लिये अगर वह डिसक्वालिफाई हो गया है तो उस की डिसक्वालिफिकेशन को जल्दी ही रिमूव नहीं किया जाना चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन की ओर से राज्यों को कुछ अनुदान दिये जाते हैं कि जिस में कि वे मतदाता सूचियों को ठीक रख सकें, उन को छपवा सकें, उन में शुद्धि कर सकें। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि बहुत से जो अनुदान दिये जाते हैं, उन में राज्य की जो आबादी होती है, उस का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, कोई उस का ध्यान नहीं किया जाता है। एक राज्य है जिस की आबादी छः साढ़े छः करोड़ है, उस को एक लाख का अनुदान दिया गया है। पिछले साल उसे बीस लाख दिया गया था और बीस लाख के करीब वह खर्चा भी कर रहा है लेकिन अब जब उस को घटा दिया गया है और आबादी का कोई लिहाज नहीं रखा गया है, यह क्यों नहीं रखा जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने के लिये तो मेरे पास और भी बातें थीं, लेकिन चूंकि समय नहीं है, इस वास्ते मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री सुबिमन घोष** (वर्दबान) : निस देह विधि आयोग ने एक महान कार्य किया है तथापि मेरे विचार से उस ने न्यायालयों में सम्बोधन करने के तरीके की ओर ध्यान नहीं दिया है। अभी भी हमारे कोर्टों में हजूर, धर्मावतार माई लार्ड इत्यादि सम्बोधन प्रचलित हैं। यह अंग्रेजी परम्परा के चिह्न हैं। लेकिन अब हम लोकतन्त्र के युग में रह रहे हैं अतः हमें संबोधन की यह मध्य कालीन प्रणाली का त्याग कर देना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र यह कह रहे थे कि न्यायापालिका को कार्यपालिका के अधीन रहना चाहिये। मैं इस का प्रतिवाद नहीं करता तथापि यदि ऐसा होगा तो न्यायपालिका के सदस्य पर मंत्रालय के व्यक्तियों से यह जायेंगे। हम अभी देख चुके हैं हारे हुए उम्मीदवारों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसी प्रथा कायम करना अनुचित है।

मैं पिछले सत्र में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक विधयक प्रस्तुत करना चाहता था जिस के निमित्त मैं ने संविधान के अनुच्छेद २१७ का संशोधन करने का सुझाव रखा था। दुर्भाग्य से मुझे वह विधेयक वापस लेना पड़ा।

मेरे विचार से जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध है यह पूर्णतः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से होना चाहिये। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल का कोई हाथ नहीं होना चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिये मंत्रियों को भी किसी प्रकार की शक्ति नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार जिला मुंसिफों को पदोन्नति दे कर सहाय नायाधीश बनाने की प्रथा ठीक नहीं है। वे लोग इस कार्य के लिये उपयुक्त और कुशल प्रमाणित नहीं होते हैं। जिला जजों की नियुक्ति वकीलों से ही की जानी चाहिये।

अनुच्छेद २२२ का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस खंड की शक्ति से एक राज्य के वकीलों को दूसरे राज्य में न्यायाधीश नियुक्त किया जाय और उनके स्थानान्तरण होते रहें जिससे वे एक ही स्थान में स्थायी रूप से रहने के दोषों से मुक्त रह सकें।

अब मैं मुकदमों के निपटारे में विलम्ब की समस्या को लेता हूं। यह एक कहावत बन गई है। दुख की बात यह है कि उच्चन्यायालयों में कई मामले इतनी लम्बी अवधि तक पड़े रहते हैं कि निपटारा होने तक तत्सम्बन्धी नियम ही शून्य हो जाते हैं। अतः हमें कार्य में शीघ्रता और कुशलता लाने के लिये अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुबिमान घोष]

हम ने अभी हाल मामलों का शीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किये है । लेकिन दुःख की बात यह है कि इसका परिणाम विपरीत हुआ है । अब मुकदमे के विचार में पहले से भी अधिक समय लगने लगा है और जो दूसरी तारीख लगायी जाती है वह पहिली तारीख के तीन महीने बाद लगाई जाती है । इतना ही नहीं इससे कुछ असंगतियां भी पैदा हो गई हैं । वस्तुतः मुझे यह कहते हुए दुःख है कि इस विधान निर्मातृ संस्था में हम विधान की हत्या कर रहे हैं । विधि मंत्री को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिए आभार प्रदर्शन करता हूं । गत वर्ष जब विधि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी इस समय और इस वर्ष भी इसकी मांगों पर चर्चा होते समय कोई कटुता नहीं पैदा हुई इससे स्पष्ट है कि हमारा कार्य काफी संतोषजनक रहा है । विधि मंत्रालय सम्बन्धी मामलों पर जब भी चर्चा हुई है हम ने देखा है कि हमेशा ही बिना किसी द्वेष या दुर्भाव के साथ चर्चा होती रही है ।

श्री खाडिलकर तथा प्रोफेसर मुकर्जी के भाषण सुन कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । प्रोफेसर मुकर्जी का भाषण भावुकता तथा रागद्वेष से दूर और सुन्दर था । वास्तव में, सभा के सभी सदस्यों द्वारा जो वादविवाद हुआ वह बहुत ही अच्छा रहा है और हमारा मंत्रालय उसके लिए आभारी है ।

मंत्रालय के कार्यों तथा उसके उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें सर्वप्रथम बता देना चाहता हूं ताकि किसी को कुछ गलतफहमी न रह जाये । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ठीक ही कहा कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी विधि मंत्रालय की नहीं है । फिर भी, सरकार के सदस्य होने के नाते हम भी जिम्मेदारी में हाथ बटाते हैं और स्वतंत्रता के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस प्रकार हुई है उसके सम्बन्ध में मैं कोई लज्जा की बात नहीं समझता । विधि आयोग के प्रतिवेदन में कही गयी इस बात के, कि न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में शासकदल ने अपना प्रभाव डाला है, आधार पर जो आलोचना की गयी, उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं । यह बात विधि आयोग को भी बताई गयी थी कि गत ८ या ९ वर्षों में सरकार ने किसी अपने व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नहीं नियुक्त किया । ऐसे मामलों में हमेशा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, यदि मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के विचारों में मतभेद नहीं था । यदि मुझे ठीक याद है तो केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब सरकार ने स्थानीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात के सामने भारत के मुख्य न्यायाधिपति की बात को स्वीकार किया है । जब राज्य के उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति के बीच किसी नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसा मतभेद पैदा हो जाता है, तो हमें दोनों में से एक की बात माननी ही पड़ती है । यद्यपि संविधान के अधीन इन नियुक्तियों के लिए हमारा मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कभी भी कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

श्री सुबिमन घोष और श्री मुकर्जी ने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति का जिक्र किया, जो उनके कथनानुसार भूतपूर्व विधि मंत्री तथा पराजित कांग्रेसी उम्मेदवार है । श्री मुकर्जी ने कहा कि वह एक ईमानदार तथा योग्य वकील है और उन्हें सरकार ने नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्त किया है । चूंकि सामान्यतया मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी नियुक्ति को सरकार प्रायः मान लेती है अतः इस मामले में भी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुबिमन घोष ने कहा कि यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियां इसी प्रकार सरकार के हाथ में रहेंगी तो कालान्तर में कांग्रेस के लोगों से ही सारा न्याय-विभाग भर जायेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने कभी भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है। सरकार पर यह आरोप कभी भी नहीं लगाया या सिद्ध किया जा सका।

†**श्री नाथ पाई** : विधि आयोग ने जो कुछ कहा है क्या उसे अधिकृत व प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। माननीय मंत्री का कहना है कि वह उसे स्वीकार नहीं करते। हमें विधि आयोग के सम्मान की भी रक्षा करनी चाहिए।

†**श्री अ० कु० सेन** : विधि आयोग के प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है, मैं उस की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। इन आरोपों का उत्तर माननीय गृह-कार्य मंत्री भी देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अवसर नहीं आया है जब सरकार ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों को न मानते हुए, अपना आदमी नियुक्त किया हो। केवल एक बार ऐसा अवसर आया था जब सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात को न मान कर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिश स्वीकार की थी।

†**श्री नाथ पाई** : क्या आप विधि आयोग के प्रतिवेदन में कही गयी बातों का खंडन करते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई ठोस उदाहरण सामने रखें तो उसका परीक्षण किया जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : जब तक कोई ठोस उदाहरण सामने न रखा जाये, तब तक उसका खंडन भी कैसे किया जाये। मुझे प्रसन्नता होती यदि कोई ठोस उदाहरण सामने रखा जाता। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो जब गृह-कार्य मंत्रालय की मांगें रखी जायेंगी, उस समय ठोस उदाहरण रख सकते हैं।

श्री खाडिलकर ने कहा कि विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किसी बुनियादी उपाय का उल्लेख नहीं किया है। यह सच है कि विधि आयोग ने हमारी संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रक्रिया नियमों में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है। आयोग ने कहा है कि जब उसके प्रतिवेदन पर निश्चय किये जायें, तो सभा तथा सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या आयोग में बताये गये रूपभेदों को करने के बाद सामान्य जनता को शीघ्र तथा सस्ता न्याय मिल सकेगा या नहीं ? सच पूछा जाये तो समाज का उद्देश्य ही यही है कि सामान्य जनता के कल्याण का ध्यान रखा जाये।

मैं मानता हूं कि जो न्याय व्यवस्था जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा अन्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं करा सकती, वह अपने मूल उद्देश्य में असफल है। अतः लोकतंत्रात्मक समाज का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सामान्य जनता को न्याय उपलब्ध हो सके। हमारा तथा हमारे संसद् का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। यही कारण है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हम ने यह आयोग नियुक्त किया था कि वह सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था पर अपना प्रतिवेदन दे जिसमें ऐसे उपायों की सिफारिश करे जिनसे सामान्य जनता के लिए न्याय उपलब्ध किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यह ठीक है कि हमें अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। प्रोफेसर मुकर्जी ने साम्यवादी देशों का उल्लेख किया। वैसे हम बहुत सी बातें अन्य देशों से सीख सकते हैं पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में जो न्यायव्यवस्था है और जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने लोकतंत्रात्मक समाज के विकास में काफी उपयोगी ढंग से योगदान किया है।

इस बात का भी संकेत किया गया कि ब्रिटिशकालीन न्याय व्यवस्था की तुलना में आज की न्याय व्यवस्था कम कुशल है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन काल में आज की तुलना में न्याय का अच्छा प्रबन्ध था। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ भी खराबी नहीं है। वास्तव में बात यह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद, संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये अधिकारों, तथा समाज में कल्याण की वृद्धि के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा पारित किये गये कानूनों के फलस्वरूप एक नये प्रकार की मुकदमेबाजी का श्रीगणेश हो गया है जिससे उच्चन्यायालयों में तथा जिले के न्यायालयों में भी काम बहुत बढ़ गया है। इस बढ़े हुए काम को भी हम ने उतने ही न्यायाधीशों द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न किया है, जितने न्यायाधीश ब्रिटिश काल में थे। मैंने खुद देखा है कि डिफेन्स आफ इन्डिया ऐक्ट के दिनों में न्यायालयों के मुकदमों की भरमार थी। वैसे मैं ब्रिटिश कालीन न्यायाधीशों को तथा अपने स्वतंत्र भारत के न्यायाधीशों को भी देख चुका हूं और हमारे न्यायाधीश योग्यता, मापदण्ड, शिक्षा तथा अन्य बातों में ब्रिटिश कालीन न्यायाधीशों से किसी प्रकार कम न हो कर उन से अच्छे हैं। उन्होंने उच्चन्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में शानदार काम किये हैं। उन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के सिद्धान्तों, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्रात्मक अधिकारों की रक्षा की है; उन्होंने कार्यकारिणी को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोका है और उन्होंने समानता, ईमानदारी तथा उचित रूप से न्यायदान किया है।

श्री मुकर्जी ने जो सुझाव दिये हैं, उन से मैं सहमत हूं। वास्तव में, विधियों को सरल बनाने की आवश्यकता है और इसी कारण एक स्थायी विधि आयोग नियुक्त किया गया था कि वह विधियों का निरंतर संशोधन करके उन्हें पूर्ण करता रहे तथा उलझनपूर्ण विधियों को सरल बनाये। मैं उन की इस बात से भी सहमत हूं कि हमारी विधियां हमारे सामाजिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहियें। अन्यथा हमारी विधियां उन प्रयोजनों की पूर्ति नहीं कर पायेंगी, जिन के लिये वे निर्मित की गई हैं। पर यह काम संसद तथा राज्य विधानमंडलों का है। न्यायपालिका समय के अनुसार विधियों को बदल नहीं सकती। उस का काम तो विधि को लागू करना तथा उस की व्याख्या करना है। यदि हम न्यायाधीशों को विधि निर्माण की अनुमति दे दें तो एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो जायेगी। यह संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। यह एक स्वस्थ प्रणाली है कि न्यायाधीश विधि निर्माता न हो कर विधि को लागू करने वाले तथा विधि की व्याख्या करने वाले हैं।

मैं श्री मुकर्जी की इस बात से भी सहमत हूं कि हमें पुरानी परिपाटियों को बिल्कुल ही छोड़ नहीं देना चाहिये। पर अतिपरम्परावादिता से विधि संबंधी प्रगति को ठेस पहुंचती है। वैसे तो हम स्वभाव से ही परम्परावादी हैं। हमें अपने अतीत के प्रति बहुत मोह है। इसी कारण प्रायः हम विदेशों की अच्छी बात भी नहीं सीख पाते और न ही हम उन की अच्छी परम्पराओं को अपना पाते हैं।

विदेशी शक्ति हमारे देश में कितनी फली-फूली और विदेशी विधि व्यवस्था हमारे देश में कितनी अच्छी तरह विकसित हुई, इसका एक आकर्षक इतिहास है। इसी के सहारे हमारे देश में

महान विधि शास्त्री पैदा हुए । इन लोगों ने हमारे देश को नई वैधानिक प्रतिभा दी । आज दक्षिण-पूर्व एशिया से ले कर मध्य अफ्रीका तक हमारे अनेकों कानून, भारतीय प्रसंविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रचलित हैं । यदि इंगलैण्ड को छोड़ कर अंग्रेजी विधि शास्त्र का इतिहास तैयार किया जाये, तो एक सुन्दर इतिहास तैयार हो जायेगा । वैसे हमारी विधि व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो पर हम संसार के अन्य देशों में होने वाले नवीन प्रयोगों की अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी न्यायव्यवस्था को सामाजिक सिद्धान्तों के अनुरूप बनाना है ।

इस बात का भी उल्लेख किया गया कि न्यायाधीशों को, उन के कार्यकाल में या उन के सेवा निवृत्त होने के बाद, कुछ पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है । इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने चीफ जस्टिस छागला का जिक्र किया कि उन्हें राजदूत बना कर अमरीका भेज दिया गया । यह इस बात का प्रमाण है कि ऐसी नियुक्तियां करने में सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती । आप को विदित होगा कि श्री छागला एक निर्भर न्यायाधीश थे और प्रायः सरकार की आलोचना भी कर देते थे । इस से पता लगता है कि योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त पद पर नियुक्त करने में सरकार कभी पक्षपात नहीं करती ।

आज उच्चतम न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को स्थायी विधि आयोग का चेयर-मैन नियुक्त किया गया है । यदि विधि आयोग की सिफारिशों को शब्दशः स्वीकार किया जाये, तो यह नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये थी । अतः यह सामान्य बात नहीं स्वीकार की जा सकती कि किसी भी न्यायाधीश को किसी अन्य पद पर नियुक्त न किया जाये ।

अतः हमारा यह कहना है कि सरकार किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किसी पद पर तभी नियुक्त करती हैं, जब उस की योग्यता उस पद के लिये उपयुक्त होती है । उस के अतिरिक्त सरकार अन्य किसी बात को आधार नहीं बनाती । मैं समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात होगी, कि हम अच्छे-अच्छे न्यायाधीशों की योग्यता तथा उनकी सेवाओं को देश के हित के लिये इस्तेमाल न करें । मैं समझता हूं कि यह कोई भी नहीं कह सकता कि श्री छागला को राजदूत बनाया जाना, एक गलत चुनाव था । अमरीका में भी उन के काम की प्रशंसा की गई है ।

अन्त में मैं अपने एक मित्र के बचाव के लिये, जोकि एक अच्छे वकील हैं और जिन का जिक्र श्री खुशवक्त राय ने किया है, कुछ कहना चाहता हूं ।

†**श्री खुशवक्त राय** : मैं ने किसी का नाम नहीं लिया ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जिक्र इतना साफ था कि हम सब समझ गये कि आप किस का जिक्र कर रहे हैं । काश्मीर षड्यंत्र के मामले में जो वकील हैं, उन का भी जिक्र किया गया । मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में हमें सरकार पर काफी भरोसा करना चाहिये कि वह किसी काम के लिये ठीक आदमी को ही चुनेगी । यह मामला काश्मीर तथा सम्पूर्ण भारत के लिये इतना महत्वपूर्ण है कि इस महत्व को ही ध्यान में रख कर सरकार ने उपयुक्त व्यक्ति को वकील चुना है । इस का अर्थ यह नहीं है कि अन्य वकीलों पर हम विश्वास नहीं करते । वास्तव में यह मामला इतना बड़ा तथा महत्वपूर्ण है कि २ बड़े वकीलों की जरूरत थी । मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला इतना नाजुक है कि उस के ब्यौरे की बातों को खोलना राज्य की सुरक्षा तथा हित के लिये घातक होगा । ऐसे मामलो पर सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

पर विश्वास किया जाना चाहिये और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे मामलो में सरकार अच्छी-से-अच्छी सलाह के आधार पर ही काम करती है क्योंकि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस से किसी को प्रोत्साहन देने की बात हो ।

†**श्री सुबिमन घोष** : पर उन की नियुक्ति पहली नियुक्ति नहीं है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : फिर भी ये सब बातें सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये । यह नहीं बताया जा सकता कि किसी एक विशेष अवसर पर उन्हें क्यों नियुक्त किया गया या क्यों नियुक्त नहीं किया गया । सच तो यह है कि शुरू से ही उन की नियुक्ति की गई थी ; शिकायत का मसविदा भी उन्हों ने ही तैयार किया था । उस के बाद वे राष्ट्र संघ चले गये थे । अतः मेरा मतलब है कि ऐसी बातें सरकार पर ही छोड़ दी जानी चाहियें आखिर सरकार को चलाने वाले लोग उत्तरदायी हैं ।

अन्त में, मैं चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं आप का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । वाद-विवाद में मैं ने कहा था कि ऐसे भी अवसर आये हैं जब भारत में मुख्य न्यायाधिपति की राय को न मान कर मुख्य मंत्री की बात मानी गई है और उस के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है । ऊपर जो बात मैं ने कही है यह बात स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कही गई है । माननीय मंत्री ने इस बात को गलत बताया और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है । क्या यह बात मुख्य न्यायाधिपति की शान के खिलाफ नहीं है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मुख्य न्यायाधिपति पर इस से कोई आंच नहीं आती ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई न्यायनिर्णय की बात तो है नहीं । इस सम्बन्ध में हो सकता है माननीय मंत्री न्यायाधिपति महोदय की बात से सहमत न हों । अपने विचारों को प्रकट करने की उन्हें स्वतंत्रता है । मैं समझता हूं कि यह बात माननीय मुख्य न्यायाधिपति की शान के खिलाफ नहीं है ।

क्या मैं किसी कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूं ? मैं समझता हूं कि सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये जा रहे हैं ।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
७०	विधि मंत्रालय	२३,७०,०००
७१	निर्वाचन	८३,३५,०००

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में धान के मूल्य*

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : आप जानते हैं कि नवम्बर १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार करने का निर्णय किया था और बुवाई से पूर्व इस का खूब प्रचार किया था कि किसानों को धान सरकार को बेचना होगा। परन्तु आश्चर्य है कि सरकार ने इस निर्णय के संबंध में जनता के विचार जानने के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया। १२-३-५९ को खाद्यान्नों के राज्य-व्यापार पर पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बताया था कि राज्य व्यापार के बारे में अभी पूरी योजना नहीं बनाई गई है। इस पर डा० राम सुभग सिंह ने पूछा कि किस कारण से योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ? उत्तर में बताया गया कि इस पर राज्यों की राय मांगी गई थी और राय आने पर मंत्रिमंडल में इस पर विचार किया जायेगा और मामले को तब सभा में रखा जायेगा। उसी समय श्री तिरुमल राव ने यह भय प्रकट किया कि संभव है निर्णय होने तक समस्त खाद्यान्न छिपा कर न रख लिये जायें। और उन का भय आज सत्य हो गया है। आज मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में धान की खरीददारी सरकार अपने बताये मूल्यों पर नहीं कर रही है अपितु व्यापारी कम मूल्यों पर खरीद कर धान इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार को अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं। मुझे विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि आज मध्य प्रदेश तथा बिहार में चावल ९ रुपये प्रति मन बिक रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिये किसानों को बड़ी हानि हो रही है।

मुझे समाचारपत्र से पता लगा है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, दुर्ग तथा रायगढ़ क्षेत्र में १२ मार्च को किसानों ने आन्दोलन किया और ८०० व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। यह बड़े खेद की बात है कि सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं करती है और यदि वायदों की ओर ध्यान दिलाने के लिये किसान आन्दोलन करते हैं तो गिरफ्तारियां कराती है। इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को खाद्यान्नों के राज्य व्यापार के बारे में शीघ्र निर्णय कर लेना चाहिये।

सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष जी, मेरे मित्र ने कहा है कि रायपुर और दुर्ग में करीब ८०० आदमी गिरफ्तार हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि वहां पर जो एजीटेशन शुरू किया गया है वह किस की ओर से किया गया है। मुझे मालूम है कि हमारा बिलासपुर जिला सरप्लस जिला है और हम वहां से जितना अनाज भेज सकते हैं भेज रहे हैं। यह मैं जरूर मानता हूं कि हमको जितनी तादाद में चावल खरीदना चाहिए वह हम नहीं खरीद पाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि धान का भाव निर्धारित करने से पहले हमको यह देख लेना चाहिए था कि काश्तकार का इस पर कितना खर्चा आता है और उसके बाद ही भाव निर्धारित करना चाहिए था। हमको काश्तकार की आमदनी का ध्यान रखकर भाव निश्चित करना चाहिए था। लेकिन यह नहीं किया गया।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे चन्द प्रोड्यूसर अपना माल लाकर व्यापारियों को बेच रहे हैं क्योंकि हमारी खरीदने की व्यवस्था ठीक नहीं है और इससे मिडिल मैन को लाभ हो रहा है। इस बारे में मैं अपने मित्र से सहमत हूं।

लेकिन अब जो हो गया सो तो हो गया। आयंदा हमको यह करना चाहिए कि जो गल्ला पैदा होता है उसके खर्चे का तखमीना करें और उसके बाद किसान का लाभ रखते हुए कीमत निर्धारित करें। आज जो एजीटेशन हो रहा है उसका कारण गवर्नमेंट की कुछ कमजोरियां हैं। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि हम लोगों ने जो भाव निर्धारित किया उस वक्त जो काम करने

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

[सरदार अ० सिं० सहगल]

वाले लोग थे उनको ठीक तरह से नहीं लगाया गया। आज तो मैं देखता हूं कि बिलासपुर में बहुत गल्ला खरीदा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितना खरीदा जाता है यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन काफी तादाद में हमारे यहां से गल्ला भेजा जा रहा है। मुझे रीजनल सुपरिंटेंडेंट, बिलासपुर से मालूम हुआ कि रायगढ़ जिले को जो वैगन दिये गये थे वे ठीक तरह से भरे नहीं जा सके। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का कर्त्तव्य है कि अगर उसके पास स्टाक है तो उसको जल्दी भर कर भेज देना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि हमारे किसानों को जो भाव मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है।

जब हमारे यहां स्केरसिटी होती है उस वक्त के रिकार्ड को देखा जाये तो आपको मालूम होगा कि बिलासपुर सरप्लस रहता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि हमारे जिले से गल्ला खरीदने में सरकार को खरीदने की ठीक व्यवस्था आयन्दा से करनी चाहिए और उसी के अनुसार काम होना चाहिए।

†**श्री पाणिग्रही (पुरी)** : सरकार ने बताया था कि खाद्यान्नों के राज्य-व्यापार की योजना अभी अन्तिम रूप से नहीं बनी है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य-प्रदेश, उड़ीसा आदि की राज्य सरकारें किस आधार पर धान किसानों से खरीद रही हैं जब योजना ही अभी नहीं बनी है? दूसरे आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि उड़ीसा में ४ लाख टन तथा मध्य प्रदेश में ३ लाख टन चावल अधिक होगा। परन्तु अब ऐसी गणना की जा रही है कि यह आधिक्य अब कम हो गया है। संभव है अधिक चावल में से कुछ छिना लिया गया हो। मैं चाहता हूं कि सरकार मेरी इन बातों को स्पष्ट करेगी।

†**श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन)** : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं जिनमें से पहला यह है कि राज्य व्यापार योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा? मध्य प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार पर जोर दे रही है कि गेहूं के मूल्य निर्धारित करो तो यह मूल्य कब तक निर्धारित कर दिए जायगे? छत्तीसगढ़ से चावल इकट्ठा करके परमिट से बम्बई को भेजा जा रहा है। बम्बई से बाहर चावल ले जने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा हुआ है इसलिए साठेबाज़ बम्बई में चावल इकट्ठा कर रहे हैं और अन्य राज्यों को भेज रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई जैसे कमी वाले क्षेत्रों में चावल को अन्य स्थानों पर ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया है।

छत्तीसगढ़ से चावल मुरैना लाया जाता है। मुरैना उत्तर प्रदेश के निकट है इसलिए यहां से इस चावल को उत्तर प्रदेश में चोरी छिपे भेज दिया जाता है जो उत्तर प्रदेश में २४ रुपये मन बिकता है। इस चोरी छिपे व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

छत्तीसगढ़, दुर्ग तथा सरगुजा ज़िलों के चावल की किस्म में अन्तर होता है तो क्या मूल्य निर्धारित करते समय इसका ध्यान रखा जाता है? क्योंकि अभी तक समान मूल्य निर्धारण से उत्तम प्रकार का चावल उगाने वाले किसानों को हानि होती थी। मेरे यही प्रश्न हैं।

श्री र० सिं० किलेदार (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कही हैं। मुझे केवल एक बात ही विशेष रूप से कहनी है और मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब किसी गल्ले की कीमत मुकर्रर की जाती है उसकी खरीद के लिए, सरकार की ओर से, तो किन-किन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। क्या यह बात तो नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है कि अचानक ही किसी गल्ले की कीमत मुकर्रर कर दी जाती है ? इससे तो किसानों के रास्ते में बड़ी अड़चनें आ सकती हैं, बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, बड़ी तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ सकता है। कीमत मुकर्रर करते वक्त क्या आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पैदा करने में कितना खर्चा आता है या नहीं रखते हैं ? क्या यह भी देखा जाता है या नहीं कि पिछले पांच सालों में किस तरह की फसलें हुई हैं ? ऐसा भी होता है कि दो साल तो अच्छी फसल होती है, दो साल साधारण होती है और एक साल बुरी होती है।

पैदावार देखने के पहले क्या इस बात का भी ध्यान रखा जाता है अथवा नहीं कि पांच सालों में जितनी पैदावार हुई है, उसकी औसत के ऊपर अंदाज़ा पैदावार का लगाया जाए ? पटवारी लोग या दूसरे लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो वे अच्छे से अच्छे खेतों को ही देखते हैं और अच्छे से अच्छे खेतों में भी खेत के उस टुकड़े को देखते हैं जहां पर फसल बहुत अच्छी हुई होती है जिसका नतीजा यह होता है कि जो अंदाजा होता है वह बहुत ज्यादा का होता है जब कि फसल उतनी होती नहीं है। ऐसी सूरत में जो औसत निकाला जाता है वह बहुत ज्यादा का निकलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या औसत निकालने का कोई सही तरीका भी आपने निकाला है या नहीं निकाला है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उसकी क्या कीमत बैठती है, क्या खर्चा बैठता है फसल काट लेने के बाद बाज़ार में ले जाने से, इसका भी क्या ध्यान रखा जाता है ? मैं चाहता हूं कि इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिये। यह बहुत जरूरी चीज़ है। इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रणाली निकाली जानी चाहिये थी जिससे कोई गलती की सम्भावना न रहे।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कीमत मुकर्रर करने से पहले क्या किसान से या किसानों की किसी संस्था अथवा संस्थाओं से सरकार कभी सलाह लेती है या सलाह देने के लिए उनको बुलाती है अथवा नहीं बुलाती है ? क्या उनका बुलाना सरकार जरूरी समझती है या नहीं समझती है ? मैं एक किसान हूं और मैं जानता हूं कि किसानों को किन-किन मुसीबतों का, किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं भली भांति जानता हूं कि अगर किसान की फसल अच्छी होती है तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन अगर बुरी होती है तो उसकी बात कोई पूछता नहीं है। जो मुसीबतें किसान उठाते हैं, उन्हें वही जानते हैं।

मेरे मित्रों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। वहां के किसान आज अत्यन्त निराश हैं। उनमें कोई उत्साह नही रह गया है और न गल्ला पैदा करने में उनकी कोई रुचि रह गई है। मैं समझता हुं कि उनके धान की जो कीमत मुकर्रर की गई है उस में यह ध्यान नहीं रखा गया है कि पिछले चार पांच सालों से बहुत बुरी फसलें छत्तीसगढ़ में हुई हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो गलतियां खत्तीसगढ़ में हुई हैं, उनको दौहराया न जाए, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? यह बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर सरकार विचार करे और जांच करे और अगर आवश्यक प्रतीत हो तो एक छोटी सी समिति भी बना दे जो जांच पड़ताल करके उपाय सुझाये। अब सरकार गल्ले का व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है और उसे देखना चाहिये कि जो भी तरीका वह अपनाये वह फूलप्रूफ हो और बेचारे किसान मारे न जायें। जिस प्रकार का घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, वैसा आगे नहीं होना चाहिये। अब सरकार बहुत बड़ा धंधा गल्ले की खरीद का अपने हाथ में ले रही है और ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे गलतियां रिपीट हों।

[श्री र० सिं० केदार]

किसानों को पैसा देने के बारे में भी यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। मैं चाहता हूं कि किसानों को उसी रोज़ पैसा मिल जाना चाहिये और अगर नहीं मिलता है तो उनको बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वे बेचारे २५–३० मील से अपना माल लाते हैं और अगर उनको पैसा उसी रोज़ नहीं दिया जाता है तो इसका नतीजा यह होगा कि इनको रातों भर रेड़ के नीचे पड़ा रहना पड़ेगा और न खाने को मिलेगा और न ही उनके बैलों को चरने के लिए कोई चीज़ मिलेगी। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सरकार पैसे का प्रबन्ध पहले से ही कर ले और उनको उसी दिन पैसा दे दिया जाया करे।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि चर्चा मध्य प्रदेश में वसूली के मूल्यों के बारे में उठाई गई थी परन्तु माननीय सदस्यों ने इस को विशाल रूप दे दिया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि चावल की वसूली के बारे में माननीय सदस्यों की कुछ शंकायें निवारण करने का मुझे अवसर मिला है।

श्री सूपकार ने, जिन्होंने इस चर्चा को आरम्भ किया, सरकार पर आरोप लगाया कि हम ने राज्य व्यापार की योजना की घोषणा तो कर दी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सावधानी नहीं बरती कि जहां कहीं भी इस योजना को लागू किया जाये, वहां चावल छिपा न लिया जाये। उन का यह कहना तो ठीक है कि राज्य व्यापार योजना को अन्तिम रूप देने में कुछ देर हो गई। योजना को अन्तिम रूप देने के लिये जो कार्यवाही हुई है उस के बारे में सभा में कई बार बताया जा चुका है। दो दिन पहले ही इस के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था जिस का उत्तर मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने दिया था। उस समय उन्हों ने बताया था कि योजना के प्रारूप पर जिस प्रकार विभिन्न प्रक्रमों में विचार किया गया और अब मंत्रिमंडल में उस पर विचार किया जा रहा है। सरकार पर यह आरोप लगाना भी ग़लत है कि राज्य-व्यापार आरम्भ करने में सावधानी नहीं बरती गई है।

वसूली के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही राज्य व्यापार की दिशा में एक क़दम है और माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार का उद्देश्य देश के खाद्यान्नों के आधिक्य पर नियंत्रण रखने का है, थोक व्यापार का समाजीकरण करना है। यह तो इस सम्बन्ध में प्रारंभिक बात है कि सरकार जितनी मात्रा में वसूली कर सकेगी, और उस पर नियंत्रण कर सकेगी, उसी से सरकार को मूल्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति का पता लगेगा।

यह प्रश्न मध्य प्रदेश में वसूली करने के बारे में है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि चावल की वसूली करने के लिये वहां केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था है। यह कहना ठीक नहीं है कि हम चावल खरीदने के मामले में देरी कर रहे हैं। और पैसा देने में हम फुर्ती से काम नहीं लेते। मध्य प्रदेश के मामले में जो लेखे हमें मिले हैं उन के अनुसार १३ मार्च को हम ने १७८,००० टन चावल वसूल किया है। इस १७८,००० टन चावल में से १४२,००० टन चावल वसूल करने वालों से ले कर संबंधित स्थानों को भेज दिया गया है। जब भी आवश्यक होता है तभी हम विशेष रेल गाड़ियां चलाते हैं ताकि स्टॉक करने की कठिनाइयां सामने न आयें।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर)** : क्या चावल किसानों से खरीदा गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं अभी बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में चावल केन्द्रीय सरकार ले रही है तथा धान राज्य सरकार ले रही है। हम ने चावल के जो मूल्य रखे हैं उन्हीं के आधार पर हम ने धान के मूल्य रखे हैं। १३-३-५९ तक राज्य सरकार ने लगभग ७३,००० टन धान खरीदा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

के द्रोय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों एक साथ क्रमश: चावल और धान की वसूली का काम कर रही हैं ।

भुगतान के बारे में एक आरोप लगाया गया । मेरी सूचना के अनुसार प्रतिदिन १५ लाख रुपये से २० लाख रुपये तक के बिलों का भुगतान किया जाता है । इस का ध्यान रखा जाता है कि खरोददारो के समय से ४८ घंटों के अन्दर भुगतान कर दिया जाये । सभा इस बात को समझ सकती है कि केन्द्रोय सरकार जब चावल खरीद रही है तो उस के पदाधिकारियों को चावल की किस्म और वजन आदि का ध्यान रखना होता है । जब तक चावल अच्छो किस्म का नहीं होता हम उसे नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमें उसे बहुत समय के लिये रखना होता है । यह तो ठीक है कि विलम्ब नहीं होना चाहिये परन्तु साथ हो साथ यदि जल्दो में किसी प्रकार की गलती हो जाये तो करोड़ों रुपये की हानि हो सकतो है । इसलिये सावधानी रखते हुए अगर गलती की संभावना समाप्त हो जाये तो अच्छा ही है ।

श्री सूपकार ने उड़ीसा के बारे में कुछ कहा । उड़ीसा में राज्य सरकार हमारी ओर से चावल की वसूली कर रही है । केन्द्रोय सरकार के लोग वहां हैं जो चावल को वसूलो के बाद अपने कब्जे में ले लेते हैं । राज्य सरकार ने स्वयं हो वसूली करना उपयुक्त समझा और हमारे लिये उसकी इच्छा का आदर करना आवश्यक है । १३ मार्च तक उड़ोसा में हमारे हिसाब में ५१,९०० टन चावल खरोदा गया और २९,५०० टन धान खरोदा गया । उड़ीसा में भी वसूली का काम संतोष-जनक रूप से हो रहा है ।

यह कहा गया कि जो चावल बेचने के लिए किसान लाते हैं हम उसे सारा नहीं खरीदते हैं । जैसा कि मैंने अभी बताया हमें चावल की किस्म का खयाल रखना ही होता है । कभी कभी छूट भी दे दी जाती है । एक बार ३५ प्रतिशत टूटे चावल सहित चावल खरीदा गया जबकि हम ने २७ प्रतिशत की सीमा रखी हुई थी । अब हम ने आदेश दे दिये हैं कि ऐसा चावल जिसमें ४० प्रतिशत टूटा चावल भी हो, खरीद लिया जाना चाहिए ।

†**श्री सूपकार** : क्या यह सच है कि सरकार ने जिस चावल को अच्छी किस्म का न होने के कारण नहीं खरीदा था, उसी को वह बिचौलियों के ज़रिये खरीद लेती है ?

†**श्री अ० म० थामस:** जी नहीं । अनुमित सीमा के अन्दर होने पर ही उसे खरीदा जाता है । चावल को आसानी से अनुमित सीमा में लाया जा सकता है । मैं सभा को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम ने वसूली की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है । वहां पर केन्द्र से पदाधिकारी गये हुए हैं जो वसूली का अधीक्षण करते हैं । जितनी संभव है उतनी सावधानी हम बरत रहे हैं । यह सम्भव है कि व्यापारी चावल खरीद कर उसमें और चावल मिलाकर उसको अनुमित सीमा में ले आते हों, और बेचते हों ।

मध्य प्रदेश में हो रहे आन्दोलन की ओर कुछ सदस्यों ने निर्देश किया । मुझे समाचारपत्रों से यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आन्दोलन वापस ले लिया गया है । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश में धान से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना उचित था । यह प्रतिबन्ध २० दिसम्बर १९५७ को लगाया गया था । इस प्रतिबन्ध का लगाना मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाभदायक था यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि १९५७-५८ में १९५६-५७ के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री घ० म० थामस]

मुकाबले १० लाख टन चावल कम हुआ, परन्तु फिर भी मध्य प्रदेश में देश के अन्य भागों की तुलना में धान के संकट का कोई असर नहीं हुआ । और मूल्य नहीं बढ़े ।

मैं तो यही समझा हूं कि आन्दोलन करने का मुख्य उद्देश्य वसूली के मूल्यों को बढ़ाना अथवा प्रतिबन्ध उठाना था जिससे कमी वाले क्षेत्रों में चावल अधिक मूल्य पर बेचा जा सके । सरकार ने यही ठीक समझा कि अधिक चावल को खरीद ले । इस खरीद से उत्पादकों को लाभ होने का प्रमाण यही है कि मध्य प्रदेश में वसूली के मूल्य से बाजार के मूल्य कम हैं, और हमारे मूल्यों से बाजार के मूल्यों को स्थिरता मिलती है ।

यह आरोप भी लगाया गया कि मध्य प्रदेश से चोरी छिपे चावल बाहर ले जाया जा रहा है । संभवतया कुछ थोड़ा बहुत चोरी का व्यापार होता हो लेकिन यह जरूर है कि चोरी छिपे चावल ले जाने का काम ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि बाजार के मूल्य वसूली के मूल्यों से थोड़े कम हैं । यदि चोरी छिपे चावल का व्यापार होता तो यह निश्चित था कि बाजार में मूल्य बढ़ जाते । हमें बताया गया है कि मोटे चावल के वसूली के मूल्य १५ रुपये मन जब कि बाजार मूल्य १४·३७ रुपये मन हैं और कहीं कहीं १४ रुपये है ।

एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि वसूली मूल्य किस आधार पर निश्चित किये गये हैं । सभा में इस पर कई बार पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है कि वसूली मूल्य १९५२-५३ के वसूली मूल्यों और १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ के फ़सल के बाद के मूल्यों पर आधारित हैं । मध्य प्रदेश में १९५२-५३ के वसूली मूल्य साधारण किस्म के चावल के १२ रुपये थे । उड़ीसा में १९५२ में वसूली मूल्य उससे कम थे जो हम आज दे रहे हैं ।

फसल से बाद के मूल्यों के बारे में मैं बताता हूं । रायपुर बाजार में चावल के भाव दिसम्बर १९५५ में १२.५० रुपये, जनवरी १९५६ में १२.२५ रुपये, दिसम्बर १९५६ में १५ रुपये, जनवरी १९५७ में १७ रुपये, दिसम्बर १९५७ में १९ रुपये तथा जनवरी १९५८ में १६ रुपये थे । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र इससे सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के लिए जो मूल्य हम ने निर्धारित किये हैं वह उचित ही हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १८ मार्च, १९५९ / २८ फाल्गुन, १८८० (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३४३३—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२६	मैगनेशियम कारबोनेट	३४३३—३४
१३२७	लोक सहायक सेना . . .	३४३४—३७
१३२८	राज्य आदिम जाति मन्त्रणा परिषद् .	३४३७—३८
१३३०	दिल्ली में जल संभरण	३४३८—३९
१३३१	खमरिया का युद्ध सामग्री कारखाना	३४३९—४३
१३३२	पुस्तकालय सलाहकार समिति .	३४४४
१३३३	सफेद सीमेंट . . .	३४४५
१३३४	पेंशन और उपदान के मामले .	३४४५—४७
१३३६	वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी संकल्प .	३४४७—४८
१३३७	गणतन्त्र दिवस समारोह . . .	३४४८—४९
१३३९	नाव दुर्घटना . . .	३४४९—५०
१३४०	लोहे और इस्पात के कबाड़ का जापान को निर्यात .	३४५०
१३४१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा से पूर्व शिक्षा देना .	३४५१—५२
१३४५	वेतन बचत योजना . . .	३४५२—५३
१३४८	दक्षिण भारत में खनिज सर्वेक्षण . . .	३४५४—५५
१३४७	स्टानवाक द्वारा तेल सर्वेक्षण	३४५५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	३४५६—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३२५	प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास मन्त्रणा समिति . .	३४५६
१३२९	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां	३४५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३३५	आसाम तेल क्षेत्र से तेल शोधक कारखानों तक पाइप लाना	३४५७
१३३८	हिमाचल प्रदेश में गैर-हिमाचलियों को नौकरी	३४५७
१३४२	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	३४५७–५८
१३४३	दिल्ली के लिये बिक्री कर आयुक्त	३४५८
१३४४	सशस्त्र सेनाओं के लिये स्वचालित राइफलें	३४५८
१३४६	हिमाचल प्रदेश में बहुपति प्रथा	३४५८
१३४९	मौलाना आजाद के संस्मरण	३४५९
१३५०	लेटराइट पत्थर	३४५९
१३५१	एलाय तथा ट्यूल स्टील परियोजना	३४५९–६०
१३५२	नैपाल में भारतीय डाक्टर की मृत्यु	३४६०–६१
१३५३	विमान बल में सरकारी निधियों का प्रबन्ध	३४६१
१३५४	औद्योगिक वित्त निगम	३४६१
१३५५	हिन्दुस्तान एयर क्राफट (प्राइवेट) लिमिटेड में हवाई जहाजों का निर्माण	३४६२
१३५६	कच्चे गोहे का निर्यात	३४६२
१३५७	राज्यपालों की शक्तियां	३४६२–६३
१३५८	बच्चों का अपहरण	३४६३
१३५९	विदेशी ऋण	३४६३
१३६०	भारतीय वायु सेना के लिये आटो-कार रिफ्यूलर्स	३४६३–६४
१३६१	करायकुदी गवेषणा संस्था	३४६४
१३६२	एकीकृत कर ढांचे के बारे में प्रो० काल्दर के सुझाव	३४६४–६५
१३६३	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	३४६५
अतरांकित		
प्रश्न संख्या		
२०६४	कोयले का उत्पादन	३४६५
२०६५	पंजाब में अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता	३४६६
२०६६	उत्तर प्रदेश में आय-कर से छूट	३४६६
२०६७	शिक्षा मंत्रालय में कर्मचारी	३४६६
२०६८	पुलिस में भ्रष्टाचार	३४६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६९ दौलताबाद का किला ३४६७
२०७० नान्देड़ जिले में खुदाई ३४६७
२०७१ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को रियायतें . . . ३४६७–६८
२०७२ आयुध कारखानों का पुनर्गठन . . . ३४६८–६९
२०७३ फेरो-मैगनीज ३४६९
२०७४ कोयले का सम्भरण ३४६९–७०
२०७५ केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग गवेषणा संस्था, नागपुर ३४७०
२०७६ राज्यों में साक्षरता ३४७०
२०७७ पंजाब राज्य युवक कल्याण बोर्ड . . ३४७०–७१
२०७८ दिल्ली में सायंकालीन कालिज . . ३४७१
२०७९ ग्राम्य संस्थायें ३४७१
२०८० भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी . ३४७१–७२
२०८१ सरकारी नौकरी में विदेशी ३४७२
२०८२ असैनिक प्रयोग के लिये हथियारों और गोला-बारूद का निर्माण . ३४७२
२०८३ आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र ३४७३
२०८४ उड़ीसा को १९५९–६० के लिये शिक्षा अनुदान . . ३४७३
२०८५ अपराध सम्बन्धी पुस्तकें ३४७४
२०८६ मंत्रियों के भत्ते ३४७४
२०८७ बम्बई में आय कर विभाग की कई मंजिलों वाली इमारतें . ३४७४
२०८८ भारत सर्वेक्षण विभाग के अधीन गवेषणा शाखा . . ३४७४–७५
२०८९ भारत सर्वेक्षण विभाग ३४७५
२०९० भारत सर्वेक्षण विभाग की वायु सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण निदेशालय बस्ती, देहरादून ३४७६
२०९१ भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीयों का ऋणग्रस्त होना ३४७६
२०९२ भारत सर्वेक्षण विभाग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . ३४७६–७७
२०९३ भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि . . ३४७७–७८
२०९४ केन्द्रीय सचिवालयों में पदाधिकारियों की संख्या . . ३४७८
२०९५ इस्पात के कारखानों में चोरियां . . . ३४७८–७९
२०९६ अपीलीय सहायक कमिश्नर ३४७९

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
२०९७	पुरातत्व विभाग, उड़ीसा	३४७९
२०९८	दिल्ली में विनीत पुलिस	३४८०
२०९९	अन्तर्राज्यीय कराधान परिषद्	३४८०
२१००	अमरीकी शिक्षा शास्त्री	३४८०
२१०१	दिल्ली में अपराध	३४८१
२१०२	रूरकेला इस्पात कारखाने में दुर्घटना	३४८१
२१०३	पुराने क्रान्तिकारियों का सम्मेलन	३४८१
२१०४	टेल्को के ट्रकों की कीमतें	३४८२
२१०५	बेसिक ट्रेनिंग कालेज, त्रिपुरा	३४८२
२१०६	हिमाचल प्रदेश में अध्यापक	३४८२
२१०७	हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के अध्यापक	३४८३
२१०८	सैनिक	३४८३
२१०९	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये सामान	३४८३–८४
२११०	केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था	३४८४
२१११	नागा विद्रोही	३४८४
२११२	भारत सरकार की छात्रवृत्तियां	३४८५
२११३	रायगढ़ दुर्ग	३४८५
२११४	मैसूर का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय	३४८५–८६
२११५	छोटी बचत योजना	३४८६
२११६	उड़ीसा में आदिवासी	३४८७
२११७	विदेश भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा	३४८७
२११८	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अधीन चलाये गये मुकदमे	३४८७
२११९	दिल्ली में कटपीस के व्यापार में ठगी के मामले	३४८८
२१२०	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसने वाले	३४८८
२१२१	गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा व्यय	३४८८–८९
२१२२	कैंटीन कर्मचारी संघ	३४८९
२१२३	आदिम जातियों का कल्याण	३४८९
२१२४	बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४७	३४८९–९०
२१२५	त्रिपुरा में काकराबन का बेसिक कालेज	३४९०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२१२६ जीवन बीमा निगम	३४९०–९१
२१२७ अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल	३४९१
२१२८ मैसूर का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्रालय	३४९१–९२
२१२९ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	३४९१–९३
२१३० लोहा और इस्पात समकरण निधि में से भुगतान	३४९३
२१३१ वैज्ञानिक व प्रविधिक शब्दावली	३४९४
२१३२ तेल विशेषज्ञों द्वारा मद्रास का दौरा	३४९४
२१३३ भवन निर्माण परियोजना दल का प्रतिवेदन	३४९४–९५
२१३४ पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियां	३४९५
२१३५ दूसरे कार्यालयों में भेजे गये गृह-कार्य मन्त्रालय के कर्मचारी	३४९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४९५

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(२) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, १९५७ की धारा ४ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १३ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०० में प्रकाशित बम्बई ग्रामोद्योग बोर्ड (पुनर्गठन) आदेश, १९५९ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ३४९६

सचिव ने राज्य-सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा लोक-सभा द्वारा संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५८ में २४ फरवरी, १९५९ को किये गये और संशोधनों से सहमत हो गई है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३४९६

अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३४९७

तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . .	३४९६-९७
बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अनुदानों की मांगें	३४९७--३५३६
विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई ।	
मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
आधे घंटे की चर्चा	३५३७--४२
श्री सूपकार ने मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में दिनांक २७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ के उत्तर से पैदा होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई। खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।	
गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि--	
गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।	